अभिलेख महानिदेशक
की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में

सोलहवीं रिपोर्ट

वर्ष 2013

SIXTEENTH REPORT

OF THE
DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES
ON THE IMPLEMENTATION OF THE
PUBLIC RECORDS ACT, 1993
FOR THE YEAR
2013

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
NEW DELHI
2015

अभिलेख महानिदेशक
की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
सोलहवीं रिपोर्ट
वर्ष 2013

SIXTEENTH REPORT
OF THE
DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES
ON THE IMPLEMENTATION OF THE
PUBLIC RECORDS ACT, 1993
FOR THE YEAR
2013

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
NEW DELHI
2015

विषय सूची

क्रम संख्या	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	प्राथमिकताएं	3–5
2.	सिंहावलोकन	6
3.	आंकड़ों का विश्लेषण : सामान्य निष्कर्ष	7
4.	अभिलेख कक्षों की स्थापना	8–9
5.	अभिलेख अधिकारियों का नामांकन	10–12
6.	अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों के लिए स्थान की भागीदारी	13–14
7.	अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण	15–16
8.	अभिलेखों का सूचीकरण	17–18
9.	अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन	19–20
10.	वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण	21–22
11.	निष्क्रिय आयोग/समितियाँ	23–24
12.	अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अप्रचलित अभिलेखों पर आरंभ की गई कार्रवाई	25–26
13.	अभिलेख सर्जक एजेंसियों का संगठनात्मक इतिहास	27–28
14.	"क' श्रेणी अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग	29
15.	अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन	30–31
16.	संदर्भ माध्यम तैयार करना	32–33
17.	अभिलेख अवाप्ति/अधिग्रहण	34–35
18.	अभिलेख सर्जक एजेंसियों के स्थायी कार्यों के अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों की पुनरीक्षा	36–37
19.	परामर्शी कार्य	38–39
20.	प्रशिक्षण	40–41
21.	अभिलेख जागरुकता कार्यक्रम	42–45

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CONTENTS

S.No.	CHAPTERS	Page No.
1.	PRIORITIES	3-5
2.	AN OVERVIEW	6
3.	ANALYSIS OF THE DATA : GENERAL OBSERVATIONS	7
4.	RECORDS ROOMS – SETTING UP OF	8-9
5.	RECORDS OFFICERS – NOMINATION OF	10-12
6.	SHARING OF SPACE FOR SEMI-CURRENT RECORDS	13-14
7.	RECORDING, REVIEWING AND WEEDING OUT OF SEMI-CURRENT RECORDS	15-16
8.	INDEXING OF RECORDS	17-18
9.	COMPILATION OF RETENTION SCHEDULES FOR RECORDS BY RECORDS CREATING AGENCIES	19-20
10.	DOWNGRADING OF CLASSIFIED RECORDS	21-22
11.	DEFUNCT COMMISSIONS/COMMITTEES	23-24
12.	ACTION INITIATED BY RECORDS CREATING AGENCIES ON APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS	25-26
13.	ORGANISATIONAL HISTORY OF RECORDS CREATING AGENCIES	27-28
14.	MICROFILMING OF 'A' CATEGORY RECORDS	29
15.	APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS	30-31
16.	PREPARATION OF REFERENCE MEDIA	32-33
17.	ACQUISITIONS/ ACCESSIONS	34-35
18.	VETTING OF RETENTION SCHEDULES OF RECORDS OF SUBSTANTIVE FUNCTIONS OF RECORDS CREATING AGENCIES	36-37
19.	ADVISORY WORK	38-39
20.	TRAINING	40-41
21.	ARCHIVAL AWARENESS PROGRAMME	42-45

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुलग्नक

अनुलग्नक– I	लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन पर महानिदेशक की 16वीं रिपोर्ट के संकलन के लिए सूचना उपलब्ध कराने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची	46–47
अनुलग्नक– II	अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण करने संबंधी जून और दिसंबर को समाप्त छमाही की विवरणियां प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची (प्रपत्र 7, लोक अभिलेख नियम, 1997)	48–49
अनुलग्नक– III	वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करने संबंधी जून और दिसंबर को समाप्त छमाही की विवरणियां प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची (प्रपत्र 4, लोक अभिलेख नियम, 1997)	50–51
अनुलग्नक– IV	वर्ष 2013 में पांच दिवसीय अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले अभिलेख अधिकारियों के नाम	52–68
अनुलग्नक– V	राष्ट्रीय अभिलेखागार के साथ बातचीत करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा नामित नोडल अधिकारियों की सूची	69–73
अनुलग्नक– VI	विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों के लिए माइक्रोफिल्म बनाई गई "ए" श्रेणी के अभिलेखों का ब्यौरा	74

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURES

Annexure-I	List of Records Creating Agencies that have provided information for compiling the XVI DG's Report on Implementation of the Public Records Act, 1993	46-47
Annexure-II	List of Records Creating Agencies that have submitted Half Yearly Returns in June & December on Recording, Reviewing, Indexing and Weeding of Semi Current Records (Form 7, Public Records Rules, 1997)	48-49
Annexure-III	List of Records Creating Agencies that have submitted Half Yearly Returns in June & December on Downgrading of Classified Files (Form 4, Public Records Rules, 1997)	50-51
Annexure-IV	Name of Records Officers who have attended five-day Orientation Courses on records management in 2013	52-68
Annexure-V	List of Nodal Officers nominated by various Ministries to interact with the National Archives of India	69-73
Annexure-VI	Details of "A" Category records, Microfilmed for various Records Creating Agencies	74

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–1

प्राथमिकताएं

वर्ष 2013, लोक अभिलेख नियमावली 1997 की अधिसूचना के 17वें वर्ष को चिह्नित करता है। यह वर्ष भारत सरकार और केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन की विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 को लागू करने के 19 महत्वपूर्ण वर्षों को भी चिह्नित करता है। लोक अभिलेख नियमावली में प्रतिष्ठापित मुख्य पहलें कुछ राज्यों द्वारा लागू किए गए इसी प्रकार के विधानों में भी परिलक्षित हुई हैं। तथापि, इन कानूनी प्रावधानों और सार्वजनिक अभिलेखों के उचित रखरखाव के महत्व के प्रति बढ़ती जागरुकता के बावजूद अभिलेख प्रबंधन पद्धतियों तथा अभिलेख सर्जक एजेंसियों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई नहीं देता।

सूचना का अधिकार अधिनियम के बाद की अवधि में सरकारी संगठनों में लोक अभिलेखों के प्रबंधन ने किस तरह एक महत्वपूर्ण आयाम प्राप्त कर लिया है। यह एक ऐसा तथ्य है जो शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में लोक अभिलेखों के महत्व के संबंध में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर.सी.) की टिप्पणियों के साथ मेल खाता है। इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को सूचना और अधिकार देने की मांग को पूरा करने के एकमात्र उपाय के रूप में भारत सरकार के कार्यालयों में अभिलेख प्रबंधन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पर जोर दिया जाए।

राष्ट्रीय अभिलेखागार ने लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के क्रियान्वयन में विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों को पूरा सहयोग और समर्थन दिया था। उनके द्वारा राष्ट्रीय अभिलेखागार को प्रपत्र 5, लोक अभिलेख नियमावली, 1997 में प्रस्तुत रिपोर्टों से अभिलेख सर्जक एजेंसियों की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। यह पाया गया है कि सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियां अपने संगठन के अभिलेख प्रबंधन कार्यकलापों पर रिपोर्ट नहीं करती हैं। प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि कुछ अनिवार्य आवश्यकताएं जैसे कि अभिलेख अधिकारी का नामांकन करने, धारा 5(1) और अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यात्मक अभिलेख कक्ष की स्थापना करने तथा धारा 5(2) को भी अधिकांश अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा लागू नहीं किया गया है। रिपोर्टों का एक संक्षिप्त विश्लेषण नीचे दिया गया है:

1.1 पिछले वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 के दौरान अपने संगठनों मे लोक अभिलेख अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों से प्राप्त समग्र प्रतिक्रिया में मामूली सुधार हुआ है। प्रतिशत के अनुसार वर्तमान रिपोर्ट की कुल प्रतिक्रिया केवल 2.23 प्रतिशत रही है जो 2012 की तुलना में 1.7% अधिक है। यह भी देखा गया है कि केवल कुछ मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने ही अनिवार्य प्रपत्र में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की है लेकिन अनेक अधीनस्थ विभागों, इन मुख्य मंत्रालयों के अधीन उपक्रमों ने लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन पर सूचना प्रस्तुत की है। अभिलेख अधिकारियों के नामांकन जैसे मामलों पर विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना जैसे कुछ अन्य अनिवार्य प्रावधानों जैसे विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना और अभिलेखन, सूचकांक तैयार करना, आदि की तुलना में प्रतिक्रिया बेहतर रही है।

1.2 लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के अंतर्गत नामांकित अभिलेख अधिकारियों का प्रशिक्षण एक बेहद अहम पहलू है जो अभिलेख सर्जक एजेंसियों में एक ठोस अभिलेख प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करता है। अभिलेख

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-1

PRIORITIES

The year 2013 marked the seventeenth year of the notification of The Public Records Rules, 1997. It also marks 19 eventful years of the implementation of The Public Records Act, 1993 by various records creating agencies of the Government of India and Union Territory Administrations. Major initiatives set forth in the Public Records Rules have also got reflected in similar legislations enacted by some of the States. However, in spite of these legislative provisions and increasing awareness about the importance of proper upkeep of public records, no remarkable transformation can be observed in the records management practices followed by the records creating agencies.

In the post-Right to Information Act era, the management of public records in the Government organizations has assumed a critical dimension, a fact which also resonates with the observations of the second Administrative Reforms Commission (ARC) regarding the importance of public records as a vital tool to ensure accountability in governance. Therefore, it is extremely imperative to implement serious measures to streamline the records management practices in the Government of India as the only way to cope with the demands of an informed and empowered citizen under the Right to Information Act.

The National Archives of India had extended full cooperation and support to the records creating agencies towards the implementation of the Public Records Act, 1993. The response of the records creating agencies can be gauged from the reports submitted by them to the National Archives of India in Form 5, Public Records Rules, 1997. It has been observed that not all the records creating agencies report on the Records Management activities of their organization. From the reports that have been received, it appears that some of the mandatory requirements such as the nomination of Record Officer under Section 5(1) and setting up of a functional Record Room under Section 5(2) of the Act have not been complied with by majority of records creating agencies. A brief analysis of the reports is as follows:

1.1 The overall response received from various records creating agencies about the state of implementation of the Public Records Act in their organisations during 2013 reflects a slight improvement as compared to 2012. Percentage wise, the total response is 2.23 per cent for the present report which is more than 1.7% per cent of 2012. It has also been observed that only few of the Ministries/ Departments/ Offices have furnished the requisite information in the mandatory format but many of the subordinate Departments, Undertakings under many of these main Ministries have furnished information on the implementation of the Public Records Act, 1993. On some issues like nomination of Record Officers, the response has been better compared to some other mandatory provisions like setting up of Departmental Record Room and Recording, preparation of Indices, etc.

1.2 Training of the record officers nominated under The Public Records Act, 1993 is a vital component for establishing a sound records management system in the records creating agencies. The record

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अधिकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार और अपने विभाग के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार 1998 से अभिलेख अधिकारियों के हित में नियमित रूप से अभिलेख प्रबंधन में अभिविन्यास पाठ्यक्रम संचालित करता आ रहा है। 2012 के दौरान 111 अधिकारियों ने पाठ्यक्रमों में भाग लिया जबकि 2013 में यह संख्या बढ़कर 157 अधिकारी हो गई। अभिलेख प्रबंधन में इन अभिविन्यास पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय अभिलेखागार के मुख्यालय, नई दिल्ली, राष्ट्रीय अभिलेखागार क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल तथा भुवनेश्वर, जयपुर और पुड्डुचेरी स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेख केन्द्रों में आयोजित किया गया।

1.3 भारत सरकार द्वारा सभी लोक अभिलेखों का मूल्यांकन करने के बाद उन्हें अंतिम भंडार गृह के रूप में राष्ट्रीय अभिलेखागार को महत्वपूर्ण मूल्य के अभिलेखों का अंतरण करना लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 द्वारा परिकल्पित अनुसार अभिलेख प्रबंधन का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन कई वर्षों में स्थायी महत्व के ऐसे अभिलेख बहुत बड़ी संख्या में अभिलेख सर्जक एजेंसियों में जमा हो गए हैं। इस विभाग द्वारा निरंतर पहल करने के बावजूद ऐसे अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्ष 2013 के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार में केवल 29,167 फाइलें स्थायी परिरक्षण हेतु स्थानांतरित की गई जबकि 2012 में इनकी संख्या 1,92,831 थी। यहां यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे सभी अप्रचलित अभिलेख, जो 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं, का राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है और उन्हें लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 6 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 5 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार में जमा कराए जाने की आवश्यकता है। इस अनिवार्य प्रावधान के अनुपालन से यह सुनिश्चित होगा कि ये बहुमूल्य अभिलेख वैज्ञानिक रूप से संरक्षित किए जा सकेंगे और अनुसंधानकर्ताओं तक इनकी पहुंच लम्बे समय तक बनी रहेगी।

1.4 इस विभाग ने राष्ट्रीय अभिलेखागार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल सचिव की अनुमोदित कार्य–योजना पर पहले ही पहल शुरू कर दी है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ मंत्रालयों/विभागों की स्वतंत्रता के बाद की अवधि के अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन और स्थानांतरण करना शामिल है। विभिन्न प्रमुख मंत्रालयों/विभागों से लगभग 29,167 मूल्यांकित फाइलों को स्थायी तौर पर रखने के लिए चुना गया है, जिनमें से अधिकांश फाइलें गृह मंत्रालय से प्राप्त हुई हैं। इस कार्य को अभिलेखीय सहायकों द्वारा इस विभाग के अभिलेखविदों और वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में किया गया है।

इसके अलावा, उक्त अधिनियम और नियमों को और अधिक कारगर बनाने के लिए आवश्यक संशोधन करने हेतु लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 की समीक्षा का कार्य चल रहा है, जो अग्रिम चरण में है।

1.5 पूर्व–वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताओं के बिंदु निम्नलिखित हैं:

- अधिनियम की धारा 5(1) और लोक अभिलेख नियमावली के नियम 3 के अंतर्गत अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अभिलेख अधिकारियों का नामांकन करना।
- इस विभाग द्वारा आयोजित अभिलेख प्रबंधन में अभिलेख अधिकारियों का प्रशिक्षण।

officers serve as a link between the National Archives of India and their own departments. The National Archives of India has been, since 1998, conducting regular Orientation Courses in records management for the benefit of the record officers. While 111 officers attended the courses in 2012, the number increased to 157 officers in 2013. These Orientation Courses in Records Management were held at National Archives Of India Headquarters, New Delhi, National Archives Of India Regional Office, Bhopal and National Archives Of India Records Centers located in Bhubaneswar, Jaipur and Puducherry.

1.3 Transfer of records of enduring value to the National Archives of India as the final repository of all public records of the Government of India after their appraisal is another critical area of records management as envisaged by The Public Records Act, 1993. However, over the years, a large number of such records have accumulated in various records creating agencies. Notwithstanding the continuous initiatives taken by this Department, these records still await their transfer to the National Archives of India. The total number of files transferred to the National Archives of India for permanent preservation during 2013 was 29,167 as against 1,92,831 in 2012. The total number of Archival Assistants was 13 in 2013 as against 20 in 2012. It cannot be overemphasized here that it is absolutely imperative that all non-current records of more than 25 years old be deposited with the National Archives Of India as delineated in Section 6 of Public Records Act, 1993 and Rule 5 of Public Records Rules, 1997. Compliance of this mandatory provision will ensure that these invaluable records are preserved scientifically with a view to prolong their longevity and facilitate their access to researchers.

1.4 This Department has continued the approved Action Plan of the Cabinet Secretary on critical area projects concerning National Archives of India which includes, *inter-alia*, appraisal and transfer of non-current records of the Post-Independence period of Ministries/Departments etc. Approximately 29,167 appraised files selected for permanent retention have been transferred from various Ministries/Departments, bulk of which has come from the Ministry of Home Affairs. This work has been done by the Archival Assistants under the supervision of the Archivists and senior officers of this Department.

Besides, the process of reviewing the Public Records Act, 1993 and Public Records Rules, 1997 with a view to carry out necessary amendments to make the said Act and Rules more effective, is in an advanced stage.

1.5 In the light of the foregoing facts, I may reiterate the priorities as enumerated below:

- Nomination of the Record Officers by the records creating agencies under provision of Section 5(1) of the Act and Rule 3 of The Public Record Rules.
- Training of Record Officers in records management conducted by this Department.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

- अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत परिकल्पित अनुसार अभिलेख कक्षों की स्थापना।
- मंत्रालयों/विभागों द्वारा वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करना।
- 25 वर्ष से अधिक पुराने अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन करना।
- स्थायी अभिरक्षा और वैज्ञानिक परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को अभिलेखों का समय पर अंतरण करना, और
- अभिलेखों की रिकार्डिंग, समीक्षा और सूचीकरण करना।

मैं सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से हृदय से यह अपील करता हूं कि वे स्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और इन बिंदुओं पर कार्रवाई प्रारंभ करें ताकि उनके संबंधित संगठनों में अभिलेख प्रबंधन कार्यकलापों को व्यवस्थित किया जा सके।

(वी. श्रीनिवास)
अभिलेख महानिदेशक
भारत सरकार

दिनांक: 08/12/2014

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

- Establishment of Record Rooms as envisaged under section 5(2) of the Act.
- Downgrading of classified records by Ministries/ Departments.
- Appraisal of non-current records more than 25 years old and
- Ensure timely transfer of appraised records to the National Archives of India for permanent custody and scientific preservation.
- Recording, reviewing and indexing of records.

It is my sincere appeal to all the Records Creating Agencies to take a serious view of the situation and initiate action on these points so as to streamline records management activities in their respective organisations.

(V.Srinivas)
Director General of Archives
Government of India

Dated: 08/12/2014

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय – 2

सिंहावलोकन

राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है जिसे राष्ट्र की दस्तावेजी विरासत के परिरक्षण का कार्य सौंपा गया है। यह लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का क्रियान्वयन करने वाली नोडल एजेंसी भी है। लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 8(2) के उपबंधों के तहत अभिलेख महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार को लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) से (ठ) के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष भारत सरकार को विभागीय अभिलेख अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट भेजनी होती है। तदनुसार, भारत सरकार के 85 मंत्रालयों / विभागों के सभी सचिवों को अभिलेख महानिदेशक द्वारा दिनांक 05 मई, 2014 का परिपत्र सं. 16–12(क) / 2014–आरएम भेजा गया था, जिसमें उनसे वर्ष 2013 के दौरान ऊपर उल्लिखित खण्डों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में निर्देशानुसार लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के फार्म–5 में रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था। मंत्रालयों / विभागों से उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को ऊपर उल्लिखित खंडों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में फार्म–5 में वांछित रिपोर्ट देने के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सांविधिक निकाय, आदि शामिल थे जिससे अभिलेख महानिदेशक लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 पर अमल करने के बारे में रिपोर्ट संकलित कर भारत सरकार को प्रेषित कर सकें।

2.1 प्रस्तुत रिपोर्ट को अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा वर्ष 2011 के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित पहलुओं पर की गई कार्रवाई के बारे में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है:–

1. अभिलेख कक्ष की स्थापना करना;
2. अभिलेख अधिकारियों का नामांकन करना;
3. अभिलेख अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना;
4.. अप्रचलित अभिलेखों को रखने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार में जगह की भागीदारी करना;
5. अप्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण और विनष्टीकरण करना;
6. 25 वर्ष से अधिक पुराने अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन करना;
7. स्थायी कार्यों के अभिलेखों की प्रतिधारण समय–सूची का संकलन / संशोधन करना;
8. वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करना;
9. अभिलेखों की वार्षिक सूचिका का संकलन करना;
10. संगठनात्मक इतिहास का संकलन करना; और
11. निष्क्रिय आयोग / समितियों, आदि के रिकार्ड का राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरण करना।

2.2 इस रिपोर्ट के आगे के अध्यायों में उपर्युक्त बिंदुओं पर सूचना का ब्यौरा दिया गया है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-2

AN OVERVIEW

National Archives of India is an attached office of the Ministry of Culture entrusted with the preservation of the documentary heritage of the nation. It is also the nodal agency for the implementation of The Public Records Act, 1993 and the Public Records Rules, 1997. Under the provisions of the Rule 8 (2) of The Public Records Rules, 1997, Director General of Archives is required to submit to the Government of India, an Annual Report every year on the action taken by the record officers in compliance with the provisions of clauses (a) to (l) of the Sub-section (1) of Section 6 of The Public Records Act, 1993. Accordingly, a circular letter No. 16-12(A)/2014-RM dated 05 May 2014 from Director General of Archives was issued to all the Secretaries of the 85 Ministries/ Departments of Government of India requesting them to furnish their report in Form-5 of The Public Records Rules, 1997, in respect of the action taken by them on the clauses mentioned above during the year *2013*. The Ministries/Departments were also requested to issue necessary directives to all their attached and subordinate offices, including Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc. under their administrative control to furnish the desired report in Form-5, in respect of the action taken by them on the clauses mentioned above, so as to enable the Director General of Archives to compile and submit the report to the Government of India on the implementation of The Public Records Act, 1993.

2.1 The present report has been prepared on the basis of the data received from various records creating agencies on the action taken by them during the year 2011 on the following aspects:-

1. Setting up of Record Rooms;
2. Nomination of Record Officers;
3. Training of record officers and staff;
4. Sharing of space in National Archives of India for housing semi-current records;
5. Recording, reviewing and weeding out of semi-current records;
6. Appraisal of non-current records more than 25 years old;
7. Compilation/ revision of retention schedules of records of substantive functions;
8. Downgrading of classified records;
9. Compilation of annual indices of records;
10. Compilation of organisational history and
11. Transfer of records of defunct bodies/ committees etc. to National Archives of India.

2.2 Details of information on the aforesaid aspects have been delineated in the forthcoming chapters of the report.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–3

आंकड़ों का विश्लेषण

सामान्य निष्कर्ष

वर्ष 2011 में लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन पर 85 मंत्रालयों/विभागों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों, आदि से सूचना मांगी गई थी। उनसे अपनी रिपोर्ट वर्ष 2011 के दौरान लोक अभिलेख अधिनियम 1993 तथा लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के कार्यान्वयन पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के फार्म–5 में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तथापि, उक्त अधिनियम और नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में केवल 45 अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने सूचना भेजी है। तथापि, मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित विभिन्न अभिलेख सृजन एजेंसियों द्वारा लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन को दर्शाने वाले विभिन्न अन्य पहलुओं पर भी सूचना लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से फार्म 4 और 7 में उपलब्ध कराई गई है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान विभिन्न संगठनों से प्राप्त उत्तरों को नीचे तालिका के रूप में दिया जा रहा है:–

3.1 उपर्युक्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्तमान रिपोर्ट की कुल प्रतिक्रिया 2012 के 1.78 प्रतिशत की तुलना में केवल 2.23 प्रतिशत ही बैठती है। ये न्यून आंकड़े दर्शाते हैं कि अभिलेख सर्जक एजेंसियों नामतः मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा प्रत्येक के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य संगठनों द्वारा अभिलेख प्रबंधन को कम प्राथमिकता दी जाती है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि हालांकि अधिकांश महत्वपूर्ण मंत्रालयों/विभागों ने रिपोर्टें भेजने में चूक की है जबकि उनके अधीनस्थ अनेक संगठनों ने अपनी रिपोर्टें भेजी हैं।

3.2 जिन मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि ने इस रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सूचना भेजी है उनके नाम अनुलग्नक–I में देखे जा सकते हैं।

अभिलेख सर्जक एजेंसियाँ	अभिलेख सर्जक एजेंसियों की कुल संख्या	कुल प्राप्त उत्तर
मंत्रालय/विभाग/स्वतंत्र कार्यालय समितियां आदि	85	10 (11.7%)
संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय, आदि	1239	15 (1.21%)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आदि	241	10 (4.1%)
योग	1565	35 (2.23%)

CHAPTER-3

ANALYSIS OF THE DATA
GENERAL OBSERVATIONS

Information on the implementation of The Public Records Act, 1993 for the year 2011 was sought from 85 Ministries/Departments and their attached and subordinate offices including Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc. to furnish their report in Form-5 of The Public Records Rules, 1997, in respect of the action taken by them on the implementation of The Public Records Act, 1993 and Public Records Rules, 1997 during the year 2011. However, only 45 records creating agencies furnished information in respect of the action taken by them on the implementation of the various provisions of the said Act and Rules. However, information on various aspects reflecting on the implementation of the Public Records Act, 1993 have also been provided by various records creating agencies including Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings in Form 4 and 7 as mandated under Public Records Rules, 1997. Response/s received during the period under report from various records creating agencies is indicated below in a tabulated form:

3.1 An analysis of the above data reveals that the total response elicited is 2.23 per cent for the present report as compared to 1.78 per cent of 2012. These low figures reflect the low priority given to records management by the records creating agencies namely Ministries/ Departments/ Public Sector Undertakings and other organizations under administrative control of each of them. It is important to note that some of the important Ministries/ Departments have defaulted in sending reports but many organizations under them have sent their reports.

3.2 The names of the Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings, etc. which have furnished information for this report may be seen at **Annexure-I**.

Records Creating Agencies	Total number of records creating agencies	Total response received
Ministries/Departments/ Independent Offices/ Committees, etc.	85	10 (11.7%)
Attached/Subordinate Offices etc.	1239	15 (1.21%)
Public Sector Undertakings etc.	241	10 (4.1%)
Total	**1565**	**35 (2.23%)**

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–4

अभिलेख कक्षों की स्थापना

एक सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष का होना अभिलेखों की बेहतर प्रबंधन प्रणाली के लिए बुनियादी पूर्वापेक्षा है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5 की उप–धारा (2) में यह निर्धारित किया गया है कि सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को उपयुक्त स्थानों पर अपने अभिलेख कक्षों की स्थापना करनी चाहिए और प्रत्येक अभिलेख कक्ष, अभिलेख अधिकारी के प्रभार में होना चाहिए। विभागीय अभिलेख कक्ष स्थापित करने का उद्देश्य अभिलेखों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण करने तथा उन्हें अभिलेखबद्ध करने, समीक्षा, सूचिकरण करने और उन अभिलेखों को नष्ट करने, जिनकी अब जरूरत नहीं रह गई है, के लिए समय पर कार्रवाई करना है। अभिलेख सर्जक एजेंसियों का उक्त प्रावधान की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने उन्हें अपने–अपने मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि में अभिलेख कक्ष स्थापित करने का अनुरोध किया था। तथापि, इस संबंध में प्राप्त प्रत्युत्तर से यह स्पष्ट होता है कि इस तथ्य के बावजूद कि राष्ट्रीय अभिलेखागार अधिनियम की परिधि में आने वाली सभी एजेंसियों से अपने विभागीय अभिलेख कक्ष वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित और स्थापित करने का अनुरोध करता आ रहा है, इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है।

कुल मिलाकर, 26 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि ने सूचना भेजी है जिसमें से 12 मंत्रालय/विभाग/सांविधिक निकाय हैं और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधीन 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। इस संबंध में प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है:

4.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके अभिलेख कक्ष सुव्यवस्थित है:

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग, (जल संसाधन मंत्रालय) नई दिल्ली; महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय); अंतर राज्यीय परिषद सचिवालय, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर (कृषि मंत्रालय); रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; खान मंत्रालय (अभिलेख कक्ष), नई दिल्ली; रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली, (रेल मंत्रालय); योजना आयोग, नई दिल्ली, केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर), कासरगोड, केरल (कृषि मंत्रालय); केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर), शिमला (कृषि मंत्रालय)।

4.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके पास अभिलेख कक्ष नहीं हैं:

राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर (खान मंत्रालय); उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली; ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी), (जल संसाधन मंत्रालय); बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, रीवा, (जल संसाधन मंत्रालय); भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली, नागरिक विमानन मंत्रालय; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (खान मंत्रालय)।

CHAPTER-4

RECORDS ROOMS – SETTING UP OF

A well-organised Record Room is one of the basic pre-requisite of a sound Records Management system. Sub-Section (2) of Section 5 of the Public Records Act, 1993 stipulates that all records creating agencies should set up their records room at suitable locations and also place each records room under the charge of a Record Officer. The objective of setting up of the records room is to preserve the records scientifically and take timely action for their recording, reviewing, indexing and weeding out of those records which are no longer required. Drawing the attention of the records creating agencies to the said provision, National Archives of India requested them to set up Record Rooms in their respective Ministry/ Department/Office/ Public Sector Undertakings, etc. However, the response received in this regard reveals that in spite of the fact that National Archives of India has been requesting all agencies falling under the purview of the Act to organize and set up their records room in a scientific way, very little attention has been paid towards this important aspect.

In all, a total of 26 Ministries/Departments/Offices and Public Sector Undertakings have sent information, out of which 12 are Ministries/Departments/Offices/ Statutory bodies and 14 are Public Sector Undertakings under various Ministries of Government of India. Detailed analysis of information received in this regard is given below:

4.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that their records rooms are well organised:

Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources); Central Water Commission, New Delhi (Ministry of Water Resources); Directorate General, CRPF, New Delhi (Ministry of Home Affairs); Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources); Inter –State Council Secretariat, New Delhi, (Ministry of Home Affairs); Central Agmark Laboratory, Nagpur (Ministry of Agriculture); Ministry of Defence, New Delhi ; Ministry of Water Resources, New Delhi; Ministry of Mines (Record-Cell), New Delhi; Railway Board, New Delhi,(Ministry of Railways);Planning Commission, New Delhi, Central Plantation Crops Research Institute (ICAR), Kasargod, Kerala (Ministry of Agriculture); Central Potato Research Institute (ICAR),Shimla (Ministry of Agriculture)

4.2 The following Ministries/ Departments/ Offices have informed that they do not have a ` Record Room:

National Institutes of Miners' Health, Nagpur (Ministry of Mines); Vice President's Secretariat, New Delhi; Upper Yamuna River Board (UYRB), (Ministry of Water Resources); Bansagar Control Board, Rewa, (Ministry of Water Resources); Airport Economic Regulatory Authority of India, New

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

4.3 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके पास सुव्यवस्थित अभिलेख कक्ष हैं:

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी), लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता; ट्राइबल को–ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड (ट्राइफेड), (जनजातीय कार्य मंत्रालय); वैपकोस लिमिटेड, (जल संसाधन मंत्रालय) नई दिल्ली; खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, नागपुर, खान मंत्रालय; इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली (रेल मंत्रालय); हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)।

4.4 चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) ने अस्पष्ट उत्तर दिया है।

4.5 **विश्लेषण – यह देखा गया है कि लगभग सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिन्होंने लोक अभिलेख नियम, 1997 के प्रपत्र 5 में सूचना उपलब्ध कराई है, ने अपने संगठन में एक समर्पित अभिलेख कक्ष होने की सूचना दी है। उत्तर न देने वाली बड़ी संख्या में अभिलेख सृजन एजेंसियां में अभिलेख कक्ष की स्थिति ज्ञात नहीं है। राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख अधिकारी/नोडल अधिकारी से संपर्क करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा और उन्हें अनिवार्य आवश्यकता तथा केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियमावली के पैरा 136(2) के प्रावधानों के अनुसार वर्ष में एक बार अभिलेख कक्ष की जांच कराने के प्रति जागरूक बनाएगा।**

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Delhi, Ministry of Civil Aviation; Indian Bureau of Mines, Nagpur (Ministry of Mines)

4.3 The following Public Sector Undertakings have reported that they have well organised Record Rooms:

National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textiles); National Hydroelectric Power Corporation (NHPC), Limited, Faridabad (Ministry of Power); National Aluminium Corporation Limited (NALCO), Bhubaneswar (Ministry of Mines); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata; Tribal Co-Operative Marketing Development Federation of India Ltd., (TRIFED), (Ministry of Tribal Affairs); WAPCOS Limited, New Delhi (Ministry of Water Resources); Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur, Ministry of Mines; IRCON International Limited, New Delhi (Ministry of Railways); Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)

4.4 Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai (Ministry of Petroleum and Natural Gas) has given vague reply.

4.5 **Analysis- It has been observed that almost all the Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings that have provided information in Form 5, Public Records Rules, 1997 have reported on a dedicated Record Room in their organization. The status of the Record Rooms in the sizeable number of records creating agencies that have not responded is not known. National Archives of India would continue its efforts of contacting the Record Officer / Nodal Officer to sensitize them about the mandatory requirement as also to get the Record Rooms inspected once a year as per provisions of para 136(2) of the Central Secretariat Manual of Office Procedure.**

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–5

अभिलेख अधिकारियों का नामांकन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5(1) में यह निर्धारित है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी को अपने एक अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के तहत निर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करने के लिए नामित करना होगा। अभिलेख अधिकारी से अपेक्षित है कि वह अपने संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों में विभिन्न अनुभागों/प्रभागों में समन्वय रखे एवं महानिदेशक अभिलेखागार के साथ विभिन्न कार्यकलापों पर संपर्क बनाए रखे जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ महत्वपूर्ण कार्यों की अभिलेख प्रतिधारण समय–सारणी का संकलन, अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन, स्थायी प्रकृति के 25 वर्ष से पुराने अभिलेखों के वैज्ञानिक संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित करने के संबंध में महानिदेशक अभिलेखागार के साथ संपर्क भी बनाए रखना शामिल हो। इसको ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अधिनियम की परिधि में आने वाली सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से अभिलेख अधिकारियों को जल्द से जल्द नामित करने का अनुरोध किया था। इसके अलावा, सचिव, संस्कृति मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों को दिनांक 11 जून 2014 का अ.शा. पत्र सं.एफ.नं.16–16/2014 आरएम भेजा था और उनसे महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार से लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर बातचीत करने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने का अनुरोध किया था। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में विभाग को 29 मंत्रालयों से संयुक्त सचिव स्तर के नोडल अधिकारी को नामित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है (अनुलग्नक–ट):

5.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने अभिलेख अधिकारियों को नामित किया है:

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग, (जल संसाधन मंत्रालय) नई दिल्ली; महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली; उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर (खान मंत्रालय); नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय); अंतर राज्यीय परिषद सचिवालय, (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली; केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर, (कृषि मंत्रालय); रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (कृषि मंत्रालय); केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर, देहरादून (कृषि मंत्रालय); भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली (नागर विमानन मंत्रालय); रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली, (रेल मंत्रालय); योजना आयोग (विभागीय अभिलेख कक्ष), नई दिल्ली; सचिवालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर; भारतीय आयुध निर्माणी, धातु और स्टील फैक्टरी, ईशापुर, पश्चिम बंगाल (रक्षा मंत्रालय); संस्कृति, नई दिल्ली; मानव संसाधन विकास, नई दिल्ली; राष्ट्रीय रॉक मैकेनिक्स संस्थान, कोलार गोल्ड फील्ड्स, कर्नाटक (खान मंत्रालय); योजना आयोग, नई दिल्ली; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (खान मंत्रालय)।

5.2 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेख अधिकारियों को नामित किया है:

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी),

CHAPTER-5

RECORDS OFFICERS – NOMINATION OF

Section 5(1) of the Public Records Act, 1993 stipulates that every records creating agency shall nominate one of its officers as Record Officer to discharge the functions as outlined under Section 6(1) of the said Act. The Record Officer is required to coordinate and guide various sections/divisions of their respective records creating agencies as well as liaisoning with the Director General of Archives for various activities which include *inter-alia*, the compilation of records retention schedule of substantive functions, appraisal of non-current records and transfer of records of permanent nature which are 25 years old to National Archives of India for scientific preservation. Taking into consideration the said provisions, National Archives of India had requested all the records creating agencies falling under the purview of the Act to nominate their Record Officers at the earliest. Details of replies received are given below. Further, Secretary, Ministry of Culture had sent a D.O. letter vide F.No.16-16/2014 RM dated 11 June 2014 to Secretaries of all the Central Government Ministries requesting them to nominate a nodal officer to interact with the Director General, National Archives of India on matters related to implementation of the Public Records Act, 1993. In response to the said letter the Department has received information on nomination of Nodal Officer of the level of Joint Secretary from 29 Ministries (**Annexure V**).

5.1 Following Ministries/Departments/Offices have nominated Record Officers:

Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources); Central Water Commission, New Delhi (Ministry of Water Resources); Directorate General, CRPF, New Delhi (Ministry of Home Affairs); Vice President's Secretariat, New Delhi; National Institutes of Miners' Health, Nagpur (Ministry of Mines); Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources); Inter–State Council Secretariat, New Delhi, (Ministry of Home Affairs); Central Agmark Laboratory, Nagpur, (Ministry of Agriculture); Ministry of Defence, New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Central Plantation Crops Research Institute, ICAR, (Ministry of Agriculture); Central Potato Research Institute, ICAR, Dehra dun (Ministry of Agriculture); Airport Economic Regulatory Authority of India, New Delhi (Ministry of Civil Aviation); Ministry of Mines, New Delhi; Railway Board, New Delhi, (Ministry of Railways); Planning Commission (Departmental Record Room), New Delhi; Secretariat, Andaman and Nicobar Administration, Port Blair; Indian Ordnance Factories, Metal & Steel Factory, Ishapore, West Bengal (Ministry of Defence); Ministry of Culture, New Delhi; Ministry of Human Resource Development, New Delhi; National Institute of Rock Mechanics, Kolar Gold Fields, Karnataka (Ministry of Mines); Planning Commission, New Delhi; Ministry of Commerce & Industry, New Delhi; Indian Bureau of Mines, Nagpur (Ministry of Mines)

5.2 The following Public Sector Undertakings have reported that they have nominated Records Officers:

National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textiles); National

लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); नाल्को, भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); ट्राइब्ल को–ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलेपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड), नई दिल्ली (जनजातीय कार्य मंत्रालय); वैपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय); चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय); खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, नागपुर, (खान मंत्रालय); इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली, रेल मंत्रालय; भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर (रक्षा मंत्रालय); एयर इंडिया लिमिटेड, सांताक्रूज, मुंबई (नागर विमानन मंत्रालय); हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); साम्भर साल्ट लिमिटेड, जयपुर (भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय)।

5.3 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेख अधिकारियों को नामित नहीं किया है:

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी), (जल संसाधन मंत्रालय); बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, रीवा, (जल संसाधन मंत्रालय); भारतीय गुणवत्ता परिषद (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)।

5.4 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके पास प्रशिक्षित डीआरओ अधिकारी नहीं हैं:

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय); महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली; अंतर राज्यीय सचिवालय, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर (कृषि मंत्रालय); जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी), (जल संसाधन मंत्रालय); बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, रीवा (जल संसाधन मंत्रालय); खान मंत्रालय, नई दिल्ली; योजना आयोग, नई दिल्ली; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (खान मंत्रालय)।

5.5 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके पास प्रशिक्षित डीआरओ अधिकारी हैं:

राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, खान मंत्रालय; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर, (जल संसाधन मंत्रालय); रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर, कृषि मंत्रालय; केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर, कृषि मंत्रालय; भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली, नागर विमानन मंत्रालय; रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली (रेल मंत्रालय)।

5.6 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके पास प्रशिक्षित अभिलेख अधिकारी हैं:

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); नाल्को, भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); ट्राइब्ल को–ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलेपमेंट फेडरेशन लिमिटेड (ट्राइफेड), नई दिल्ली (जनजातीय कार्य मंत्रालय); चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय); खनिज अन्वेषण

Hydroelectric Power Corporation (NHPC), Limited, Faridabad (Ministry of Power); NALCO, Bhubaneswar (Ministry of Mines); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); Tribal Co-Operative Marketing Development Federation of India Ltd., (TRIFED), New Delhi (Ministry of Tribal Affairs); WAPCOS Limited, New Delhi (Ministry of Water Resources); Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai (Ministry of Petroleum and Natural Gas); Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur, (Ministry of Mines); IRCON International Limited, New Delhi, Ministry of Railways; Bharat Earth Movers Limited, Bangalore (Ministry of Defence); Air India Limited, Santa Cruz, Mumbai (Ministry of Civil Aviation); Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); Sambhar Salts Limited, Jaipur (Ministry of Heavy Industries & Public Entreprises)

5.3 The following Ministries/ Departments have informed that they do not have nominated Record Officers :

Upper Yamuna River Board (UYRB), (Ministry of Water Resources); Bansagar Control Board, Rewa, (Ministry of Water Resources); Quality Council of India (Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry)

5.4 The following Ministries/ Departments/ Offices have intimated that they do not have trained DROs:

Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources); Central Water Commission, New Delhi (Ministry of Water Resources); Directorate General, CRPF, New Delhi (Ministry of Home Affairs); Vice President's Secretariat, New Delhi; Inder–State Council Secretariat, New Delhi, (Ministry of Home Affairs); Central Agmark Laboratory, Nagpur (Ministry of Agriculture); Ministry of Water Resources, New Delhi; Upper Yamuna River Board (UYRB), (Ministry of Water Resources); Bansagar Control Board, Rewa (Ministry of Water Resources); Ministry of Mines, New Delhi; Planning Commission, New Delhi; Indian Bureau of Mines, Nagpur (Ministry of Mines)

5.5 The following Ministries/ Departments/ Offices have reported that they have trained DROs:

National Institutes of Miners' Health, Ministry of Mines; Narmada Control Authority, Indore, (Ministry of Water Resources); Ministry of Defence, New Delhi; Central Plantation Crops Research Institute, ICAR, Ministry of Agriculture; Central Potato Research Institute, ICAR, Ministry of Agriculture; Airport Economic Regulatory Authority of India, New Delhi, Ministry of Civil Aviation; Railway Board, New Delhi (Ministry of Railways)

5.6 The following Public Sector Undertakings have reported that they have trained Records Officers:

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

निगम लिमिटेड, नागपुर (खान मंत्रालय)।

5.7 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके पास प्रशिक्षित अभिलेख अधिकारी नहीं हैं:

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); वैपकोस लिमिटेड, (जल संसाधन मंत्रालय) नई दिल्ली; इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली, (रेल मंत्रालय); हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)।

5.8 **विश्लेषण – सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियां, जिन्होंने लोक अभिलेख नियम, 1997 के प्रपत्र 5 में सूचना दी है, ने सूचित किया है कि उनका संगठन लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन कर रहा है। तथापि, सूचित न करने वाली अन्य कई एजेंसियों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को अपने अभिलेख अधिकारियों को नामित करना अपेक्षित होता है और इस कार्यालय आदेश की एक प्रति लोक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयाजित अभिलेख प्रबंधन पर अभिविन्यास पाठ्यक्रमों के लिए भेजी जानी होती है। प्राप्त सूचना के अनुसार जहां किसी संगठन या संस्थान ने किसी अभिलेख अधिकारी को सूचित किया है, उसे अभिलेख प्रबंधन में अनिवार्य तौर पर प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार में आयोजित किए जाने वाले अनेक अभिविन्यास पाठ्यक्रमों पर विस्तृत सूचना विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस अवधि के दौरान आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रमों का ब्योरा अनुलग्नक–IV में दिया गया है। प्रत्येक मंत्रालय द्वारा नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने से स्थिति में सुधार होने की संभावना है क्योंकि अभिलेख महानिदेशक अब संबंधित मंत्रालय में अभिलेख प्रबंधन कार्यकलापों के बारे में किसी मुद्दे पर उनसे संपर्क कर सकते हैं।**

National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) Limited, Faridabad (Ministry of Power); NALCO, Bhubaneswar (Ministry of Mines); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); Tribal Co-Operative Marketing Development Federation of India Ltd., (TRIFED)New Delhi (Ministry of Tribal Affairs); Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai (Ministry of Petroleum and Natural Gas); Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur (Ministry of Mines)

5.7 The following Public Sector Undertakings have reported that they do not have trained Records Officers:

National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textiles); WAPCOS Limited, New Delhi (Ministry of Water Resources); IRCON International Limited, New Delhi, (Ministry of Railways); Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)

5.8 **Analysis- All the records creating agencies that have provided information in Form 5, Public Records Rules, 1997 have reported that their organization is complying with the mandatory provision of Public Records Act, 1993. However, the status of many others who have not reported is unclear. All records creating agencies are required to nominate their Records Officers and a copy of this office order is required to be forwarded to Director General, National Archives of India, as per provision of Rule 3 of the Public Records Rules, 1997. The Officers are to be sent for Orientation Courses on Records Management conducted by National Archives of India. As per the reports received even where an organization or institution has nominated a Records Officer, he is not necessarily trained in Records Management. Detailed information on the Calendar is available on the Departmental website. Details of the Orientation Courses conducted during the period are at *Annexure IV*. With the appointment of nodal officers by each of the Ministries, the situation is expected to improve as the Director General of Archives can contact him on any issues related to the Records Management activities within the Ministry concerned.**

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–6

अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों के लिए स्थान की भागीदारी

यह देखा गया है कि अर्द्ध–प्रचलित चरण में अभिलेखों का उनकी अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अच्छी तरह ध्यान नहीं रखा जाता, विशेषकर ऐसे मामलों में जहाँ अलग से अभिलेख कक्ष नहीं बनाए गए हैं। इन अधिकांश अभिलेखों को गलियारों में रख दिया जाता है या अलमारियों में बेतरतीब ढंग से रख दिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति अभिलेखों के रखरखाव के लिए उपयुक्त नहीं है और परिणामस्वरूप इनमें से कई अभिलेख, जिनमें महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, कट–फट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से उनके एनेक्सी भवन, नई दिल्ली में तथा भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय तथा जयपुर, पुड्डुचेरी और भुवनेश्वर के अभिलेख केंद्रों में स्थान की भागीदारी करने का प्रस्ताव दे रहा है। इस संबंध में कुल 21 अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने सूचना भेजी है, उनमें से 11 सरकारी और 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। इनमें से किसी ने भी राष्ट्रीय अभिलेखागार के किसी परिसर में उपलब्ध जगह का इस्तेमाल करने की इच्छा नहीं दर्शाई है। इस संबंध में प्राप्त उत्तरों के विवरण इस प्रकार हैं:

6.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि वे वर्तमान में राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, भोपाल में उसके क्षेत्रीय कार्यालय तथा जयपुर, पुड्डेचरी और भुवनेश्वर में अपने अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों को रखने के लिए स्थान की भागीदारी के लिए तैयार नहीं हैं:

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय); महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली; उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली; अंतर राज्यीय परिषद सचिवालय, (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली; केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर (कृषि मंत्रालय); जल संसाधन, नई दिल्ली; ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी), (जल संसाधन मंत्रालय); बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, रीवा (जल संसाधन मंत्रालय); खान मंत्रालय, नई दिल्ली; योजना आयोग, नई दिल्ली; राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, खान मंत्रालय; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर, (जल संसाधन मंत्रालय); रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय; केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय; भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली, नागर विमानन मंत्रालय; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (खान मंत्रालय)।

6.2 रेल मंत्रालय, नई दिल्ली और अंतर राज्यीय परिषद, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय) ने सूचित किया है कि वह राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थल बांटने को इच्छुक हैं।

6.3 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि वे विभिन्न कारणों से अभिलेख भण्डारण स्थल बांटने के इच्छुक नहीं हैं:

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी), लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); नाल्को, भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स

CHAPTER-6

SHARING OF SPACE FOR SEMI-CURRENT RECORDS

It has been observed that during their semi-current stage the records are not well cared for by the records creating agencies, especially in cases where a separate records room has not been organised. Most of these records are placed in the corridors or stacked haphazardly in the Almirahs. Such conditions are not conducive for the health of the records resulting in wear and tear or destruction of many records containing valuable information. Keeping these issues in mind, National Archives of India has been inviting all the records creating agencies to share space in its headquarters at New Delhi and also in its Regional Office at Bhopal and its three Records Centres at Jaipur, Puducherry and Bhubaneswar. In all 21 records creating agencies have furnished information in this regard, out of which 11 are Government records creating agencies and 10 are Public Sector Undertakings. None of them are willing to take up the offer of sharing of space at any of the premises of the National Archives of India. Details of replies received in this regard are as follows:

6.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that they do not want to share space at present in the National Archives of India, New Delhi or its Regional Office at Bhopal and Records Centers at Jaipur, Puducherry and Bhubaneswar for housing their semi-current records:

Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources); Central Water Commission, New Delhi (Ministry of Water Resources); Directorate General, CRPF, New Delhi (Ministry of Home Affairs); Vice President's Secretariat, New Delhi; Inter–State Council Secretariat, New Delhi, (Ministry of Home Affairs); Central Agmark Laboratory, Nagpur (Ministry of Agriculture); Ministry of Water Resources, New Delhi; Upper Yamuna River Board (UYRB), (Ministry of Water Resources); Bansagar Control Board, Rewa (Ministry of Water Resources); Ministry of Mines, New Delhi; Planning Commission, New Delhi; National Institutes of Miners' Health, Ministry of Mines; Narmada Control Authority, Indore, (Ministry of Water Resources); Ministry of Defence, New Delhi; Central Plantation Crops Research Institute, ICAR, Ministry of Agriculture; Central Potato Research Institute, ICAR, Ministry of Agriculture; Airport Economic Regulatory Authority of India, New Delhi, Ministry of Civil Aviation; Indian Bureau of Mines, Nagpur (Ministry of Mines)

6.2 Ministry of Railways, New Delhi and Inter- State Council, New Delhi (Ministry of Home Affairs) has conveyed that it is willing to share space at National Archives of India

6.3 The following Public Sector Undertakings/ Statutory bodies/Authorities etc. do not want to share records storage space for varied reasons:

National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textiles); National

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); ट्राइब्ल को–ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलेपमेंट फेडरेशन लिमिटेड (ट्राइफेड), नई दिल्ली (जनजातीय कार्य मंत्रालय); वैपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय; चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय); खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, नागपुर (खान मंत्रालय); इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली, (रेल मंत्रालय); हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)।

6.4 विश्लेषण – अधिकांश मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय या भोपाल में क्षेत्रीय कार्यालय या जयपुर, भुवनेश्वर और पुड्डुचेरी में अभिलेख केन्द्रों पर राष्ट्रीय अभिलेखागार के साथ जगह बांटने के लिए इच्छुक नहीं है। अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों के लिए स्थान की भागीदारी के लिए अभिलेख सर्जक एजेंसियों से अनुरोध प्राप्त होने पर राष्ट्रीय अभिलेखागार राष्ट्रीय अभिलेखागार (मुख्यालय), नई दिल्ली तथा भोपाल में अपने क्षेत्रीय कार्यालय और जयपुर, पुड्डुचेरी और भुवनेश्वर में स्थित अपने तीन अभिलेख केन्द्रों में भी अपेक्षित जगह उपलब्ध करा सकता है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Hydroelectric Power Corporation (NHPC), Limited, Faridabad (Ministry of Power) ; NALCO, Bhubaneswar (Ministry of Mines); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); Tribal Co-Operative Marketing Development Federation of India Ltd. (TRIFED), New Delhi (Ministry of Tribal Affairs); WAPCOS Limited, New DelhiMinistry of Water Resources; Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai (Ministry of Petroleum and Natural Gas); Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur (Ministry of Mines); IRCON International Limited, New Delhi, (Ministry of Railways); Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)

6.4 **Analysis- Majority of the Ministries/ Departments and Public Sector Undertaking have reported that they are not keen on sharing space with the National Archives of India at its Headquarter at New Delhi or the Regional Office at Bhopal or the Record Centres at Jaipur, Bhubaneswar and Puducherry. On receipt of request from records creating agencies for sharing of space for their semi-current records, National Archives of India can provide the requisite space in its Regional Office at Bhopal and three of its Records Centers located at Jaipur, Puducherry and Bhubaneswar.**

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–7

अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण

प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी अपने दिन–प्रतिदिन के लेनदेन में अभिलेखों का सृजन करती है। महत्वपूर्ण अभिलेखों को अल्पावधि वाले अभिलेखों से पृथक करने और इनका उचित प्रबंधन/रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए भी, उनका समय पर अभिलेखन, पुनरीक्षण और विनष्टीकरण करने, आदि ऐसे आवश्यक कदम हैं जिन्हें सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा किया जाना आवश्यक है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ख) तथा लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का नियम 9 उपबंधित करता है कि किसी भी अभिलेख को अभिलेखन और समीक्षा के बगैर नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का नियम 9(1) आगे उपबंधित करता है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी को इस विषय पर राष्ट्रीय अभिलेखागार के समक्ष अर्ध वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को दिनांक 5 अप्रैल, 2011 को एक परिपत्र सं0 एफ.16–4/ 2011–आर.एम. जारी किया गया था जिसमें सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों, आदि सहित भारत सरकार के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। सूचना भेजने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची अनुलग्नक–ऽऽ में देखी जा सकती है। दिनांक 24 मई, 2014 के परिपत्र सं0 एफ.16–12क/2014–आर.एम. के उत्तर में निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों, आदि ने सूचना भेजी है। इन दोनों परिपत्रों के उत्तर में प्राप्त सूचना का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

7.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचना भेजी है कि वे अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण और अभिलेखों को नष्ट करने की कार्रवाई कर रहे हैं:

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय); महानिदेशालय, सीआरपीएफ, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर, (जल संसाधन मंत्रालय); अंतर राज्यीय परिषद सचिवालय, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर, (कृषि मंत्रालय); केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर (कृषि मंत्रालय); खान मंत्रालय, नई दिल्ली; रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली (रेल मंत्रालय); योजना आयोग, नई दिल्ली; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (खान मंत्रालय)।

7.2 निम्नलिखित अभिलेख सर्जक एसेंसियों ने सूचित किया है कि वे समय–समय पर अभिलेखन, समीक्षा और फाइलों को नष्ट करने का कार्य नहीं कर रहे हैं:

राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर (खान मंत्रालय); केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर, (कृषि मंत्रालय); बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, रीवा (जल संसाधन मंत्रालय)।

7.3 निम्नलिखित विभागों ने सूचित किया है कि अभिलेखन/समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है या अस्पष्ट

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-7

RECORDING, REVIEWING AND WEEDING OUT OF SEMI-CURRENT RECORDS

Every records creating agency creates records in their day-to-day transactions. To segregate the important records from those ephemeral in nature and to ensure their proper management/ maintenance, timely recording, reviewing and weeding of records are essential steps which are required to be taken by all the records creating agencies. Section 6(1) (b) of Public Records Act, 1993 and Rule 9 of Public Records Rules, 1997 stipulates that no record shall be destroyed without being recorded and reviewed. Rule 9(1) of the Public Records Rules, 1997 further stipulates that each records creating agency shall furnish half-yearly returns on the subject to National Archives of India. Accordingly, a circular letter No. F. 16-4/2011-RM dated 5 April, 2011 was issued to all Ministries/Departments wherein all the records creating agencies were requested to issue necessary directives to all the attached and subordinate offices including the Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc. A list of records creating agencies that have sent information may please be seen in ***Annexure-II***. In response to another circular letter No. 16-12A/2014-RM, dated 24 May 2014 the following Ministries/Departments/Offices and Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. have sent information. The analysis of information received in response to both these circulars is given below.

7.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that they are attending to the job of recording, reviewing and weeding of records:

Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources); Central Water Commission, New Delhi (Ministry of Water Resources); Directorate General, CRPF, New Delhi (Ministry of Home Affairs); Vice President's Secretariat, New Delhi; Narmada Control Authority, Indore, (Ministry of Water Resources); Inter –State Council Secretariat, New Delhi, (Ministry of Home Affairs); Ministry of Defence, New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Central Plantation Crops Research Institute, ICAR, (Ministry of Agriculture); Central Potato Research Institute, ICAR, (Ministry of Agriculture); Ministry of Mines, New Delhi; Railway Board, New Delhi (Ministry of Railways); Planning Commission, New Delhi; Indian Bureau of Mines, Nagpur (Ministry of Mines)

7.2 The following records creating agencies have reported that they are not attending to the work of periodical recording, reviewing and weeding of files:

National Institutes of Miners' Health, Nagpur (Ministry of Mines); Central Agmark Laboratory, Nagpur, (Ministry of Agriculture); Bansagar Control Board, Rewa (Ministry of Water Resources)

7.3 The following Departments have reported that there is no need for recording/ reviewing or have given vague reply:

उत्तर दिया है:

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी), (जल संसाधन मंत्रालय); भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली (नागर विमानन मंत्रालय)।

7.4 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/प्राधिकारियों आदि ने सूचित किया है कि वे अभिलेखन एवं समीक्षा कर रहे हैं तथा अभिलेखों को नष्ट कर रहे हैं:

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); नाल्को, भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); वैपकोस लिमिटेड, (जल संसाधन मंत्रालय) नई दिल्ली; चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय); इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली (रेल मंत्रालय)।

7.5 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने अपनी रिपोर्टें 'शून्य' प्रस्तुत की हैं:

ट्राइब्ल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलेपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली (जनजातीय कार्य मंत्रालय); खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, नागपुर (खान मंत्रालय)।

7.6 चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) ने सूचित किया है कि अभिलेखों का अभिलेखन/समीक्षा और नष्ट करने का कार्य चल रहा है।

7.7 हिन्दुस्तान एंटीबॉयोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय) ने सूचित किया है कि वे अभिलेखों का अभिलेखन/समीक्षा और उन्हें नष्ट करने की अपनी प्रणाली अपना रहे हैं।

7.8 विश्लेषण – लोक अभिलेख नियम, 1977 तथा केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय नियमावली के अंतर्गत अभिलेखन, पुनरीक्षण और सूचीकरण एक अनिवार्य प्रावधान है। अतः अभिलेख सर्जक एजेंसियों को पूरी गंभीरता के साथ कार्य करना होता है तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार को लोक अभिलेख नियम, 1977 के फार्म 7 में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करनी होती है। सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा लोक अभिलेख नियम 1997 के प्रपत्र 7 में अभिलेखों के अभिलेखन, पुनरुद्धार, सूचीकरण तथा विनष्टीकरण पर अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट भेजी जानी होती है तथा उपर्युक्त रिपोर्ट प्रपत्र 5 में प्राप्त सूचना तथा प्रपत्र 7 में प्रस्तुत छमाही रिपोर्टों पर आधारित होती है।

Upper Yamuna River Board (UYRB), (Ministry of Water Resources); Airport Economic Regulatory Authority of India, New Delhi (Ministry of Civil Aviation)

7.4 The following Public Sector Undertakings/Statutory Bodies/ Authorities, etc. have reported that they are attending to the recording, reviewing and weeding out of records:

National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textiles); National Hydroelectric Power Corporation (NHPC), Limited, Faridabad (Ministry of Power); NALCO, Bhubaneswar (Ministry of Mines); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); WAPCOS Limited, New Delhi (Ministry of Water Resources); Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai (Ministry of Petroleum and Natural Gas); IRCON International Limited, New Delhi (Ministry of Railways)

7.5 The followingare those Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. have furnished 'nil' reports:

Tribal Co-Operative Marketing Development Federation of India Ltd., New Delhi (Ministry of Tribal Affairs); Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur (Ministry of Mines)

7.6 Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai, (Ministry of Petroleum and Natural Gas) has reported that the work of Recording / Reviewing and Weeding out of records is under process.

7.7 Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers) has intimated that they are following their own system of Recording / Reviewing and weeding of records.

7.8 **Analysis- Recording, reviewing and indexing is a mandatory provision under The Public Records Rules, 1997 as also under the provision of Central Secretariat Manual of Office Procedure. Hence, the records creating agencies are required to carry out the work with all seriousness and submit the requisite information in Form 7 of The Public Records Rules, 1997. Half yearly report on the Recording, Reving, Indexing and Weeding out of records in Form 7 of the Public Records Rules, 1997 is to be sent by all record creating agencies and above report is based on information received in Form 5 as also the half yearly reports submitted in Form 7.**

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–8

अभिलेखों का सूचीकरण

किसी भी अभिलेख सर्जक एजेंसी की प्रशासनिक दक्षता, प्राधिकारियों द्वारा समय पर सूचना देने और निर्णय लेने पर निर्भर करती है। अभिलेखों से तुरंत सूचना प्राप्त करने के लिए अच्छे संदर्भ मीडिया और वार्षिक विभागीय सूचियों को अभिलेखों का श्रेणी 'क' और 'ख' में नियमित रूप से संकलन करना अनिवार्य होता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से इस संबंध में की गई कारवाई से संबंधित सूचना लोक अभिलेख नियम, 1997 के फार्म 5 में देने का अनुरोध किया था (परिपत्र सं0 एफ.16–12(क)/2014–आर.एम. दिनांक 24 मई, 2014 देखें)। प्राप्त सूचना का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

8.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि उन्होंने सूचियों का संकलन कर लिया है या संकलन कार्य चल रहा है:

महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय)।

8.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने कई तरह के नकारात्मक उत्तर भेजे हैं उदाहरण के लिए संकलन नहीं कर रहे हैं, आवश्यक नहीं है, अपेक्षित नहीं है, शून्य रिपोर्टें, आदि:

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय); भारत के उप–राष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर (खान मंत्रालय); अंतर राज्यीय परिषद सचिवालय, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर, (कृषि मंत्रालय); रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (कृषि मंत्रालय); ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी), (जल संसाधन मंत्रालय), बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, रीवा, (जल संसाधन मंत्रालय); केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (कृषि मंत्रालय); भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली (नागर विमानन मंत्रालय); खान मंत्रालय, नई दिल्ली; रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली (रेल मंत्रालय); योजना आयोग (विभागीय अभिलेख कक्ष), नई दिल्ली; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (खान मंत्रालय)।

8.3 ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय) ने सूचित किया है कि सूची तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।

8.4 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों ने विविध नकारात्मक उत्तर भेजे हैं जैसे "संकलन नहीं कर रहे हैं, आवश्यक नहीं है, अपेक्षित नहीं है, शून्य":

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-8

INDEXING OF RECORDS

Administrative efficiency of a records creating agency depends upon the timely furnishing of information to the decision making authorities. To facilitate quick retrieval of information from records, a good reference media and regular compilation of annual departmental indices of 'A' and 'B' Category of records is necessary. The National Archives of India had requested all the records creating agencies (vide its circular No. 16-12(A)/2014-RM dated 24 May 2014) to furnish information in Form 5, Public Records Rules, 1997 on the action taken by them. Details of information reported is as follows:

8.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that they have compiled indices or compilation of indices is in progress:

Directorate General, Central Reserve Police Force (CRPF), New Delhi (Ministry of Home Affairs); Ministry of Personnel, P.G. & Pensions, Department Of Personnel & Training, New Delhi; Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources)

8.2 The following Ministries/Departments/Offices/ Committees have sent varied negative responses e.g. not compiling, not necessary, not required, nil reports, etc.:

Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources);Central Water Commission, New Delhi (Ministry of Water Resources); Secretariat of the Vice-President of India, New Delhi; National Institutes of Miners' Health, Nagpur (Ministry of Mines); Inter –State Council Secretariat, New Delhi (Ministry of Home Affairs); Central Agmark Laboratory, Nagpur, (Ministry of Agriculture); Ministry of Defence, New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Central Plantation Crops Research Institute, ICAR,(Ministry of Agriculture); Upper Yamuna River Board (UYRB), (Ministry of Water Resources);Bansagar Control Board, Rewa, (Ministry of Water Resources); Central Potato Research Institute, ICAR (Ministry of Agriculture); Airport Economic Regulatory Authority of India, New Delhi (Ministry of Civil Aviation); Ministry of Mines, New Delhi; Railway Board, New Delhi (Ministry of Railways); Planning Commission (Departmental Record Room), New Delhi; Indian Bureau of Mines,Nagpur (Ministry of Mines)

8.3 Upper Yamuna River Board, New Delhi (Ministry of Water Resources) has reported that preparation of Indices is not required.

8.4 The following Public Sector Undertakings have sent varied negative responses including "Not compiling, not necessary, not required, nil.

National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textiles); National

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); नाल्को, भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); ट्राइबल को–ऑपरेटिव मार्किटिंग डेवलेपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली; (जनजातीय कार्य मंत्रालय); खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, नागपुर (खान मंत्रालय); इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली (रेल मंत्रालय); हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)।

8.5 वैपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय) ने सूचित किया है कि इसे वार्षिक आधार पर किया जाएगा तथा चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) ने सूचित किया है कि इसे जल्दी ही किया जाएगा। नेशनल हाइड्रोइलक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएचपीसी), फरीदाबार ने सूचित किया है कि 'अपेक्षित नहीं है'।

8.6 विश्लेषण – अभिलेख सर्जक एजेंसियों का अनिवार्य दायित्व लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 में विनिर्दिष्ट अनुसार सूचियां तैयार करना है। तथापि, अधिकांश मंत्रालयों / विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा यह कार्यकलाप काफी समय से नहीं किया जा रहा है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Hydroelectric Power Corporation (NHPC) Limited, Faridabad (Ministry of Power); NALCO, Bhubaneswar (Ministry of Mines); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata (Ministry of Chemicals & Fertilizers); Tribal Co-Operative Marketing Development Federation of India Ltd., New Delhi (Ministry of Tribal Affairs); Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur (Ministry of Mines); IRCON International Limited, New Delhi (Ministry of Railways); Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)

8.5 WAPCOS Limited, New Delhi (Ministry of Water Resources) has reported that it will be done annually and Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai (Ministry of Petroleum and Natural Gas) has reported that it will be done in due course. National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC), Faridabad has reported that it is ' Not Required'.

8.6 **<u>Analysis</u>: Preparation of Indices is a mandatory responsibility of the records creating agencies as specified in the Public Records Act, 1993. However, over a time this activity is not being undertaken by most of the Ministries/ Departments/ Public Sector Undertakings.**

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–9

अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ड.) के अंतर्गत परिकल्पित अनुसार स्थायी कार्यों से संबंधित अपना सरकारी कामकाज करते समय प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर ऐसी प्रतिधारण सारणी संबंधी एक ठोस अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के लिए एक सुव्यवस्थित अभिलेख प्रतिधारण सारणी की आवश्यकता होती है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि द्वारा सृजित किए जा रहे विभिन्न अभिलेख समूहों के लिए प्रतिधारण अवधि निर्धारित की गई हो। ऐसी प्रतिधारण सारणियों का उक्त अधिनियम की उपर्युक्त धारा के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार से परामर्श करके संकलन किया जाना चाहिए। कुल 26 अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने परिपत्र सं0 एफ.16–12(क)/2014–आर.एम. दिनांक 24 मई, 2014 के संदर्भ में उत्तर दिया है जिसमें वर्ष 2010 की मौजूदा रिपोर्ट का संकलन करने के संबंध में अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची बनाने की सूचना माँगी गई थी। इनमें से 12 सरकारी अभिलेख सर्जक एजेंसियां हैं और 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आदि हैं। प्राप्त उत्तरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

9.1 निम्नलिखित कार्यालयों ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन कर लिया है:

केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय); रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली, (रेल मंत्रालय); भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (खान मंत्रालय)।

9.2 निम्नलिखित अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने अपने अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन नहीं किया है और 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं:

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग, (जल संसाधन मंत्रालय) नई दिल्ली; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय); अंतर राज्यीय परिषद, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, इंदौर (खान मंत्रालय); नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय)।

9.3 इस संबंध में उप राष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर (कृषि मंत्रालय) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना स्पष्ट नहीं है।

9.4 महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), नई दिल्ली (गृह मंत्रालय) ने सूचित किया है कि उनके द्वारा डीओपीएंडटी द्वारा प्रकाशित प्रतिधारण अनुसूची का पालन किया जा रहा है और खान मंत्रालय (अभिलेख प्रकोष्ठ), सीजीओ परिसर, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि वे केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियमावली द्वारा प्रकाशित प्रतिधारण अनुसूची का पालन कर रहे हैं।

9.5 केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर, कृषि मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रतिधारण अनुसूची का संकलन करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-9

COMPILATION OF RETENTION SCHEDULES FOR RECORDS BY RECORDS CREATING AGENCIES

A sound records management system requires a well drawn up records retention schedule and laying down of correct retention periods for various records groups created by different Ministries/Departments/ Offices/Public Sector Undertakings etc. while conducting their official business pertaining to substantive functions, as envisaged under Section 6(1)(e) of the Public Records Act, 1993. Such retention schedules should be compiled in consultation with the National Archives of India under the aforesaid section of the said Act. In all, 26 records creating agencies have furnished information in response to the circular letter No.F. 16-12(A)/2014-RM dated 24 May 2014 on formulation of records retention schedules in connection with compiling the present report for the year 2010. Out of these, 12 are Government Records Creating Agencies and 14 belong to the Public Sector. Details of the replies received are indicated below:-

9.1 The following offices have informed that they have compiled retention schedules:

Central Water Commission, New Delhi (Ministry of Water Resource); Ministry of Defence, New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Railway Board, New Delhi, (Ministry of Railways); Indian Bureau of Mines, Nagpur (Ministry of Mines)

9.2 The following records creating agencies have not compiled retention schedules of their records and have furnished 'nil', Not Applicable' reports:

Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources); Central Water Commission, New Delhi (Ministry of Water Resources); Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources); Inter State Council, Ministry of Home Affairs; National Institutes of Miners' Health, Indore (Ministry of Mines); Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources);

9.3 Report furnished by Vice President's Secretariat, New Delhi and Central Agmark Laboratory, Nagpur (Ministry of Agriculture) in this regard is not clear/ vague.

9.4 Directorate General, Central Reserve Police Force (CRPF) New Delhi (Ministry of Home Affairs) has informed that Retention Schedule brought out by DOP&T is being followed by them and Ministry of Mines (Record-Cell), CGO Complex, New Delhi has reported that it is following the Retention Schedule brought out by Central Secretariat Manual of Office Procedures

9.5 Central Plantation Crops Research Institute, ICAR, Ministry of Agriculture has reported that they have initiated the process of compiling the Retention Schedule

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

9.6 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन किया है:

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय)।

9.7 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उन्होंने अभी अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों के संकलन का कार्य प्रारंभ नहीं किया है और अपनी रिपोर्ट 'शून्य' भेजी है:

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्किटिंग डेवलेपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (ट्राइफेड), नई दिल्ली (जनजातीय कार्य मंत्रालय); वैपकोस लिमिटेड, (जल संसाधन मंत्रालय) नई दिल्ली; खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, नागपुर (खान मंत्रालय); इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली, रेल मंत्रालय; हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)।

9.8 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके यहां कार्रवाई की जा रही है:

नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर (खान मंत्रालय)।

9.9 विश्लेषण – यह देखा गया है कि बहुत कम मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने अपनी अभिलेख प्रतिधारण सारणियों का संकलन किया है और हमेशा से 'शून्य' रिपोर्ट भेज रहे हैं। कुछ मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने यह भी सूचित किया है कि वे अपनी निजी प्रणाली अपना रहे हैं। चूंकि अभिलेख प्रतिधारण सारणी का संकलन एक अनिवार्य प्रावधान है अतः सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से उनकी अभिलेख प्रतिधारण सारणियों को तैयार करने तथा इसके कार्यान्वयन से पूर्व भारतीय अभिलेखागार से जांच कराने की अपेक्षा की जाती है। भारतीय अभिलेखागार उन सभी सर्जक एजेंसियों को सहायता देगा जिन्होंने अभी तक अपनी प्रतिधारण सारणियां तैयार नहीं की हैं या उनमें संशोधन नहीं किया है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

9.6 The following Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. have compiled their retention schedules:

National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC), Faridabad (Ministry of Power); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals, Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai (Ministry of Petroleum and Natural Gas);

9.7 The following Public Sector Undertakings have informed that they have not yet started work on the compilation of the records retention schedules and have submitted 'nil' reports:

National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textiles); Tribal Co-Operative Marketing Development Federation of India Ltd., (TRIFED) New Delhi (Ministry of Tribal Affairs); WAPCOS Limited, New Delhi (Ministry of Water Resources); Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur (Ministry of Mines); IRCON International Limited, New Delhi, Ministry of Railways; Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers);

9.8 The following Public Sector Undertakings have reported that the work is in progress:

National Aluminium Corporation Limited (NALCO), Bhubaneswar (Ministry of Mines)

9.9 **Analysis- It has been observed that very few Ministries/Departments/Offices have compiled their records retention schedules and are furnishing 'nil' reports. Some of Ministries/ Departments/Offices have also informed that the preparation of retention schedules are following their own system. Since the compilation of record retention schedule is a mandatory provision, all records creating agencies are required to expedite the preparation of their record retention schedules and get it vetted by National Archives of India before its implementation. The National Archives of India would assist all creating agencies who have not prepared or revised their retention schedules so far.**

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–10

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण अभिलेख प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(च) और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 7 अपने क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों के लिए अपने वर्गीकृत अभिलेखों को पाँच वर्षों में एक बार समीक्षा को अनिवार्य बनाता है ताकि इनकी श्रेणी को घटाया जा सके। इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों सहित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को दिनांक 24 मई, 2014 को एक परिपत्र सं0 एफ.16–3/2014–आर.एम. जारी किया गया था। सूचना भेजने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची अनुलग्नक–ण्ण् में देखी जा सकती है। विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अपने वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करने के विषय पर उपलब्ध कराई गई सूचना नीचे दी गई है:

10.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने अपने वर्गीकृत अभिलेखों को विवर्गीकृत किया है या उन्होंने इस संबंध में कार्रवाई प्रारंभ की है:

रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर, कृषि मंत्रालय।

10.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने विभिन्न रिपोर्टें भेजी हैं जैसे 'लागू नहीं होता', 'शून्य' और 'वर्गीकृत अभिलेख नहीं हैं':

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर (खान मंत्रालय); नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय); अंतर–राज्यीय परिषद सचिवालय, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर (कृषि मंत्रालय); भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली (नागर विमानन मंत्रालय); खान मंत्रालय (अभिलेख प्रकोष्ठ), सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली; रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली (रेल मंत्रालय); योजना आयोग (विभागीय अभिलेख कक्ष), नई दिल्ली; सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय)।

10.3 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों ने सूचित किया है कि कार्य चल रहा है:

केन्द्रीय जल आयोग, (जल संसाधन मंत्रालय) नई दिल्ली; महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान, आईसीएआर (कृषि मंत्रालय)।

10.4 ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी), (जल संसाधन मंत्रालय); राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर (खान मंत्रालय) ने सूचित किया है कि उनकी अभिरक्षा में ऐसे अभिलेख नहीं हैं।

CHAPTER-10

DOWNGRADING OF CLASSIFIED RECORDS

Downgrading of classified records is one of the most important aspects of records management. Section 6 (1)(f) of Public Records Act, 1993 and Rule 7 of Public Records Rules, 1997, lays down that all records creating agencies falling within the purview of said Act shall review all these classified files once in five years with a view to downgrading them. A circular letter No. 16-3/2014-RM dated 24 May 2014 was issued to this effect to all Ministries/ Departments/Offices including Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. A list of records creating agencies (RCAs) who have sent information may please be seen at ***Annexure-III***. Information provided by various Records Creating Agencies on the issue of declassifying their classified records is given below:

10.1 The following Ministries/Departments/Offices have downgraded their classified records or that they have initiated action in this regard:

Ministry of Defence, New Delhi; Central Plantation Crops Research Institute, ICAR, Ministry of Agriculture

10.2 The following Ministries/Departments/Offices have given varying reports like ' Not Applicable', ' Nil' and 'Do not have classified records' :

Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources); National Institutes of Miners' Health, Nagpur (Ministry of Mines) ; Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources); Inter –State Council Secretariat, New Delhi (Ministry of Home Affairs); Ministry of Water Resources, New Delhi; Central Potato Research Institute, ICAR, (Ministry of Agriculture) ; Airport Economic Regulatory Authority of India, New Delhi (Ministry of Civil Aviation); Ministry of Mines (Record-Cell), CGO Complex, New Delhi; Railway Board, New Delhi (Ministry of Railways); Planning Commission (Departmental Record Room), New Delhi; Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources)

10.3 The following Ministries/ Departments have reported that the work is in progress:

Central Water Commission, New Delhi (Ministry of Water Resources); Directorate General, Central Reserve Police Force (CRPF), New Delhi (Ministry of Home Affairs); Central Plantation Crops Research Institute, ICAR, (Ministry of Agriculture)

10.4 Upper Yamuna River Board (UYRB), (Ministry of Water Resources); National Institutes of Miners' Health, Nagpur (Ministry of Mines) have reported that they have no such records in their custody.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

10.5 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि वे अपने वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण कर रहे हैं:

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली, रेल मंत्रालय।

10.6 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि वे अपने वर्गीकृत अभिलेखों की आवधिक समीक्षा और विवर्गीकरण नहीं कर रहे हैं:

एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); नाल्को, भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); ट्राइबल को–ऑपरेटिव मार्किटिंग डेवलेपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड), नई दिल्ली (जनजातीय कार्य मंत्रालय); वैपकोस लिमिटेड, (जल संसाधन मंत्रालय) नई दिल्ली; चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई, (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय); खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, नागपुर, (खान मंत्रालय); हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय)।

10.7 विश्लेषण – यह देखा गया है कि बहुत कम मंत्रालय/विभाग/कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने वर्गीकृत अभिलेखों का नियमित रूप से विवर्गीकरण कर रहे हैं और इस संबंध में राष्ट्रीय अभिलेखागार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। अधिकांश मंत्रालयों/विभागों ने सूचित किया है कि उनके पास कोई वर्गीकृत अभिलेख नहीं हैं या गैर–प्रतिबद्ध उत्तर दिया है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

10.5 The following Public Sector Undertakings have informed that they are downgrading their classified records:

National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textile); IRCON International Limited, New Delhi, Ministry of Railways

10.6 The following Public Sector Undertakings have informed that they are not undertaking periodical review and downgrading of classified records:

NHPC, Limited, Faridabad (Ministry of Power); NALCO, Bhubaneswar (Ministry of Mines); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); Tribal Co-Operative Marketing Development Federation of India Ltd. (TRIFED), New Delhi (Ministry of Tribal Affairs); WAPCOS Limited, New Delhi (Ministry of Water Resources); Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai, (Ministry of Petroleum and Natural Gas); Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur, (Ministry of Mines); Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers);

10.7 **Analysis- It has been observed that very few Ministries/Departments/ Offices are declassifying their classified records regularly and submitting the report in this regard to National Archives of India. Most of the Ministries/ Departments/Offices/ Public Sector Undertakings are not downgrading their classified records. Many of the Ministries/ Departments have informed that no classified records are lying with them or have given non-committal responses**

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–11

निष्क्रिय आयोग / समितियाँ

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(झ) के साथ पठित धारा 3(2)(ठ) के अनुसरण में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निष्क्रिय निकायों के अभिलेखों के अंतरण से संबंधित सूचना एकत्र करने के प्रयास जारी रखे ताकि उन्हें वैज्ञानिक तरीकों से संरक्षित रखा जा सके और शोधकर्ताओं के परामर्श के लिए उपलब्ध कराया जाए। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे निष्क्रिय निकायों के अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनमें निहित सूचना उन परिस्थितियों को समझने, जिनमें उनका गठन किया गया, और उनके द्वारा किए गए कार्य को जानने के लिए स्रोत सामग्री का काम करती है। इस संबंध में सूचना एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को दिनांक 24 मई, 2014 का एक परिपत्र सं0 16–5/2014–आर.एम. जारी किया था। कुल 26 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि ने सूचना भेजी है। इनमें से 12 सरकारी अभिलेख सर्जक एजेंसियां हैं और 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है।

11.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि ने सूचित किया है कि उनके पास निष्क्रिय निकायों के कोई अभिलेख नहीं हैं:

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग, (जल संसाधन मंत्रालय) नई दिल्ली; महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली; भारत के उप–राष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर (खान मंत्रालय); नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय); अंतर राज्यीय परिषद सचिवालय, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर, (कृषि मंत्रालय); रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर (कृषि मंत्रालय); ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी), (जल संसाधन मंत्रालय); बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, रीवा (जल संसाधन मंत्रालय); केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर (कृषि मंत्रालय); खान मंत्रालय, नई दिल्ली, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली (नागर विमानन मंत्रालय), नई दिल्ली; रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली (रेल मंत्रालय); योजना आयोग (विभागीय अभिलेख कक्ष), नई दिल्ली; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (खान मंत्रालय)।

11.2 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कॉर्पोरेशनों/सांविधिक निकायों आदि ने 'उन पर लागू नहीं होता' या 'शून्य' रिपोर्ट भेजी हैं:

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); एनएचपीसी, लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); नाल्को, भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); ट्राइबल को–ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (जनजातीय कार्य मंत्रालय); वैपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय); चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय); खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, नागपुर, (खान मंत्रालय); इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली, रेल मंत्रालय; हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध

CHAPTER-11

DEFUNCT COMMISSIONS/COMMITTEES

In pursuance of Section 3(2) (n) read with Section 6(1) (I) of Public Records Act, 1993, National Archives of India continued its efforts to gather information in respect of transferring of records of defunct bodies with a view to preserve them in a scientific manner and to make them available for consultation by the researchers. It is needless to mention here that the records of such defunct bodies are very important as information contained therein serves as valuable source material for understanding the circumstances under which these were set up and the work accomplished by them. To collect information in this regard, National Archives of India issued circular letter No. 16-5/2014-RM dated 24 May 2014 to all records creating agencies. In all, 26 Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings etc. have furnished information. Out of these, 12 are Government records creating agencies and 14 are Public Sector Undertakings. Detailed analysis of information received is indicated below:

11.1 The following Ministries/Departments/Offices etc. have intimated that they do not have any records of defunct bodies:

Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources); Central Water Commission, New Delhi (Ministry of Water Resources); Directorate General, CRPF, New Delhi (Ministry of Home Affairs); Secretariat of the Vice-President of India, New Delhi; National Institutes of Miners' Health, Nagpur (Ministry of Mines); Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources); Inter –State Council Secretariat, New Delhi (Ministry of Home Affairs); Central Agmark Laboratory, Nagpur, (Ministry of Agriculture); Ministry of Defence, New Delhi ; Ministry of Water Resources, New Delhi; Central Plantation Crops Research Institute, ICAR, (Ministry of Agriculture); Upper Yamuna River Board (UYRB), (Ministry of Water Resources); Bansagar Control Board, Rewa (Ministry of Water Resources); Central Potato Research Institute, ICAR, (Ministry of Agriculture); Airport Economic Regulatory Authority of India, New Delhi (Ministry of Civil Aviation);Ministry of Mines, New Delhi; Railway Board, New Delhi (Ministry of Railways); Planning Commission (Departmental Record Room), New Delhi; Indian Bureau of Mines, Nagpur (Ministry of Mines)

11.2 The following Public Sector Undertakings/Corporations/Statutory Bodies etc. have submitted 'Not applicable to them' or 'Nil' reports :

National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textiles); NHPC, Limited, Faridabad (Ministry of Power); NALCO, Bhubaneswar (Ministry of Mines); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); Tribal Co-Operative Marketing Development Federation of India Ltd., (Ministry of Tribal Affairs); WAPCOS Limited, New Delhi (Ministry of Water Resources); Chennai Petroleum

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)।

11.3 विश्लेषण – संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों में कार्य कर रहे विभागीय अभिलेख अधिकारियों में निष्क्रिय आयोगों/समितियों के अभिलेखों के ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के प्रति एजेंसियों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। राष्ट्रीय अभिलेखागार इसे संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों में अभिविन्यास पाठ्यक्रमों या एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करके प्राप्त करने का प्रयास करता है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Corporation Limited, Chennai, (Ministry of Petroleum and Natural Gas); Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur, (Ministry of Mines); IRCON International Limited, New Delhi, Ministry of Railways; Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers);

11.3 **Analysis- There is a need to arouse consciousness agencies for the historical and administrative importance of the records of the defunct Commissions/ Committees amongst the Departmental Records Officers working in the concerned records creating agencies. National Archives of India strives to achieve it through organising orientation courses or one day workshop in the concerned records creating agencies.**

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–12

अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अप्रचलित अभिलेखों पर आरंभ की गई कार्रवाई

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ग) के अंतर्गत मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन करना एक सांविधिक आवश्यकता है। यदि इसे कार्यान्वित किया जाए तो इससे नए अभिलेखों को वैज्ञानिक ढंग से रखने के लिए अतिरिक्त शेल्फ जगह उपलब्ध होगी तथा स्थायी प्रकृति के अभिलेखों का अंतरण करने की सुविधा भी होगी। उपर्युक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को दिनांक 24 मई, 2014 का परिपत्र सं0 16–12क / 2014–आर.एम. जारी किया गया था ताकि इस संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाई का पता लगाया जा सके। उपर्युक्त परिपत्र के उत्तर में 26 मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचना दे दी है। प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है:

12.1 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने सूचित किया है कि वे अपने अभिलेखों का मूल्यांकन करा रहे हैं:

रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर (कृषि मंत्रालय); रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली, (रेल मंत्रालय); योजना आयोग (विभागीय अभिलेख कक्ष), नई दिल्ली; खान मंत्रालय, नई दिल्ली; महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), नई दिल्ली (गृह मंत्रालय)।

12.2 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों आदि ने सूचित किया है कि उन्होंने अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन नहीं किया है:

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); भारत के उप–राष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर (खान मंत्रालय); नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय); अंतर राज्यीय परिषद सचिवालय, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी), (जल संसाधन मंत्रालय); बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, रीवा, (जल संसाधन मंत्रालय); केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर, देहरादून (कृषि मंत्रालय); भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली, नागर विमानन मंत्रालय; केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर (कृषि मंत्रालय); भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (खान मंत्रालय)।

12.3 केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय) ने सूचित किया है कि वे कार्य का मूल्यांकन करा रहे हैं।

12.4 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / कॉर्पोरेशनों / सांविधिक निकायों आदि ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने अभिलेखों का मूल्यांकन कराया है या करा रहे हैं:

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता; नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ACTION INITIATED BY RECORDS CREATING AGENCIES ON APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

Appraisal of non-current records of the Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings is a statutory requirement under Section 6(1)(c) of the Public Records Act, 1993. If implemented this provides additional shelf space for the scientific storage of fresh records and also facilitates the transfer of records of permanent nature. Keeping in view the above said provision, a circular letter No. 16-12A/2014-RM dated 24 May 2014 was issued to all Records Creating Agencies so as to ascertain the extent of action initiated by them in this regard. In response to the aforementioned circular, 26 Ministries/ Departments/Offices and Public Sector Undertakings have furnished information. Detailed analysis of information received is indicated below:

12.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that work of getting their records appraised is being done:

Ministry of Defence, New Delhi; Central Plantation Crops Research Institute, ICAR, (Ministry of Agriculture); Railway Board, New Delhi, (Ministry of Railways); Planning Commission (Departmental Record Room), New Delhi; Ministry of Mines, New Delhi; Directorate General, Central Reserve Police Force (CRPF), New Delhi (Ministry of Home Affairs)

12.2 The following Ministries/Departments/Offices etc. have intimated that they have not conducted appraisal of non-current records:

Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources); Secretariat of the Vice-President of India, New Delhi; National Institutes of Miners' Health, Nagpur (Ministry of Mines); Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources); Inter – State Council Secretariat, New Delhi (Ministry of Home Affairs); Ministry of Water Resources, New Delhi; Upper Yamuna River Board (UYRB), (Ministry of Water Resources); Bansagar Control Board, Rewa, (Ministry of Water Resources); Central Potato Research Institute, ICAR, Dehra dun (Ministry of Agriculture); Airport Economic Regulatory Authority of India, New Delhi, Ministry of Civil Aviation; Central Agmark Laboratory, Nagpur (Ministry of Agriculture); Indian Bureau of Mines, Nagpur (Ministry of Mines)

12.3 Central Water Commission, New Delhi (Ministry of Water Resources) has informed that they are getting the work assessed.

12.4 The following Public Sector Undertakings/ Corporations/ Statutory Bodies, etc. have informed that

(एनएचपीसी), लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय)।

12.5 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कॉर्पोरेशनों/सांविधिक निकायों आदि ने अपने अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन नहीं कराया है:

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड), नई दिल्ली (जनजातीय कार्य मंत्रालय); वैपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय); खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, नागपुर, (खान मंत्रालय); इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली, रेल मंत्रालय; हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)।

12.6 विश्लेषणः प्राप्त सूचना के अनुसार अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन न करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की संख्या राष्ट्रीय अभिलेखागार सहित कार्य करने वाली एजेंसियों की तुलना में अधिक है। संस्कृति मंत्रालय के अनुमोदन से प्रारंभ की गई महत्वपूर्ण क्षेत्र परियोजनाओं के भाग के रूप में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ''विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अप्रचलित सार्वजनिक अभिलेखों के निरीक्षण और स्थानांतरण'' परियोजना के अंतर्गत मामले में अपनी ओर से कार्रवाई प्रारम्भ की है। इस परियोजना के माध्यम से नियमित मूल्यांकन करने, फाइलों की अंतरण सूची तैयार करने, इस विभाग के कस्टोमाइज्ड सॉफ्टवेयर अर्थात् एआईएमएस में अप्रचलित फाइलों की डॉटा एंट्री तथा उन्हें स्थायी वैज्ञानिक परिरक्षण को अंतरित करने की कार्रवाई को ऑउट सोर्सिंग के जरिए प्रशिक्षित अभिलेख सहायकों द्वारा किया जाता है। हालांकि इस मामले में संबंधित सर्जक एजेंसियों द्वारा भी गंभीर उपाय/कार्रवाई किए जाने अपेक्षित हैं।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

they have appraised or are getting their records appraised :

Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata; National Hydroelectric Power Corporation (NHPC), Limited, Faridabad (Ministry of Power); Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai (Ministry of Petroleum and Natural Gas);

12.5 The following Public Sector Undertakings/ Corporations/Statutory Bodies etc. have not appraised the non-current records:

National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textiles); National Aluminium Corporation Limited (NALCO), Bhubaneswar (Ministry of Mines); Tribal Co-Operative Marketing Development Federation of India Ltd. (TRIFED) New Delhi (Ministry of Tribal Affairs); WAPCOS Limited, New Delhi(Ministry of Water Resources); Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur, (Ministry of Mines); IRCON International Limited, New Delhi, Ministry of Railways; Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers);

12.6 **Analysis- As per the information received, the number of records creating agencies not getting their non- current records appraised exceeds those getting the work undertaken along with the National Archives of India. As part of the Critical Area Projects initiated with the approval of the Ministry of Culture National Archives of India has continued the action started last year under the project "Survey, inspection and transfer of non-current public records of various Ministries/ Departments". Through this project, regular appraisal, preparation of transfer lists of files, data entry of non-current files in the customized software of this department i.e. AIMS and their transfer to National Archives of India for permanent scientific preservation is done by trained Archival Assistants engaged through out-sourcing. However, serious steps/action is also required from the concerned records creating agencies in the matter.**

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–13

अभिलेख सर्जक एजेंसियों का संगठनात्मक इतिहास

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(झ) में यह निर्धारित किया गया है कि अभिलेख सर्जक एजेंसी को अपने संगठनात्मक इतिहास को संकलित करना चाहिए क्योंकि यह वर्षों से सृजित अभिलेखों का स्वरूप समझने के लिए आवश्यक साधन है। इस लेख में उसकी स्थापना, कार्य, विभिन्न स्कंधों, प्रभागों, इत्यादि के विकास के बारे में सूचना होनी चाहिए। इसके अनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि को दिनांक 24 मई 2014 के परिपत्र सं0 16–2/2014–आर.एम. जारी करते हुए उनसे अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन करने के लिए उनके द्वारा 2010 में की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना भेजने का अनुरोध किया था। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि से प्राप्त उत्तरों को नीचे संक्षेप में दिया गया है:–

13.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया कि उन्होंने संगठनों के इतिहास का संकलन किया है और उनकी प्रतियां प्रस्तुत की हैं:

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली, जल संसाधन मंत्रालय; उपराष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर (खान मंत्रालय); नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय); भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (खान मंत्रालय)।

13.2 अंतर राज्यीय परिषद, नई दिल्ली; केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर, कृषि मंत्रालय ने इस संबंध में कार्रवाई प्रारंभ की है।

13.3 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने 'शून्य' सूचना प्रस्तुत की हैं:

महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); अंतर राज्यीय परिषद सचिवालय (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली; केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर (कृषि मंत्रालय); रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (कृषि मंत्रालय); ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी), (जल संसाधन मंत्रालय); बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, रीवा (जल संसाधन मंत्रालय); केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर (कृषि मंत्रालय); भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली (नागर विमानन मंत्रालय); खान मंत्रालय, नई दिल्ली; रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली (रेल मंत्रालय); योजना आयोग (विभागीय अभिलेख कक्ष), नई दिल्ली।

13.4 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्रों/सांविधिक निकायों/समितियों/कॉर्पोरेशनों/आयुक्तों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन किया है:

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी), लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); ट्राइबल को–ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड), नई दिल्ली (जनजातीय कार्य

CHAPTER-13

ORGANISATIONAL HISTORY OF RECORDS CREATING AGENCIES

Section 6 (1)(i) of the Public Records Act, 1993 stipulates that each records creating agency shall compile its organisational history, as it is an essential tool for having proper appreciation of the nature of records generated by it over the years. This write up should include the information about its setting up, functions, growth of different wings, divisions etc. In accordance with this, National Archives of India issued a circular letter No. 16-2/2014-RM dated 24 May 2014 to all Ministries/ Departments/Offices/ Public Sector Undertakings etc. requesting them to furnish the information with regard to the action taken by them during the year 2010 for compiling their organisational histories. Response/s received from various Ministries/Departments/ Offices and Public Sector Undertakings etc. is summarized below:-

13.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that they have compiled organisational history and submitted copies of the same:

Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources); Central Water Commission, New Delhi Ministry of Water Resources; Vice President's Secretariat, New Delhi; National Institutes of Miners' Health, Nagpur (Ministry of Mines); Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources); Indian Bureau of Mines, Nagpur (Ministry of Mines)

13.2 Inter State Council, New Delhi ; Central Plantation Crops Research Institute, ICAR, Ministry of Agriculture have initiated action in this regard.

13.3 The following Ministries/ Departments/ Offices have submitted 'Nil'report:

Directorate General, Central Reserve Police Force (CRPF), New Delhi (Ministry of Home Affairs); Inter –State Council Secretariat, New Delhi (Ministry of Home Affairs); Central Agmark Laboratory, Nagpur (Ministry of Agriculture); Ministry of Defence, New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Central Plantation Crops Research Institute, ICAR, (Ministry of Agriculture); Upper Yamuna River Board (UYRB), (Ministry of Water Resources); Bansagar Control Board, Rewa (Ministry of Water Resources); Central Potato Research Institute, ICAR, (Ministry of Agriculture); Airport Economic Regulatory Authority of India, New Delhi (Ministry of Civil Aviation); Ministry of Mines, New Delhi; Railway Board, New Delhi (Ministry of Railways); Planning Commission (Departmental Record Room), New Delhi

13.4 The following Public Sector Undertakings/ Statutory bodies/ Committees/ Corporations/ Commissions have confirmed that they have compiled their organizational history:

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); वैपकोस, (जल संसाधन मंत्रालय); हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)।

13.5 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों ने 'नहीं', 'शून्य' सूचना दी है:

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय); खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, नागपुर, (खान मंत्रालय); इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली, रेल मंत्रालय।

13.6 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों ने सूचना दी है कि उनके संगठन का संगठनात्मक इतिहास तैयार करने का कार्य किया जा रहा है:

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); नाल्को, भुवनेश्वर (खान मंत्रालय)।

13.7 विश्लेषण – लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(i) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रतिवर्ष उनके संगठनात्मक इतिहास के संकलन पर सूचना प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष एक परिपत्र जारी करता है। हालांकि कुछ अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने सकारात्मक सूचना दी है, लेकिन बड़ी संख्या में अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने अभी तक अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन नहीं किया है। संबंधित अभिलेख एजेंसियों को अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन करने/उसे तैयार करने/अद्यतन बनाने के लिए गंभीर उपाय किए जाने अपेक्षित हैं और उसे राष्ट्रीय अभिलेखागार को प्रस्तुत करना चाहिए।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

National Hydroelectric Power Corporation (NHPC), Limited, Faridabad (Ministry of Power); Tribal Co-Operative Marketing Development Federation of India Ltd.(TRIFED) New Delhi (Ministry of Tribal Affairs); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); WAPCOS, (Ministry of Water Resources); Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)

13.5 The following Public Sector Undertakings have conveyed 'No', ' Nil' information:

Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai (Ministry of Petroleum and Natural Gas); Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur, (Ministry of Mines); IRCON International Limited, New Delhi, Ministry of Railways

13.6 The following Public Sector Undertakings have reported that the work of preparing Organizational History of their organization is under process:

National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textiles); NALCO, Bhubaneswar (Ministry of Mines)

13.7 **<u>Analysis</u>- As part of information being gathered on the implementation of section 6(1)(i) of the Public Records Act, 1993, National Archives of India issues a circular letter every year to all the Central Government Ministries/Departments and Public Sector Undertakings in respect of compilation of their organisational histories. Positive information has been provided by some of the records creating agencies and a large number of the records creating agencies have not compiled their organisational histories so far. Concerned record creating agencies need to understand the importance of compiling/preparing/updating their organisational histories and submit the same to the National Archives of India.**

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–14

''क' श्रेणी अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनाना

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों को देखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को 'क' श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनाने की सलाह दे रहा है। राष्ट्रीय अभिलेखागार मंत्रालयों द्वारा बनाई जा रही माइक्रोफिल्म के कार्य में तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। तथापि, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार माइक्रोफिल्म बनाने का कार्य काफी कम मंत्रालयों द्वारा प्रारंभ किया गया था। जिन मंत्रालयों/विभागों ने राष्ट्रीय अभिलेखागार की सहायता से 'क' श्रेणी के अभिलेखों को डिजीटल बनाया है, उनका ब्यौरा अनुलग्नक– ट^ में दिया गया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान किसी अभिलेख सर्जक एजेंसी ने राष्ट्रीय अभिलेखागार से अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध नहीं किया है।

काफी बड़ी संख्या में मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अभिलेखों के डिजीटल परिरक्षण पर मार्गदर्शन और सूचना प्राप्त कर रहे हैं। यद्यपि अभिलेखों को डिजीटल बनाना सूचना प्राप्ति की एक द्रुत प्रणाली है, फिर भी यह भण्डारण के माध्यम से लम्बे समय तक बने रहने की गारंटी नहीं देती। राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेखों के भण्डारण के लिए अधिक स्थायी माध्यम की खोज करने में जुटा है जिससे अभिलेखों की आसानी से पुनः प्राप्ति की जा सके। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार सहित अन्य स्टेकहोल्डरों द्वारा अभिलेखों का डिजीटल परिरक्षण करने संबंध ी दिशानिर्देश को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके एक बार अंतिम रूप दिए जाने के बाद लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के अंतर्गत सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को अपने विभाग/संस्थान में अभिलेख प्रबंध पद्धतियों में इसे अपनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के संबंध में सूचित किया जाएगा।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-14

MICROFILMING OF 'A' CATEGORY RECORDS

In keeping with the guidelines issued by Department of Administrative Reforms & Public Grievances, the National Archives of India has been advising microfilming of 'A' category records to all the Records Creating Agencies. National Archives of India was also offering technical assistance in getting the work of microfilming undertaken by the Ministries. However, as per data available, the work of microfilming was taken up by very few Ministries. Details of Ministries/ Departments that have digitized 'A'category records with the assistance of National Archives of India is at **Annexure VI.** In the period under report no Records Creating Agency has requested National Archives of India assistance in microfilming of records.

An increasing number of Ministries/ Departments/ Public Sector Undertakings are seeking guidance and information on digital preservation of records. Digitization of records, though a faster mode of retrieval, does not guarantee longevity of the medium of storage. The National Archives of India is in the process of exploring a more stable medium for storage of records which would also ensure easy retrieval. Guidelines on digital preservation of records is being finalized by Department of Information Technology along with other stake holders including National Archives of India. Once it is finalized, all the Records Creating Agencies covered under the Public Records Act, 1993 would be intimated of the same for initiating necessary steps in adopting the same in Record Management practices in their Department/ institution.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–15

अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2) और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 5 के अनुसार अभिलेखागार महानिदेशक को मूल्यांकन करने और स्थायी प्रकृति के जमा किए गए अभिलेखों को स्वीकार करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। इसी प्रकार, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ग) के अंतर्गत विभागीय अभिलेख अधिकारियों को लोक अभिलेखों, जो पच्चीस वर्ष से अधिक पुराने हैं, का बनाया गया है। उन्हें इन अभिलेखों का राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है ताकि वे स्थायी महत्व के अभिलेखों की पहचान कर सकें और उन्हें वैज्ञानिक परिरक्षण हेतु राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित कर सकें।

15.1 इस विभाग ने राष्ट्रीय अभिलेखागार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल सचिव की अनुमोदित कार्य योजना को भी अग्रेषित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ मंत्रालयों/विभागों, आदि के स्वतंत्रता–पूर्व अवधि के अप्रचालित अभिलेखों के मूल्यांकन और स्थानांतरण शामिल हैं।

15.2 रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 1,32,094 अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन किया है। इनमें से 1,23,537 फाइलों को स्थायी तौर पर राष्ट्रीय अभिलेखागर में रखने तथा 9,367 फाइलों को नष्ट करने की सिफारिश की गई थी। इन आंकड़ों में कुछ ऐसी फाइलें हैं जिनका पूर्व के वर्षों में मूल्यांकन किया गया था। यह कार्य "विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अप्रचलित लोक अभिलेखों के सर्वेक्षण, निरीक्षण और स्थानांतरण की परियोजना के अंतर्गत इस विभाग के पुरालेखपालों और वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण" के अंतर्गत 13 पुरालेखपाल सहायकों द्वारा किया गया है"। स्थायी प्रतिधारण पर विचार करना दीर्घावधि प्रशासनिक महत्व का रहा है तथा यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वित्तीय महत्व के अभिलेखों के रूप में भी उनकी उपयोगिता दर्शाता है।

15.3 मंत्रालयों तथा मूल्यांकन किए गए अभिलेखों की अवधि का ब्यौरा :

- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली (1968–1988)
- गृह मंत्रालय, पुनर्वास प्रभाग, जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली (1951–53)
- स्वतंत्रता सैनानी प्रभाग (गृह मंत्रालय), (1962–87)
- विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली (1939–1987)
- श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली (1979–1986)
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली (1986–2001)
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (1943–1988)
- कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट (1971–1980)

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER 15

APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

Under Section 3(2) of the Public Records Act, 1993 and Rule 5 of the Public Records Rules, 1997, the Director General of Archives has been authorized to undertake the appraisal and also accept for deposit records of permanent nature. Similarly, under section 6 (1)(c) of the Public Records Act, 1993 Departmental Record Officers have been made responsible for appraisal of public records which are more than twenty-five years old in consultation with National Archives of India with a view to identify records of permanent value for subsequent transfer to National Archives of India for scientific preservation.

15.1 This Department has also carried forward the approved action plan of the Cabinet Secretary on certain critical area projects concerning National Archives of India which includes, *inter-alia*, appraisal and transfer of non-current records of the Post-Independence period of Ministries/Departments etc.

15.2 During the period, National Archives of India apprised 1,32,094 non-current public records. Out of these 1,23, 537 files were marked for permanent retention and 9,367 files were recommended for destruction. This work has been done by 13 Archival Assistants under the supervision of the Archivists and senior officers of this Department under the project "Survey, Inspection and Transfer of Non-Current Public Records of Various Ministries/Departments". Records were appraised for their administrative utility, historical, cultural and financial usefulness for posterity.

15.3 Details of the Ministries and period of records appraised therein:

- Department of Industrial Policy & Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi (1968-1988)
- Ministry of Home Affairs, Rehabilitation Division, Jaisalmer House, New Delhi (1951 – 1953)
- Freedom Fighters Division (MHA) (1962-1987)
- Ministry of External Affairs, New Delhi (1939-1987)
- Ministry of Labour and Employment, New Delhi (1979-1986)
- Ministry of Corporate Affairs, New Delhi (1986-2001)
- Ministry of Commerce and Industries, (1943-1988)
- Kolkata Port Trust (1971-1980Total Number of Files

Nature of records selected for retention are of Historical, Cultural and Financial importance apart from their administrative utility etc. for destruction are of ephemeral nature dealing with miscellaneous administrative matters like grant of festival advance, deputation of officers, fixation of pay and annual increment, creation of temporary post etc

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

प्रतिधारण के लिए चयनित अभिलेखों की प्रकृति उनकी प्रशासनिक उपयोगिता आदि के अलावा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और वित्तीय महत्व की है। विविध प्रशासनिक मामलों जैसे त्यौहार अग्रिम, अधिकारियों की नियुक्ति, वेतन नियतन और वार्षिक वेतनवृद्धि, अस्थायी पद का सृजन आदि अस्थायी प्रकृति के है।

15.4 अभिलेख सर्जक एजेंसियों के पास पहले से मूल्यांकित अभिलेखों के राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संबंधित सर्जक एजेंसियों नामतः पुनर्वास प्रभाग और स्वतंत्रता संग्राम प्रभाग, गृह मंत्रालय; राष्ट्रपति सचिवालय; भूमि और विकास कार्यालय, कोयला मंत्रालय; भारतीय चुनाव आयोग; वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून; भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय (डीजीईएण्डटी) द्वारा उनके पास पहले से रखी मूल्यांकित अभिलेखों/फाइलों के अंतरण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

15.5 अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर में सूचित किया है कि उसने 1903–17 की अवधि के लिए कोलकाता पोट्र ट्रस्ट, कोलकाता के 11,290 अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन किया है। इनमें से 8038 अभिलेखों को प्रतिधारण के लिए तथा 3252 फाइलों को विनष्टीकरण के लिए चिहनित किया गया है।

15.6 अभिलेख केन्द्र (दक्षिणी क्षेत्र), पुड्डुचेरी ने वर्ष 2013 के लिए अभिलेखों का मूल्यांकन 'शून्य' के रूप में उल्लेख किया है।

15.7 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल ने वर्ष 2013 के लिए अभिलेख का मूल्यांकन 'शून्य के रूप में उल्लेख किया है।

15.8 विश्लेषण – सभी सर्जक एजेंसियों के भाग के रूप में राष्ट्रीय अभिलेखागार को उच्च प्राथमिकता के आधार पर 25 वर्ष से अधिक पुराने मूल्यांकन न किए गए बल्कि अप्रचलित सार्वजनिक अभिलेखों के संबंध में कार्रवाई किए जाने की जरूरत है ताकि राष्ट्रीय अभिलेखागार समय पर मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकें तथा तत्पश्चात् उन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थायी प्रकृति के अभिलेखों को स्थानांतरित किया जा सके।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

15.4 Efforts are being made for transferring already appraised records lying with the records creating agencies to National Archives of India. A necessary step has already been taken by concerned creating agencies namely, Rehabilitation Division and Freedom Fighter Division, MHA; President Secretariat; Land and Development Office; Ministry of Coal; Election Commission of India; Forest Research Institute, Dehra Dun; Survey of India Dehradun, and Ministry of Labour and Employment (DGE&T), on their part for transfer of already appraised records/files lying with them.

15.5 Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar has reported that it has appraised 11,290 non- currents records of Kolkata Port Trust, Kolkata for the period 1903-17. Out these, 8038 records were marked for retention and 3252 files marked for destruction

15.6 Records Centre (Southern Zone), Puducherry mentioned the appraisal of records as being 'Nil' for the year 2013.

15.7 Regional Office, Bhopal mentioned the appraisal of records as during 'Nil' for the year 2013.

15.8 <u>Analysis</u>- Action is required on the part of all creating agencies to inform National Archives of India regarding the bulk of their records which are more than 25 years on top priority basis, so as to enable National Archives of India to take necessary steps for their timely appraisal and subsequent transfer of such type of records of enduring value to the National Archives of India.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–16

संदर्भ माध्यम तैयार करना

संदर्भ माध्यम एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक साधन है, जिसे प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी द्वारा तैयार कराए जाने की जरूरत होती है। तदनुसार, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(ड.) में निर्धारित अनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार ने वस्तु–सूची, संसूची, तालिका के रूप में अपनी अभिरक्षा में रखे अभिलेखों का उपयुक्त संदर्भ माध्यम तैयार करने के प्रयास जारी रखे ताकि अनुसंधान कर्ताओं और प्रशासकों के लिए तत्काल सूचना प्राप्त की जा सके।

16.1 इस विभाग ने लोक–अभिलेखों आदि के संदर्भ मीडिया तैयार करने संबंधी महत्वपूर्ण क्षेत्र की परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल सचिव को अनुमोदित कार्य–योजना भी अग्रेषित की है।

16.2 इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 1835–1903 की अवधि के लिए सैन्य विभाग, कमाण्डर इन चीफ के सामान्य आदेश की 17,700 फाइलों/अभिलेखों का संदर्भ मीडिया तैयार किया है। यह कार्य 'लोक अभिलेखों का सदर्भ मीडिया तैयार करना' नामक परियोजना में संविदा आधार पर नियुक्त पांच अभिलेखीय सहायकों द्वारा किया गया था।

16.3 अभिविन्यास अभिलेख (ओ.आर) प्रभाग ने संदर्भ मीडिया और प्रकाशनों की तैयारी के संबंध में 'शून्य' रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

16.4 निजी अभिलेखः वर्ष 2013 के दौरान संदर्भ मीडिया का ब्यौराः

- गांधी – कालेनबैक कागजातः

  'हरिजन' समाचार की विषय 369 सूचियां तथा 'यंग इंडियन' समाचार पत्रों की विषयवार 465 सूचियां तैयार की गईं।

- बाबू रामेश्वर प्रसाद सिंह कागजात – 'समय' हिन्दी साप्ताहिक समाचारपत्रों की 451 विषय सूची तैयार की गईं।
- जितेन्द्र प्रसाद सिंह कागजात – 254 विषय सूचियां तैयार की गईं।
- के.एम. करियप्पा कागजात – 200 विषय सूची तैयार की गईं।
- निजी कागजातों का सूचीपत्र तैयार किया गया जिनमें लगभग 146 निजी कागजातों का संग्रह तथा 18 एकल मद संग्रह शामिल थे। इन्हें प्रकाशन हेतु प्रकाशन विभाग को भेजा गया।

16.5 कार्टोग्राफिक अनुभागः संदर्भ मीडिया तैयार किया गया : शून्य

16.6 अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर ने वर्ष 2013 क लिए निम्नलिखित अभिलेख श्रृंखला के वास्तविक सत्यापन, संदर्भ मीडिया तैयार करने तथा व्यवस्था का कार्य पूरा किया है :

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER 16

PREPARATION OF REFERENCE MEDIA

Reference Media is an important administrative tool, which needs to be prepared by each and every organisation. Accordingly, National Archives of India, as stipulated under section 3(2) (e) of the Public Records Act, 1993 continued its efforts to prepare suitable reference media in the form of inventories, indices, catalogues of the records in its custody to facilitate quick retrieval of information for researchers and administrators.

16.1 This Department has also carried forward the approved action plan of the Cabinet Secretary on critical area projects on Preparation of Reference Media of Public Records etc.

16.2 During the period, National Archives of India prepared reference media of 17,700 files/records of Military Department, General Order of Commander In Chief for the period 1835-1903. The work was undertaken by five Archival Assistants engaged on contract basis in the project 'Preparation of Reference Media of Public Records'

16.3 The Oriental Records (O.R.) Division has submitted 'Nil' report regarding preparation of reference media and publications.

16.4 Private Archives: Details of reference media prepared during 2013:

1. Gandhi- Kallenbach Papers:
   Prepared 369 subject lists of 'Harijan' New Papers
   465 subject lists of ' young Indian' New Papers.
2. Babu Rameshwar Prasad Singh Papers- prepared 451 subject lists of 'Samay' Hindi weekly news papers.
3. Jitendra Prashad Singh Papers – Prepared 254 subject lists.
4 K.M. Cariappa Paper – Prepared 200 Subject List.
5. A Catalogue of Private Papers comprising detailed information about 146 collection of Private Papers and 18 single items collection was prepared and sent to Publication Section for Publication

16.5 Cartographic Section:- Reference media prepared: Nil

16.6 Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar has completed the physical verification, preparation of reference media and arrangement of the following records series for the year of 2013:

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

कुल फाइलों की संख्या 14,543 है तथा एआईएमएस सॉफ्टवेयर के लिए विषय सूची या आंकड़ा प्रविष्टि तैयार की गई थी।

16.7 **विश्लेषण – सभी सर्जक एजेंसियों द्वारा उनके विभागीय अभिलेख कक्ष में उनके पास उपलब्ध सभी अभिलेखों के संदर्भ मीडिया अर्थात् विषय–सूची, अंतरण सूची, मांग–पत्र आदि तैयार करने के लिए प्राथमिक आधार पर आवश्यक उपाय किए जाने की जरूरत है।**

भोपाल स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार के क्षेत्रीय कार्यालय तथा पुड्डुचेरी और भुवनेश्वर में भोपाल और एनएआई अभिलेख केन्द्रों को शोधकर्ताओं और प्रशासकों द्वारा सूचना को शीघ्र प्राप्त करने के लिए अपने अभिरक्षण में सभी अभिलेखों में उपयुक्त संदर्भ मीडिया तैयार करने के लिए आवश्यक उपाय करने का भी निर्देश दिया जा सकता है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Total number of files is 14,543 files and the subject list or data entry into AIMS software was prepared.

16.7 <u>Analysis-</u> **Action is required on the part of all creating agencies to take necessary steps for preparation of reference media i.e. subject lists, transfer lists, catalogues, etc. of all the records available with them in their departmental records room on priority basis.**

As regards the Regional Office of National Archives located at Bhopal and NAI Records Centres at Puducherry and Bhubaneswar, they may also be instructed to take necessary steps for preparation of suitable reference media in the form of inventories, indices, catalogues of the records in its custody to facilitate quick retrieval of information for researchers and administrators.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–17

अभिलेख अवाप्ति/अधिग्रहण

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(ख) के अनुसार महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार को अधिनियम की परिधि में आने वाले समस्त अभिलेख सर्जक एजेंसियों से स्थायी प्रकृति के लोक अभिलेखों को स्वीकार करने का अधिकार है। इसी, प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 11(1) में भी ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्व के किसी अभिलेख की किसी निजी स्रोत से उपहार, खरीद या अन्य ढंग से स्वीकार्य करने का भी प्रावधान है। ऊपर उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान लोक अभिलेखों और निजी कागजातों की निम्नलिखित श्रृंखला प्राप्त की है।

17.1 इस विभाग ने लोक अभिलेखों की प्रोसेसिंग और प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल सचिव की अनुमोदित कार्य–योजना को अग्रेनीत किया है। इस कार्य को इस विभाग के अभिलेखविदों और वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में अभिलेखीय सहायकों द्वारा किया गया है।

17.2 इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निम्नलिखित अभिलेख सर्जक एजेंसियों से स्थानांतरित 40,861 लोक अभिलेखों को प्राप्त किया:

1. पुनर्वास प्रभाग, गृह मंत्रालय – 31,563 (1951–53)
2. प्रधानमंत्री कार्यालय (1948–87)
3. जल संसाधन मंत्रालय (1986–87)

17.3 अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर में किया गया प्राप्ति कार्य:

1. लोक अभिलेख:
   कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता की 358 फाइलों (1842–96)
2. पुस्तकालय:

- आचार्य भावानंद, भुवनेश्वर से 326 पुस्तकें प्राप्त की गईं।
- उड़िया भाषा में दुर्लभ पुस्तकों तथा मासिक पत्रिकाओं के 20 जिल्द चढ़े खण्ड तथा 151 खुले खण्ड प्राप्त किए गए।
- स्व. बामा चरण मित्र, भुवनेश्वर के पुत्र श्री मन्युमन मित्र से 418 पुस्तकें प्राप्त हुईं।
- श्री नाबाक्रुशना चौधरी की 150 पुस्तकें तथा विधानसभा भाषणों के 4 खण्ड।

कुल अधिग्रहण: 894 पुस्तकें, 20 जिल्द चढ़े खण्ड, 155 खुले खण्ड तथा पत्रिकाएं।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-17

ACQUISITIONS/ ACCESSIONS

As per Section 3(2) (b) of the Public Records Act, 1993, the Director General, National Archives of India is empowered to accept public records of permanent nature from all the records creating agencies falling within the purview of said Act. Likewise, Section 11(1) of the said Act also stipulates about the acceptance of any records of historical or national importance from any private source by way of gift, purchase or otherwise. Keeping in view the above said provisions, the National Archives of India acquired the following series of public records as well as private papers during the period under report.

17.1 The Department has also carried forward the approved action plan of the Cabinet Secretary on critical area projects on processing and accessioning of Public Records. This work has been done by the Archival Assistants under the supervision of the Archivists and senior officers of this Department.

17.2 During the period, National Archives of India accessioned 40,861 public records transferred from the following Records Creating Agencies :

1. Rehabilitation Division, Ministry of Home Affairs – 31,563 (1951-53)
2. Prime Minister's Office (1948-87)
3. Ministry of Water Resources (1986-87)

17.3 Accession Work undertaken in Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar:

1. Public Records:

   358 files (1842-96) of Kolkata Port Trust, Kolkata.

2. Library:

- 326 books acquired from Acharya Bhabananda Bhubneswar
- 20 bound volumes and 151 lose Volumes of Oriya rare books and monthly Magzines
- 418 books acquired from Shri Manyuman Mitra, son of Late Bama Charan Mitra, Bhubneswar
- 150 Books and 4 volumes of assembly speeches of Shri Nabakrushna Chodhry (1936-1955)

Total Acquisitions: 894 books, 20 Bound volumes,155 unbound volumes and magazines.

17.4 Accession Work undertaken in Records Centre (Southern Zone), Puducherry :

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

17.4 अभिलेख केन्द्र (दक्षिणी क्षेत्र), पुड्डुचेरी में किया गया प्राप्ति कार्यः

- 'धर्मनाथन प्राउचैंडी', जो पहले भारतीय थे जिन्होंने वर्ष 1891 से 1900 तक भारत चीन में यात्री जहाज चलाया था, पर दस्तावेजों (फोटोप्रति) की 11 मदों के दो फोल्डर। इन्हें भारत–चीन अभिलेखागार से प्राप्त किया गया और इन्हें सुप्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक श्री जे.बी.पी. मोरे द्वारा दान में दिया गया था।
- इसके अलावा, श्री जे.बी.पी. मोरे द्वारा लिखी गई 12 ऐतिहासिक पुस्तकों को भी 29 मई, 2013 को अभिलेख केन्द्र, पुड्डुचेरी को दान में दिया गया।

17.5 क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल ने वर्ष 2013 के दौरान लोक और निजी अभिलेखों के लिए 'शून्य' प्राप्ति रिपोर्ट दी है।

17.6 कार्टोग्राफी अनुभाग ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 272 नक्शे तथा विविध नक्शे (1856–1969) प्राप्त किए, जिन्हें गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से प्राप्त किया गया। प्राप्ति कार्य चल रहा है।

17.7 राष्ट्रीय अभिलेखागार के निजी कागजात संग्रह में निम्नलिखित सुप्रसिद्ध हस्तियों के कागजात प्राप्त हुए:–

(i) ''प्रीतलैरी'' पत्रिकाएं (लगभग 700 अंक) – ''सांझे रंग पंजाब दे'' नामक ट्रस्ट से उर्दु और गुरुमुखी भाषा के 1937 – अप्रैल, 2013 तक की साहित्यिक और सांस्कृतिक मासिक पत्रिका प्राप्त हुई।

(ii) श्री हरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, मेरठ द्वारा 1891 में प्रकाशित ''पंडित गुरू दत्त विद्यार्थी, एम.ए. की जीवन और कृतित्व'' नामक एक पुस्तक दान मे दी गई।

17.8 विश्लेषणः राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा उपहार या अन्यथा खरीद द्वारा किसी निजी स्रोत से राष्ट्रीय या ऐतिहासिक महत्व के किसी अभिलेख को प्राप्त करने के लिए देश के प्रमुख समाचार–पत्रों में प्रति वर्ष विज्ञापन प्रकाशित करने चाहिए और इन अभिलेखों का अधिग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय अभिलेखागार को अवाप्ति रजिस्टरों में इसकी उपयुक्त प्रविष्टियां करनी चाहिए तथा संबंधित लोगों को पावती भी जारी की जानी चाहिए।

लोगों में लघु वृत्तचित्रों, प्रदर्शनियों, इश्तहारों आदि के जरिए यह जागरूकता पैदा की जानी चाहिए कि वे देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के किसी प्रकार के अभिलेखों को उपहार या दान में दें ताकि उनका स्थायी परिरक्षण हो सके और उनका इस्तेमाल विद्वानों/प्रयोक्ताओं/इतिहासकारों द्वारा किया जा सके।

- Two folders containing 11 items of documents (Photocopy) on 'Darmanathan Prouchandy' the first Indian ran the Pasenger ship in Indochina in the year 1891 to 1900, which were culled from Indochina Archives and donated by Shri J.B.P. More, a famous historian and writer.

- Besides 12 historical books written by Shri J.B.P. More were also donated to this Record Centre, Puducherry on 29th May 2013

17.5 Regional Centre, Bhopal has given 'Nil' accession Report for public and private records during 2013.

17.6 Cartography Section has accessioned 272 maps of International Boundary and miscellaneous maps (1856-1969) were received from Ministry of Home Affairs North Block, New Delhi The accession work is on progress.

17.7 The private papers collection of National Archives of India was enriched with the accession of papers of the following eminent personalities:-

1. "Preetlary" magazines (700 issues approx)- a literary and cultural monthly magazine in Urdu and Gurumukhi language from 1937- April- 2013 received from a Trust "Saanjhey Rang Punjab De".

2. One book entitled "Life and Work of Pundit Guru Dutta Vidhyarthi. M.A." (Pleader Chief Court Punjab), Published in 1891 donated by Sh. Ch. Harendra Singh, Advocate, Meerut.

17.8 **<u>Analysis</u>-Action is required on the part of National Archives of India to publish an advertisement every year in leading newspapers of the country for the acceptance of any records of national or historical importance from any private source by way of gift or purchase otherwise and after the acquisition of these records, National Archives of India should make suitable entries of the same in the accession registers and also issue acknowledgement to the concerned.**

Action is also required to arouse consciousness amongst the people through short documentaries, exhibitions, pamphlets, etc. to donate or gift the records of any type, bearing the historical and cultural values of the country, to National Archives of India for their permanent preservation and the use of scholars/ users/ historians.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–18

अभिलेख सर्जक एजेंसियों के स्थायी कार्यों के अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों की पुनरीक्षा

लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 6(1)(ड.) में यह प्रावधान है कि अभिलेख अधिकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अभिलेख प्रतिधारण सारणी के संकलन के लिए उत्तरदायी होगा। इन अभिलेख प्रतिधारण सारणियों को पांच वर्ष में एक बार संशोधित किया जाना अपेक्षित है ताकि नए विषय शीर्ष शामिल किए जा सकें जो पांच वर्ष की अवधि में संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों के बदलते और बढ़ते कार्यकलापों के कारण शामिल हो गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने वर्ष 2010 के दौरान छः मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के महत्वपूर्ण कार्यों की अभिलेख प्रतिधारण सारणियों की पुनरीक्षा की है। विस्तृत सूचना नीचे दी गई है:–

18.1 जनवरी–दिसम्बर, 2013 के दौरान पुनरीक्षण के लिए प्राप्त स्थायी अभिलेखों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों (आरआरएस) की कुल संख्याः 09 (नौ)।

18.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/पीएसयू के स्थायी अभिलेखों से संबंधित अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची के पुनरीक्षण के लिए मौके पर अध्ययन किए गए:

क) मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली

ख) कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई

ग) राष्ट्रीय अभिलेखागार, मुख्यालय, नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय एवं अभिलेख केन्द्र।

घ) केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचीन को संबंधित संगठन को कार्यान्वयन के लिए भेजा गया।

ड.) राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली।

च) कोल इंडिया प्रा. लि. रांची (अभिलेखों का मौके पर अध्ययन करने के बाद एडीए, आरसी, एनएआई, भुवनेश्वर से प्राप्त आर.आर.एस)

छ) भारतीय रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय, नई दिल्ली तथा जनगणना प्रचालन निदेशालय (डीसीओ) का कार्यालय, चंडीगढ़, कोलकाता।

ज) भारतीय कृषि अनसंधान परिषद, मुख्यालय, नई दिल्ली।

झ) केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

18.3 स्थायी अभिलेखों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची की संख्या को अंतिम रूप दिया गया तथा उसे कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों/विभागों को भेजा गयाः 04 (चार)

CHAPTER-18

VETTING OF RETENTION SCHEDULES OF RECORDS OF SUBSTANTIVE FUNCTIONS OF RECORDS CREATING AGENCIES

Section 6(1) (e) of the Public Records Act, 1993 provides that the Record Officer shall be responsible for compilation of records retention schedules in consultation with the National Archives of India. These records retention schedules are also required to be revised once in five years with a view to accommodate new subject heads which might have been added due to the changing and expanding activities of the concerned records creating agencies during the span of preceding five years. Keeping this in view, National Archives of India has vetted records retention schedules of substantive functions of various directorates of six Ministries/ Departments/Offices/Public Sector Undertakings during 2010. Detailed information is given below:-

18.1 Total number of Records Retention Schedules (RRS) of Substantive Records received for vetting during (January – December), 2013: 09(Nine).

18.2 On the spot studies for vetting of the Records Retention Schedule of pertaining to Substantive Records of the following Ministries/Department/Offices/PSUs were taken up:

a) Cabinet Secretariat, New Delhi
b) Cotton Corporation of India, Mumbai
c) National Archives of India, Headquarter, New Delhi and Regional Office & Regional Office & Records Centers.
d) Central Institute of fisheries Technology, Cochin
e) The National Small Industries Corporation Ltd., New Delhi
f) Coal India Pvt. India Ltd., Ranchi. (R.R.S. received from ADA, R.C. NAI, Bhubaneswar after spot study of records)
g) Office of Registrar General of India, New Delhi and its Office of the Directorate Census Operations (DCO), Chandigarh, Kolkata.'
h) Indian council of Agricultural research head quarter, New Delhi.
i) Central Water Commission, New Delhi.

18.3 Number of Records Retention Schedule of Substantive Records finalized and sent to Ministers/ Departments for Implementation: 04 (Four)

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

क) मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।

ख) कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई।

ग) राष्ट्रीय अभिलेखागार, मुख्यालय, नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय एवं अभिलेख केन्द्र।

घ) केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचीन।

18.4 स्थायी अभिलेखों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची की पुनरीक्षा के कार्य में महसूस की गई कठिनाइयां, यदि कोई हों:

- आरसीए द्वारा अग्रेषित स्थायी अभिलेखों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों का प्रारूप निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।
- संदर्भ दस्तावेजों जैसे संगठनों में अनुभागों/शाखा में उपलब्ध फाइल रजिस्टर का न होना।

राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर तथा अभिलेख केन्द्र (दक्षिणी क्षेत्र) पुड्डुचेरी ने वर्ष 2013 के दौरान कार्य की 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है।

18.5 विश्लेषणः यह देखा गया है कि अधिकांश मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने अभी तक अपनी अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियां तैयार नहीं की हैं, तथा अधिकांश मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों का भी संशोधन किया जाना है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी सर्जक एजेंसियां राष्ट्रीय अभिलेखागार को प्राथमिकता के आधार पर उनकी अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों को तैयार/पुनरीक्षा/संशोधन करने के लिए आवश्यक सहायता/मार्गदर्शन देने के लिए अनुरोध करें।

भोपाल में एनएआई क्षेत्रीय कार्यालय तथा जयपुर और पुड्डुचेरी स्थित उसके अभिलेख केन्द्रों को भी अपने संबंधित क्षेत्रों में कार्यालयों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों को तैयार/संवीक्षा करने का कार्य करने की जरूरत है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

a) Cabinet Secretariat, New Delhi

b) Cotton Corporation of India, Mumbai

c) National Archives of India, Headquarter, New Delhi and Regional Office & Regional Office & Records Centers.

d) Central Institute of fisheries Technology, Cochin

18.4 Difficulties experienced, if any, in the work of vetting of Records Retention Schedule of Substantive Records:

- The draft Records Retention Schedules of Substantive Records forwarded by RCAs are not as per the prescribed guidelines.
- Lack of basic reference documents such as file registers available in the sections/ branch of the organizations.

The National Archives of India, Regional Office, Bhopal, Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar and Records Centre (Southern Zone) Puducherry have submitted 'Nil' report for the work during the year 2013.

18.5 **Analysis- It has been observed that most of the Ministries/Departments/Offices have not prepared their records retention schedules so far and records retention schedules of most of the Ministries/Departments/Offices are also due for revision. Keeping this in view, action is required on the part of all creating agencies to request National Archives of India for necessary help/ guidance for the preparation/ vetting/ revision of their records retention schedules on priority basis.**

NAI Regional Office at Bhopal and its Records Centers located at Jaipur and Puducherry, too need to take up the work of preparation / vetting of Records Retention Schedules of offices in their respective regions.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–19

परामर्शी कार्य

लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 3(2)(प) के तहत महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार से यह अपेक्षित है कि वह अभिलेखों के सृजन, निपटान और उनके अर्द्ध–प्रचलित चरण के दौरान अभिलेख प्रबंधन के मानदंडों, तकनीकों और वैज्ञानिक संरक्षण के अनुप्रयोग के संबंध में सभी मंत्रालयों विभागों, इत्यादि को परामर्श दें। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख प्रबंधन कार्यकलापों से संबंधित मामलों पर विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों को परामर्श देने के प्रयास जारी रखे हैं।

19.1 अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों के रखरखाव और संरक्षण को अभिलेख प्रबंधन का एक मुख्य कार्य मानते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के विभागीय अभिलेख कक्षों का निरीक्षण किया और उन्हें मौजूदा स्थितियों को सुधारने के लिए मौके पर सलाह और मार्गदर्शन दिया।

19.2 राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित को तकनीकी सलाह प्रदान की गई:

क) रेप्रोग्राफिक सेवाएं:

1. श्री सुनील करसरी, अपर निदेशक, लोक सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली।
2. श्री प्रसाद चवन, रक्षा संपदा अधिकारी, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, रक्षा संपदा कार्यालय, मद्रास सर्किल, चेन्नई।
3. श्री विजय कुमार, बी. नायर, संबद्ध अधिकारी – एयू एण्ड आरसी, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, महानिदेशक रक्षा संपदा, रक्षा संपदा भवन उलानबातर मार्ग, दिल्ली कैंट, श्री दीपांकर दत्त, अवर सचिव, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, एएण्डए अनुभाग, नई दिल्ली।
4. अधीक्षक, ओडिशा राज्य अभिलेखागार (एनडीआर), सचिवालय मार्ग, भुवनेश्वर, ओडिश।
5. श्री राजेश कौशल, मुख्य वास्तुकार (एनडीआर), भारत सरकार, सीपीडब्ल्यूडी, मुख्य वास्तुकार का कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
6. डॉ ललता प्रसाद, निदेशक राज्य अभिलेखागार, भोपालपानी, डाक–धनयाडी, थानो रोड, देहरादून, पिन कोड – 248008
7. डॉ. आर.एल. आशू, मुख्य कार्यकर्ता/उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक अभिलेखागार, कृषि बैकिंग कैम्पस कॉलेज, यूनिवर्सिटी रोड, पुणे – 411016, भारत।

ख) अभिलेखों के संरक्षण/परिरक्षण पर तकनीकी सलाहः

(i) राष्ट्रीय कला, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान इतिहास संग्रहालय संस्थान, राष्ट्रीय संग्रहालय, जनपथ, नई दिल्ली।

(ii) निदेशक उत्तराखण्ड राज्य अभिलेखागार, भोपालानी, पोस्ट धनवारी, थाना रोड, देहरादून।

CHAPTER-19

ADVISORY WORK

Under Section 3(2) (i) of Public Records Act, 1993, Director General, National Archives of India is required to render advice to all Ministries/Departments etc. on the creation, disposal of records and application of standards, techniques of records management and scientific preservation during their semi-current stage. Accordingly, National Archives of India continued its efforts to advise various records creating agencies on the matters related to records management activities.

19.1 Considering the upkeep and preservation of semi-current records as one of the prime areas of the records management, National Archives of India inspected the departmental records rooms of various Ministries/Departments/Offices and provided on the spot advice and guidance for improvement in the existing conditions.

19.2 Technical Advice was provided by the National Archives of India, New Delhi to the following :

A) Reprographic services:

1. Sh. Sunil Kersari, Additional Director, Lok Sabha Secretriat, Parliament House, New Delhi
2. Sh. Parsad Chavan, Defence Estate Officer, Government of India, Ministry of Defence, Defence Estate office, Madras Circle, Chennai
3. Mr. Vijay Kumar B. Nair Attached Officer-AU&RC, Government of India, Ministry of Defence, Dte., General Defence Estates, Raksha Sampada Bhawan, Ulaanbaatar Marg, Delhi CanttSh. Dipankar Dutta, Under Secretary to the Government of India, Ministry of Culture, A&A Section, New Delhi.
4. Superintendent, Odisha State Archives (NDR), Sachivalaya Marg, Bhubaneswar,Odisha.
5. Sh. Rajesh Kaushal, Chief Architect (NDR), Government of India, CPWD, Office of Chief Architect, Nirman Bhawan, New Delhi
6. Dr. Lalta Prasad, Director, State Archives, Bhopalpani, Post-Dhanyadi, Thano Road, Dehradun, Pin Code-248008
7. Dr. R.L. Ashoo, Chief Archivist/Deputy General Manager, Reserve Bank of India Archives, College of Agricultural Banking Campus, University Road, Pune-411016, India.

B) Technical Advice on Conservation /Preservation of records:

1. National Museum Instute of history of Art, Conservation and Museology National Museum, Janpath, New Delhi.
2. Director, Uttarakhand State Archives, Bhopalani, Post Dhanwari, Thana Road, Dheradun

(iii) भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता।

(iv) निदेशक, असम राज्य अभिलेखागार, असम।

(v) निदेशक, पुस्तकालय और सूचना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, जनपथ, नई दिल्ली।

(vi) सचिव, गांधी स्मारक संग्रहालय, 14, रिवरसाइड रोड, बाराचडी, कोलकाता।

(vii) यूनिवर्सिटी पुस्तकाल्याध्यक्ष, जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली–110062

ग. निम्नलिखित संस्थानों की अभिलेख सर्जक एजेंसियों का निरीक्षण किया गया तथा अभिलेखों के उचित रखरखाव के लिए मौके पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया:

(i) संयुक्त सचिव और प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054

(ii) अवर सचिव, कानून और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(iii) निदेशक, सरकारी संग्रहालय और कला दीर्घा, चण्डीगढ़।

(iv) लोक सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली।

(v) प्रो. कुलपति, एम.एल. वर्मा, जनजातीय अनुसंधान संस्थान एवं शिक्षा केन्द्र, उदयपुर, राजस्थान।

19.3 क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल तथा अभिलेख केन्द्र, भुवनेश्वर, पुड्डुचेरी और जयपुर में किए गए सलाहकारी कार्य:

1. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, रक्षा मंत्रालय, कोलकाता।
2. महालेखाकार (एएण्डई), ओडिशा, भुवनेश्वर।
3. जवाहर नवोदय विद्यालय का कार्यालय, पुड्डुचेरी।
4. जिला पंजीकरण विभाग, पुड्डुचेरी के कार्यालय के अभिलेख कक्षों का मौके पर अध्ययन दौरा।

19.4 विश्लेषण – राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख प्रबंधन कार्यकलापों अर्थात् अभिलेख करना, सूचीकरण, समीक्षा करना, अभिलेखों को नष्ट करना, मूल्यांकन करना और अप्रचलित स्थायी प्रकृति के अभिलेखों का अंतरण करना तथा 'क' श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनना, आदि से संबंधित मामलों पर सभी मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परामर्श दे रहा है। राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा एक/दो दिन की कार्यशालाएं/ संगोष्ठियों/स्लाइड शो/पहेली, आदि के जरिए अभिलेख प्रबंधन के विभिन्न मुद्दों के संबंध में सभी सर्जन एजेंसियों के विभागीय अभिलेख कक्षों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों में रुचि/जागरुकता पैदा करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। अभिलेख सर्जक एजेंसियों को भी राष्ट्रीय अभिलेखागार के समर्थन से कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के जरिए अपने संगठन में अपने अभिलेखों के संरक्षण का प्रबंधन करने के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास करने चाहिए।

ARCHIVES OF INDIA

3. Anthropological Survey of India, Kolkata.
4. Director, Assam State Archives, Assam.
5. Director, Library and Information, Indira Gandhi National Center for the arts, Janpath, New Delhi
6. Secretary, Gandhi Smarak Sangrahalaya, 14, Riverside road, Baraachpre, Kolkata
7. University Librarian, Jamia Hamdard, Hamdard Nagar, New Delhi-110062.

C. Inspection of Records Creating Agencies and on the spot guidance for proper upkeep of records was provided to the following institutions:

1. Joint Secretary and Controller of Publication, Department of Publication, Civil Lines, Delhi-110054.
2. Additional Secretary, Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Shastri Bhawan, New Delhi.
3. Director, Govt. Museum and Art Gallery, Chandigarh.
4. Lok Sabha Secretariat, Parliament House, New Delhi.
5. Pro -Vice Chancellor, M. L. Verma Tribal Research Institute and Education Center, Udaipur, Rajasthan.

19.3 Advisory Work undertaken in Regional Office, Bhopal and Records Centre, Bhubaneswar, Puducherry and Jaipur:

1. Regional Training Center, Ministry of Defence, Kolkata
2. Accountant General (A&E), Odisha, Bhubneswar
3. Office of the Jawahar Novodaya Vidalaya, Puducherry
4. Spot study visit of the Record Rooms of office of the Records Rooms of office of the District Registration Department, Government of Puducherry

19.4 <u>Analysis-</u> **National Archives of India is rendering advice to all Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings etc. on matters related to records management activities i.e. recording, indexing, reviewing, weeding of records, appraisal and transfer of non-current permanent nature records and microfilming of 'A' category records etc. Efforts are required on the part of National Archives of India to develop interest/awareness amongst the officers/officials working in the Departmental Records Rooms of all records creating agencies in respect of various issues of records management through one/two day(s) workshops/ seminars/ slideshows/ quizzes etc. Records Creating Agencies should also make efforts to create awareness on management conservation of their records in their organization through Workshops/ Seminars with the support of National Archives of India.**

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–20

प्रशिक्षण

राष्ट्रीय अभिलेखागार का अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय अभिलेखीय अध्ययनों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा। इनमें अभिलेख और रिकार्ड प्रबंधन में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम; अभिलेखागार प्रबंधन, रेप्रोग्राफी, अभिलेख प्रबंधन, अभिलेखों का रखरखाव और मरम्मत, पुस्तकों की देखभाल और संरक्षण, एमएसएस तथा उप–व्यावसायिक स्तर पर अभिलेखागारों में अल्पकालिक प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम शामिल हैं। मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आदि इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और विभागीय अभिलेख कक्षों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवा सकते हैं। इसके अलावा, सचिवों की समिति के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निर्दिष्ट विभागीय अभिलेख अधिकारियों के लिए अभिलेख प्रबंधन में पांच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम शुरू किया ताकि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1933 की धारा 6(1) के तहत यथानिर्धारित कार्य करने में समर्थ हो सकें। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सितंबर 1998 में अपनी शुरुआत के बाद से अभी तक 95 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है और 1,340 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। वर्ष 2013 के दौरान अभिलेख प्रबंधन में अभिविन्यास पाठ्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले विभागीय अभिलेख अधिकारियों की एक सूची इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–प्ट में देखी जा सकती है।

20.1 शैक्षणिक वर्ष 2013–2014 के लिए अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के बैच में 16 छात्र थे। इनमें से, एक उम्मीदवार निदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार विभाग, पी.ओ. बॉक्स नं. 1414, 7 रीड एवेन्यू, कोलम्बो–7, श्रीलंका द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार था।

अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन सत्र (2011–2012) में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सफल प्रशिक्षुओं का छमाही इंटर्नशिप कार्यक्रम (मई, 2013–अक्तूबर, 2013) पूरा किया गया।

20.2 रेप्रोग्राफी में दो अल्पावधि पाठ्यक्रम (8 अप्रैल से 17 मई, 2013) और (16 सितम्बर से 25 अक्तूबर, 2013) आयोजित किए गए जिसमें 21 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इसमें से 3 उम्मीदवार प्रायोजित थे।

20.3 अभिलेख प्रबंधन में दो अल्पावधि पाठ्यक्रम (1 मई से 31 मई, 2013 तक) और (2 से 27 सितम्बर, 2013) आयोजित किए गए जिसमें 28 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इसमें से 6 उम्मीदवार प्रायोजित थे।

20.4 अभिलेखों के रखरखाव और मरम्मत में दो अल्पावधि पाठ्यक्रम (13 मई से 21 जून, 2013) और (9 सितम्बर से 18 अक्तूबर, 2013 तक) अयोजित किए गए जिसमें 33 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इसमें से पांच उम्मीदवार प्रायोजित थे।

20.5 पुस्तकों, पाण्डुलिपियों और अभिलेखों की देखभाल और संरक्षण में एक अल्पावधि पाठ्यक्रम (28 अक्तूबर से 20 दिसम्बर, 2013 तक) का आयोजन किया गया जिसमें 14 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इनमें से तीन उम्मीदवार प्रायोजित थे।

CHAPTER-20

TRAINING

The School of Archival Studies of the National Archives of India continued to conduct training courses in various disciplines of Archival Science at both professional and sub-professional levels. These comprise of One-Year Diploma Course in Archives and Records Management; Short Term Certificate Courses in Archives Management, Reprography, Records Management, Servicing and Repairing of Records, Care and Conservation of Books, Manuscripts and Archives at sub-professional level. Ministries/ Departments/Offices/Public Sector Undertakings etc. can avail of this facility and get their staff working in Departmental Records Room trained. Besides, as per the directives of the Committee of Secretaries, National Archives of India started five days Orientation Courses in Records Management for designated Departmental Record Officers with a view to enable them to discharge various functions as stipulated under Section 6 (1) of the Public Records Act, 1993. The National Archives of India has so far conducted 95 courses after its introduction in September 1998 and imparted training to 1,340 Officers. A list of Departmental Record officers who have attended the orientation courses in records management during the year 2013 may please be seen in ***Annexure-IV*** of the report.

20.1 One-Year Diploma Course in Archives and Records Management for the academic year 2013-2014 had a batch of 16 students. Out of these, candidates one is sponsored candidates from The Director, Department of National Archives, P.O. Box No.1414,7, Reid Avenue,Colombo-7, Sri Lanka.

Internship programme for six month (May 2013- October 2013) of the successful trainees of the one year diploma course in Archives and Records management session (2011-2012) has been completed.

20.2 Two Short Term Courses in Reprography (8th April to 17th May 2013 and 16th September to 25th October 2013)were conducted which were attended by 21 candidates. Out of these, 3 candidates were sponsored

20.3 Two Short Term Courses in Records Management (1st May to 31st May 2013 and 2ndto 27th September 2013) were conducted which were attended by 28th candidates. Out of these, 6th were sponsored.

20.4 Two Short Term Courses in Servicing and Repair of Records (13th May to 21st June 2013 and 9th September to 18th October 2013) were conducted which were attended by 33 candidates. Out of these, five candidates were sponsored.

20.5 One Short Term Course in Care and Conservation (28thOctober to 20th December 2013) of books, manuscripts and archives which were attended by 14 candidates. Out of these, three candidates were sponsored.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

20.6 अभिलेख प्रबंधन में एक अल्पावधि पाठ्यक्रम (11 फरवरी से 22 मार्च, 2013) आयोजित किया गया जिसमें 15 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इनमे से दो उम्मीदवार राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्रायोजित थे।

20.7 वर्ष के दौरान अभिलेखीय अध्ययन स्कूल द्वारा आयोजित संगोष्ठियों और कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों का ब्यौरा:

- नई दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली में 3 से 4 सितम्बर, 2013 तक आयोजित संरक्षण विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला।
- हरियाणा राज्य अभिलेखागार, पंचकुला, चंडीगढ़ के साथ इंडियन एसोसिएशन द्वारा 9 सितम्बर, 2013 को ''अभिलेखीय सामग्रियों का निवारक संरक्षण'' पर कार्यशाला के दौरान भागीदारों को 'अभिलेखीय सामग्रियों का संरक्षण' विषय पर एक व्याख्यान दिया गया।

20.8 क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में अभिलेख और परिरक्षण के क्षेत्र में नूतन कॉलेज के 19 छात्रों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

20.9 क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल और राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेख केन्द्रों में अभिविन्यास पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया।

क्र. सं.	स्थान	पाठ्यक्रम की अवधि	भागीदारों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	भुवनेश्वर	7–11 जनवरी, 2013	12	110वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम
2.	नई दिल्ली	18–22 फरवरी, 2013	21	111वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम
3.	नई दिल्ली	20–24 जून, 2013	23	112वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम
4.	भोपाल	1–5 जुलाई, 2013	21	113वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम
5.	नई दिल्ली	9–13 सितम्बर, 2013	33	114वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम
6.	जयपुर	21–25 अक्तूबर, 2013	21	115वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम
7.	पुड्डुचेरी	2–6 दिसम्बर, 2013	25	116वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

20.6 One Short Term Course in Archives Management (11th February to 22nd March 2013) was conducted which was attended by 15 candidates. Out of these, two were sponsored by National Archives of India,

20.7 Details of seminars and workshops/ trainings organized by the School of Archival Studies during the year:

- Two days workshop on Conservation held at New Delhi Secretariat, New Delhi on 3rd to 4th September 2013

- One Lecture on ' conservation of Archival Materials' was delivered to the participants of Workshop on 'Preventive Conservation of Archival Materials' organized by Indian Association with Haryana State Archives, Panchkula , Chandigarh at Chandigarh on 9th September 2013.

20.8 Regional Office, Bhopal conducted a training programme for 19 student of Nutan College in the field of Archives and preservation in Regional Office Bhopal.

20.9 Orientation Courses / Trainings organized in Regional Office, Bhopal and Records Centres of National Archives of India:

S.No.	Venue	Duration of course	No. of participants	Remarks
1.	Bhubaneswar	7-11 January, 2013	12	110th Orientation Course
2.	New Delhi	18 -22 February 2013	21	111th Orientation Cours
3.	New Delhi	20- 24 June 2013	23	112nd Orientation Course
4.	Bhopal	1-5 July 2013	21	113th Orientation course
5.	New Delhi	9-13 September	33	114th Orientation Course
6.	Jaipur	21-25 October, 2013	21	115th Orientation Course
7.	Puducherry	2-6 December, 2013	25	116th Orientation Course

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–21

अभिलेख जागरुकता कार्यक्रम

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2) (घ) के तहत अभिलेख महानिदेशक को लोक अभिलेखों की प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने संबंधित अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रदर्शनियां आयोजित कीं और अन्य कार्यकलाप भी किए गए।

21.1 राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रदर्शनी: जनवरी–दिसम्बर, 2013

1. **गांधी –कालेनबैंक पत्राचारः** यह प्रदर्शनी राष्ट्रीय अभिलेखागार में गांधी जी के शहीदी दिवस के अवसर पर 30 जनवरी–15 फरवरी, 2013 को आयोजित की गई। इसका उद्घाटन 30 जनवरी, 2013 को माननीय संस्कृति मंत्री श्रीमती चंद्रेश कुमारी कटोच द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री गोपालकृष्ण गांधी, पूर्व गवर्नर, कर्नाटक, को सम्मानित किया गया। प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान श्री टी.एन. चतुर्वेदी, पूर्व गवर्नर, पश्चिम बंगाल, गांधीवादी विद्वान वी.पी. आनंद, सुश्री वर्षा दसंद तथा अन्य गणमान्य अतिथि तथा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि भी उपस्थिति थे।

2. **भारतीय सिनेमा के एक सौ वर्षः** भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 60वें सत्र के अवसर पर इस प्रदर्शनी का लखनऊ में आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन सुश्री अरूण कुमारी खोरी, महिला कल्याण एवं संस्कृति मंत्री तथा आईएचआरसी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में श्री मोहम्मद आजम खान, संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 27 फरवरी, 2013 को किया गया।

3. **खुसरो का जीवन और कृतित्वः** इस प्रदर्शनी का आयोजन 1–27 मार्च, 2013 तक आगा खान ट्रस्ट, नई दिल्ली के सहयोग से किया गया। इसका उद्घाटन श्रीमती संगीता, गैरोला, सचिव, संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्राहलय में 1 मार्च, 2013 को गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में किया गया।

4. **आजाद होने का महत्वः** भारतीय आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राष्ट्रीय अभिलेखागार की एनेक्सी में 20 मार्च 2013 को गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में प्रो. डेविड लेलीवेल्ड तथा श्री अहमद सैद मलिहाबादी द्वारा किया गया। श्री मलिहाबादी ने श्रोताओं को संबोधित किया और मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ अपने अनुभवों को बांटा। यह प्रदर्शनी जनता के लिए 20–28 मार्च, 2013 तक खोली गई।

5. **कैप्टेन पी.आर.एस. मानीः इंडोनेशिया में एक भारतीय पत्राकारः** इस प्रदर्शनी का आयोजन 1–17 मई, 2013 को प्रो. हीथर गुडऑल, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सिडनी की सहायता से किया गया। इसका उद्घाटन श्री जवाहर सरकार, सीईओ, प्रसार भारती, नई दिल्ली द्वारा किया गया।

6. **अभिविन्यास अभिलेखों की फैक्स प्रतियों का प्रदर्शनः** इस प्रदर्शनी का आयोजन नूर इंटरनेशनल माइक्रोफिल्म सेंटर, ईरान कल्चरल हाउस के सहयोग से 2–17 मई, 2013 को किया गया।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-21

ARCHIVAL AWARENESS PROGRAMME

Under Section 3(2) (d) of the Public Records Act, 1993, the Director General of Archives is authorized by the Central Government to hold exhibition of public records so as to create archival awareness among the masses. Accordingly, National Archives of India mounted the following exhibitions during the period under report.

21.1 **Exhibitions organized by the National Archives of India, New Delhi** from January- December 2013:

1. **Gandhi-Kallenbach Correspondence:** This exhibition was organized on the occasion of Martydom Day of Gandhiji in National Archives of India from 30 January- 15 February 2013. It was inaugurated by Hon'ble Minister of Culture, Smt. Chandresh Kumari Katoch on 30 January 2013. Shri Gopalkrishan Gandhi, former Governor, West Bengal, Gandhian honour on the occasion. Shri T.N.Chaturvedi, former Governor, Karnataka, Gandhian scholars V.P.Anand, Ms. Varsha Dasand other distinguished guests as well as representatives from print and electronic media were also present during the inauguration of the exhibition.

2. **One Hundred Years of Indian Cinema:** On the occasion of 60th session of Indian Historical Record Committee this exhibition was organized at Lucknow. It was inaugurated on 27 February, 2013 by Shri Mohammad Azam Khan, Ministry for Parliamentary Affairs and Urban Development, Government of Uttar Pradesh, in the presence of Ms. Arun Kumari Khori, Minister of Women Welfare and Culture, and delegates of the IHRC.

3. **Life and Works of Khusro:** This exhibition was organized in collaboration with Aga Khan Trust, New Delhi from 1 -27 March 2013. It was inaugurated by Smt. Sangita Gairola, Secretary, Ministry of Culture in the presence of distinguished guests on 1 march 2013 at National Archives Museum.

4. **The Importance of Being Azad:** An exhibition was organized in the collaboration with Institute of Indian Economic Growth, New Delhi. This exhibition was inaugurated by Prof. David Lelyveld and Shri Ahmad Said Malihabadi in the presence of distinguished guests on 20 March 2013 at annexe foyer of National Archives. Shri Mahilabadi also addressed the audience and shared his experience with Maulana Abul Kalam Azad. This exhibition was open for public from 20 – 28 march 2013..

5. **Captain P.R.S. Mani: An Indian Journalist in Indonesia:** This exhibition was organized with the assistance of Prof. Heather Goodall, University of Technology, Sydney from1 -17 May 2013. It was inaugurated by Shri Jawahar Sircar, CEO, Prasar Bharati, New Delhi.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

7. **ट्रांसवाल की ऐतिहासिक यात्राः** इस प्रदर्शनी का आयोजन 1913 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा ऐतिहासिक ट्रांसवाल यात्रा के शताब्दी समारोह के अवसर पर किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सुश्री ईला गांधी, गांधी विकास ट्रस्ट द्वारा 30 नवंबर, 2013 को वोल्कस ट्रस्ट जेल, दक्षिण अफ्रीका में श्री रविन्द्र सिंह, सचिव (संस्कृति), श्री वीरेन्द्र गुप्ता, दक्षिण अफ्रीका के भारतीय उच्चायुक्त, सुश्री एम.एन.एस. मनाना, मपुमालंगा में संस्कृति, खेल और मनोरंजन के लिए एमईसी, श्री डेविड गेनगन, प्रोग्राम निदेशक तथा सीआईआई वी मलात्सी, डॉ0 पिक्सले सेमे एलएम के महापौर की उपस्थिति में किया गया।

8. **अभिलेखागार से चयनित एमएसएसः** इस प्रदर्शनी का आयोजन भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 61वें सत्र के अवसर पर 19–20 दिसंबर, 2013 को बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना में किया गया। इसका उद्घाटन बिहार के माननीय मुख्य मंत्री श्री नितिश कुमार द्वारा 19 दिसंबर, 2013 को किया गया।

21.2 क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में अभिलेखीय जागरूकता कार्यक्रमः

गाधी जयंती के अवसर पर एक प्रदर्शनी लगाई गई जो ''ऐतिहासिक दस्तावेजों तथा समकालीन फोटोचित्रों'' पर आधारित थी।

21.3 अभिलेख केन्द्र, पुड्डुचेरी में अभिलेखीय जागरूकता कार्यक्रमः शून्य

21.4 अभिलेख केन्द्र, भुवनेश्वर में अभिलेखीय जागरूकता कार्यक्रमः

प्रदर्शनी का शीर्षकः ''गिरमिटिया की यात्रा''। यह प्रदर्शनी रावेनशा यूनिवर्सिटी, कटक में भारतीय इतिहास कांग्रेस के 74वें सत्र के अवसर पर लगाई गई।

आगंतुकः

1. प्रशिक्षुओं के बैच, जिसमें आईएसटीएम, दिल्ली से सहायक, अनुभाग अधिकारी और अवर सचिव शामिल थे, ने अपने पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पूरे वर्ष राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें अभिलेखों के अभिलेखन सहित राष्ट्रीय अभिलेखागार पर संक्षिप्त जानकारी दी गई। प्रशिक्षुओं की कुल संख्या–290

2. राष्ट्रीय अभिलेखागार, सूरीनाम से 26 फरवरी से 2 मार्च, 2013 तक दो वरिष्ठ अधिकारियों (1) श्रीमती रीता तजिएन फूह, निदेशक, तथा (2) सुश्री आशा अमेरसिंह, अध्यक्ष, अभिलेख प्रबंधन ने राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।

3. श्री जिश्न बरूआ, मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, असम सरकार ने 11.2.2013 को निदेशक, असम राज्य अभिलेखागार के साथ दौरा किया।

4. जामिया मिलिया इस्लामिया से प्रशिक्षुओं (19) ने अभिलेख प्रबंधन पर अपने पाठ्यक्रम के भाग के रूप में 16.2. 2013 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

6. **Display of Facsimile Copies of Oriented Records:** In collaboration with Noor International Microfilm Centre, Iran Culture House, this exhibition was organised at New Delhi from 2-17 May 2013.

7. **The Historic March of Transvaal:** This exhibition was organized on the occasion of Centenary Celebration of the Historic Transvaal March by Gandhiji at South Africa in 1913. The exhibition was inaugurated by Ms. Ila Gandhi, Gandhi Development Trust in presence of Shri Ravindra Singh, Secretary (Culture), Shri Virendra Gupta, Indian High Commissioner to South Africa, Ms. MNS Manana, MEC for Culture, Sports & Recreation in Mpumalanga, Shri David Gengan, Program Director and Cllr V Malatsi, Mayor of dr. Pixley Seme LM on 30 November, 2013 at Volksrust Prison, South Africa

8. **The Selective MSS From Archives:** on the occasion of 61st session of Indian Historical Records Committee this exhibition was organised at Bihar State Archives, Patna from 19-20 December 2013. It was inaugurated by Hon'ble Chief Minister of Bihar, Shri Nitish Kumar, on 19 December, 2013.

21.2 Archival Awareness Programmes in Regional Office, Bhopal:

An exhibition on the occasion of Gandhi Jayanti was mounted which was based on "Historical Documents and Contemporary Photographs"

21.3 Archival Awareness Programme in Records Centre, Puducherry: Nil

21.4 Archival Awareness Programme in Records Centre, Bhubaneswar:

Title of Exhibition: "Journey of Girmitiya". The Exhibition was mounted on the occasion of 74th session of Indian History Congress in Ravenshaw University, Cuttack.

Visitors:

1. Batches of trainees including Assistants, Section Officers and Under Secretaries from the ISTM, New Delhi visited National Archives of India throughout the year as part of their course. They were briefed on the activities of NAI including archiving of records. Total number of trainees – 290.

2. Two senior officers, (1) Mrs Rita Tjien Fooh, Director and (2) Ms. Asha Ammersing, Head of Records Management from the National Archives of Suriname visited NAI from 26th February to 2nd March, 2013.

3. Mr. Jishnu Barua, Principle Secretary to Chief Minister, Government of Assam visited NAI along with the Director, Assam State Archives on 11-2-2013

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

5. 7 ब्रिटिश नागरिकों के एक समूह ने 12.02.2013 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया जिसमें सुश्री कैनडिया ल्यूटन भी शामिल थी, जो सर एडविन ल्यूटन के अंतिम शेष वंशज में से हैं।

6. महामहिम श्री जे.जे. सिंह, गवर्नर, अरुणाचल प्रदेश ने भारत–चीन सीमा से संबंधित अभिलेखों पर विचार करने के लिए 29 और 30 अप्रैल, 2013 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।

7. निदेशक, हरियाणा राज्य अभिलेखागार, श्री अशोक खेमका, आईएएस ने 1.5.2013 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।

8. तीन शिक्षकों सहित 90 छात्रों के समूह ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 9–13 मई, 2013 को दौरा किया।

9. अरुणोदय पब्लिक स्कूल के 7 छात्रों के एक समूह ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के बारे में जानने के लिए 22.5.2013 को एनएआई का दौरा किया।

10. श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ आर्किटेक्ट, हैदराबाद से तीन छात्रों के एक समूह ने अपने पाठ्यक्रम के भाग के रूप में भवन वास्तुकला का अध्ययन करने के लिए 28.5.2013 को एनएआई का दौरा किया।

11. दो अधिकारियों (1) श्री जकारिया आबिद अल खरूसी, अध्यक्ष, प्रलेखन वर्गीकरण अनुभाग तथा (2) श्री जाकिर हामउद अल रवाही, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अभिलेख का अनुवाद अनुभाग तथा ओमान अभिलेख प्राधिकारी ने समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत एनएआई की धारिता से अपनी रुचि के सूचीपत्रों और अभिलेखों की सूची पर विचार करने के लिए 17–26 जून, 2013 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।

12. रामपुर राजा पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश से 14 कर्मचारियों के एक समूह ने राष्ट्रीय अभिलेखगार की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के लिए 28.6.2013 को एनएआई का दौरा किया।

13. डॉ. हजाह देरेसाल हाजी इस्माइल, महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, मलेशिया की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल (3 सदस्यों) ने 5 जुलाई, 2013 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।

14. दिल्ली विश्वविद्यालय से 52 छात्रों के एक समूह ने अपने शिक्षक के साथ अपने पाठ्यक्रम के भाग के रूप में 20.09.2013 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।

15. पाथवेज स्कूल, नौएडा से 60 छात्रो के एक समूह ने अपने शिक्षक के साथ अपने पाठ्यक्रम के भाग के रूप में 20.09.2013 को राष्ट्रीय अभिखागार का दौरा किया।

16. इस्राइल से श्री बेनजामिन हरमन सारिद की अध्यक्षता में कालेनबैक के परिवार के सदस्यों ने गांधी कालेनबैक कागजात के संबंध मे 20.09.2013 को एनएआई का दौरा किया।

17. महामहिम जार्ज रोजा डे ओलिवेरा, पुर्तगाल के राजदूत ने 15 अक्तूबर, 2013 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया तथा डीजीए के साथ गोवा के अधिग्रहण से संबंधित अभिलेखों को प्राप्त करने के संबंध में मुलाकात की।

4. Trainees (19) from Jamia Millia Islamia visited NAI on 16-2-2013 as part of their course on archives management.

5. A group of 7 UK nationalists along with Ms. Candia Lutyen who is the last remaining direct descendent grandchild of Sir Edwin Lutyens, visited NAI on 12-3-2013.

6. H.E. Sh. J.J. Singh, the Governor of Arunachal Pradesh paid a visit to National Archives of India on 29 and 30 April 2013 to consult records relating to Indo-China Border.

7. Director, Haryana State Archives, Sh. Ashok Khemka, IAS visited NAI on 1-5-2013

8. Group of 90 students along with three teachers visited NAI from 9-13 May, 2913 to learn about the National Archives of India.

9. A group of 7 students from Arunodaya Public School visited NAI on 22-5-2013 to learn about the National Archives of India.

10. A group of three students from Shri Venkateshwar College of Architect, Hyderabad visited NAI on 28-5-2013 to study building architecture as part of their course.

11. Two officers (1) Mr. Zakaria Aabid Al Kharusi, Head of the Documentation Classification Section and (2) Mr. Zahir Hamoud Al Rawahi, Head of the Translation Section of the National Records and Archives Authority of Oman visited National Archives of India from 17-26 June, 2013 under MOU to consult the Catalogues and list of records of their interest from the holdings of NAI.

12. A group of 14 staff from the Rampur Raza Library, UP visited NAI on 28-6-2013 to study the working system of the National Archives of India.

13. A delegation (3 members) headed by Dr. Hajah Daresal Haji Ismail, Director General, National Archives of Malaysia visited National Archives of India on 5th July, 2013.

14. A group of 52 students from Delhi University along with their teacher visited National Archives of India on 20-09-2013 as part of their course.

15. A group of 60 students from Pathways School, Noida along with their teacher visited National Archives of India on 20-09-2013 as part of their course.

16. Family members of Kallenbach headed by Mr. Benjamin Herman Sarid from Israel visited NAI on 20-9-2013 in connection with the Ghandi Kallenbach papers..

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

18. डॉ0 जेम्स ओनले, वरिष्ठ व्याख्याता, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्जेटर, ब्रिटेन तथा श्रीमती तम्मी मोई, सहायक निदेशक, पुस्तकालय वर्जिनिया कामनवेल्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ कतर में राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया तथा 19वी से 20वीं सदी के प्रारंभ से अरब प्रायद्वीप, ईरान और इराक से संबंधित एनएआई अभिलेख धारिता की एक पत्र सूची तैयार करने के संबंध में अभिलेखागार महानिदेशक के साथ मुलाकात की।

19. टाटा सेंट्रल अभिलेखागार, पुणे से श्री हुसैन जी. सैयद तथा श्री सोहेल ए. सैयद ने राष्ट्रीय अभिलेखागार का 4.11.2013 को दौरा किया।

20. श्री अमरिल पाल सिंह, उप महानिदेशक, फिल्म प्रभाग, नई दिल्ली ने 20.11.2013 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।

21. गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम से 32 छात्रों के एक समूह ने 29.1.2013 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।

22. चीन से 6 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 7.12.2013 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया तथा डीजीए तथा संस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की तथा समान हित वाले विषयों पर बातचीत की।

23. महामहिम डॉ. साउद मोहम्मद अल–सती, राजदूत, सउदी अरब राज्य ने 9 दिसंबर, 2013 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।

24. महामहिम श्री चंद्रनाथ सिंह, उच्चायुक्त त्रिनिदाद और टोबागो ने 13.12.2013 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।

अतिरिक्त जानकारी:

अभिलेखों की देखभाल और संरक्षण तथा इनकी अभिरक्षा में अन्य धारिता राष्ट्रीय अभिलेखागार के प्रमुख उत्तरदायित्वों में से एक है। ऊपरी अभिरक्षा में लोक अभिलेखों, पुस्तकों और पाण्डुलिपियों के संरक्षण/परिरक्षण से संबंधित कार्य की पहचान करना महत्वपूर्ण विषय है तथा 2010 में शुरू की गई दो परियोजनाओं को वर्ष 2012 के दौरान भी जारी रखा गया। इन दो परियोजनाओं की प्रगति निम्न प्रकार है:

1. राष्ट्रीय अभिलेखागार के लोक अभिलेखों की संरक्षण और परिरक्षण परियोजना (पीआर–1 अनुभाग):

   मरम्मत और लेमिनेशन – 50007 शीटें

   सिलाई और जिल्द चढ़ाई गई – 502 खण्ड

2. पुस्तकालय की दुर्लभ पुस्तकों की मरम्मत की गई और जिल्द चढ़ाई गई, एनएआई (पीआर–II अनुभाग) :–

   मरम्मत और लेमिनेशन – 55070 शीटें

   सिलाई और जिल्द चढ़ाई गई – 228 खंड

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

17. H.E. Jorge Roza de Oliveira, Ambassador of Portugal visited National Archives of India on 15th October 2013 and held meeting with DGA regarding access to the records relating to annexation of Goa.

18. Dr. James Onley, Sr. Lecture, University of Exeter, UK along with Mrs. Tammi Moe. Assistant Director, Library Virginia Commonwealth University of Qatar visited to National Archives of India and held meeting with DGA in connection with the preparation of a Catalogue of NAI record holdings relating to Arabian Penisula, Iran and Iraq from the early 19th to 20th Centuries.

19. Mr. Hussain G. Sayyid and Mr. Sohail A. Sayyed from the Tata Central Archives, Pune visited National Archives of India on 4-11-2013.

20. Sh. Amril Pal Singh, Dy. Director General, Film Division, New Delhi visited National Archives of India on 20-11-2013.

21. A group of 32 students from the Gauhati University, Assam visited National Archives of India on 29-1-2013.

22. A delegation of 6 members from China paid a visit to National Archives of India on 7-12-2013 and held meeting with DGA and other Sr. officers from Ministry of Culture and national Archives of India and discussed on common interest.

23. H.E Dr. Saud Mohammad Al-Sati, Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia visted NAI on 9th December 2013.

24. H.E Sh. Chandranath Singh, the High Commissioner of Trinidad and Tobago paid a visit to the National Archives of India on 13-12-2013

Additional Information:

Care and conservation of records and other holdings in its custody is one of the primary responsibilities of the National Archives of India. The work related to conservation/ preservation of public records, books and manuscripts in its custody was identified to be matter of critical concern and two projects started in 2010 continued during the year 2012. The progress of these two projects are as under :

1. Project of Conservation and Preservation of Public Records of NAI (PR-I Section):-
Repair and Laminated – 50007 sheets
Stitched and Bound – 502 volumes

2. Project of Repair and Binding of Rare Books of Library, NAI (PR-II Section):-
Repair and Laminated – 55070 sheets
Stitched and Bound – 228 volume

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुलग्नक – I

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन पर महानिदेशक की 16वीं रिपोर्ट के संकलन के लिए सूचना उपलब्ध कराने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची

I. मंत्रालय / विभाग / स्वतंत्र कार्यालय

1. महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय)
2. भारत के उप–राष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली
3. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
4. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली
5. खान मंत्रालय, नई दिल्ली
6. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली, रेल मंत्रालय
7. योजना आयोग (विभागीय अभिलेख कक्ष), नई दिल्ली
8. संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली
9. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
10. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली

II. अधीनस्थ / संबद्ध कार्यालय

1. केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर, कृषि मंत्रालय
2. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी), जल संसाधन मंत्रालय
3. बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, रीवा, जल संसाधन मंत्रालय
4. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर, कृषि मंत्रालय
5. भारतीय विमानपत्तन विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली (नागरिक विमानन मंत्रालय)
6. राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, खान मंत्रालय
7. सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय)
8. केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली, जल संसाधन मंत्रालय
9. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर, जल संसाधन मंत्रालय
10. अंतर राज्यीय परिषद सचिवालय, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
11. केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर, कृषि मंत्रालय

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE I

List of Records Creating Agencies that have provided information for compiling the XVI DG's Report on Implementation of the Public Records Act,1993

I. **Ministries/ Departments/ Independent Offices**

1. Directorate General, CRPF, New Delhi (Ministry of Home Affairs)
2. Secretariat of the Vice-President of India, New Delhi
3. Ministry of Defence, New Delhi
4. Ministry of Water Resources, New Delhi
5. Ministry of Mines, New Delhi
6. Railway Board, New Delhi, Ministry of Railways
7. Planning Commission (Departmental Record Room), New Delhi
8. Ministry of Culture, New Delhi
9. Ministry of Human Resource Development, New Delhi
10. Ministry of Commerce & Industry, New Delhi;

II **Subordinate/ Attached Offices**

1. Central Plantation Crops Research Institute, ICAR, Ministry of Agriculture
2. Upper Yamuna River Board (UYRB), Ministry of Water Resources
3. Bansagar Control Board, Rewa, Ministry of Water Resources
4. Central Potato Research Institute, ICAR, Ministry of Agriculture
5. Airport Economic Regulatory Authority of India, New Delhi (Ministry of Civil Aviation)
6. National Institutes of Miners' Health, Ministry of Mines
7. Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources)
8. Central Water Commission, New Delhi Ministry of Water Resources
9. Narmada Control Authority, Indore, Ministry of Water Resources
10. Inter –State Council Secretariat, New Delhi, Ministry of Home Affairs
11. Central Agmark Laboratory, Nagpur, Ministry of Agriculture

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

12. भारतीय गुणवत्ता परिषद (औद्योगिक संवर्धन एवं नीति विभाग, वाणिज्य मंत्रालय)
13. भारतीय आयुध निर्माणी, धातु और स्टील फैक्टरी, ईशापुर, पश्चिम बंगाल (रक्षा मंत्रालय)
14. राष्ट्रीय रॉक मैकेनिक संस्थान, कोलार गोल्ड फील्ड्स, कर्नाटक (खान मंत्रालय)
15. भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (खान मंत्रालय)

III. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय)
2. राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी) लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय)
3. राष्ट्रीय एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन (नाल्को) लिमिटेड, भुवनेश्वर (खान मंत्रालय)
4. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)
5. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, जनजातीय कार्य मंत्रालय (ट्राइफेड), नई दिल्ली (जनजातीय कार्य मंत्रालय)
6. वैपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय)
7. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई, (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय)
8. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, नागपुर, (खान मंत्रालय)
9. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली, (रेल मंत्रालय)
10. हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)

IV संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनः

सचिवालय, अंडमान व निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

12. Quality Council of India (Deptt of Industrial Promotion & Policy, Ministry of Commerce)
13. Indian Ordnance Factories, Metal & Steel Factory, Ishapore, West Bengal(Ministry of Defence)
14. National Institute of Rock Mechanics, Kolar Gold Fields, Karnataka (Ministry of Mines)
15. Indian Bureau of Mines, Nagpur (Ministry of Mines)

III Public Sector Undertakings

1. National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textiles)
2. National Hydroelectric Power Corporation (NHPC), Limited, Faridabad(Ministry of Power)
3. National Aluminium Corporation (NALCO) Limited, Bhubaneswar (Ministry of Mines)
4. Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)
5. Tribal Co-Operative Marketing Development Federation of India Ltd., Ministry of Tribal Affairs (TRIFED), New Delhi (Ministry of Tribal Affairs)
6. WAPCOS Limited, New Delhi (Ministry of Water Resources)
7. Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai, (Ministry of Petroleum and Natural Gas)
8. Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur, (Ministry of Mines)
9. IRCON International Limited, New Delhi, (Ministry of Railways)
10. Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)

IV Union Territory Administration:

Secretariat, Andaman and Nicobar Administration, Port Blair

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुलग्नक– II

अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण करने संबंधी जून और दिसंबर को समाप्त छमाही की विवरणियां प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची (प्रपत्र 7, लोक अभिलेख नियम, 1997)

क्र.सं.	अभिलेख सर्जक एजेंसियों का नाम	प्राप्त छमाही विवरणियों की संख्या
क.	**मंत्रालया / विभाग / अधीनस्थ कार्यालय, आदि**	
	कृषि मंत्रालय	02
1.	केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर	02
	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, उत्तर प्रदेश 01	
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
3.	केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अधीन)	02
4.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली	01
5.	रक्षा मंत्रालयः	02
	गृह मंत्रालय	
6.	अंतर राज्यीय परिषद	01
7.	रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय	01
	खान मंत्रालयः	
8.	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता	01
9.	राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर	01
10.	जवाहर लाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केंद्र	01
	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	**01**
11.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी	01
	पोत परिवहन मंत्रालय	
12.	मुख्य अभियंता और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स	01
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE II

List of Records Creating Agencies that have submitted Half Yearly Returns in June & December on Recording, Reviewing, Indexing and Weeding of Semi Current Records (Form 7, Public Records Rules, 1997)

S.No.	Name of the Records Creating Agencies	No. of Half Yearly Returns received
A	**Ministries/ Departments/ Subordinate offices, etc.**	
	Ministry of Agriculture	02
	1. Central Agmark Laboratory, Nagpur	02
	Ministry of Civil Aviation	01
	2. Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Uttar Pradesh	01
	Ministry of Commerce & Industry	
	3. Central Pulp & Paper Research Institute, Saharanpur (under Dept. of Industrial Policy & Promotion)	02
	4. Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, New Delhi	01
	5. Ministry of Defence:	02
	Ministry of Home Affairs	
	6. Inter State Council	01
	7. Office of the Registrar General	01
	Ministry of Mines:	
	8. Geological Survey of India, Kolkata	01
	9. National Institute of Miners'Health, Nagpur	01
	10. Jawharlal Nehru Aluminium Research Development & Design Centre	01
	Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions	01
	11. Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie.	01
	Ministry of Shipping	
	12. Office of the Chief Engineer & Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works	01
	Ministry of Social Justice & Empowerment	

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

	13. व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, लुधियाना	01
	14. जल संसाधन मंत्रालयः	02
ख.	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**	
	1. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)	01
	2. मैजागन डॉक लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय)	01
	3. राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय)	02
	4. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय)	01
	5. हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)	01
	6. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय)	01

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

	13. Vocational Rehabilitation Centre, Ludhiana	01
	14. Ministry of Water Resources:	02
B.	**Public Sector Undertakings**	
	1. Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)	01
	2. Mazagon Dock Limited (Ministry of Defence)	01
	3. National Hydroelectric Power Corporation Limited (Ministry of Power)	02
	4. Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai (Ministry of Petroleum & Natural Gas)	01
	5. Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)	01
	6. Rural Electrification Corporation Limited (Ministry of Power)	01

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुलग्नक– III

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करने संबंधी जून और दिसंबर को समाप्त छमाही की विवरणियां प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची (प्रपत्र 4, लोक अभिलेख नियम, 1997)

क्र.सं.	अभिलेख सर्जक एजेंसी का नाम	प्राप्त छमाही विवरणियों की संख्या
क.	**मंत्रालय/विभाग/अधीनस्थ कार्यालय, आदि.**	
	कृषि मंत्रालयः	
	1. केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला	02
	नागरिक विमानन मंत्रालय	
	2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, उत्तर प्रदेश	01
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
	3. नमक आयुक्त का कार्यालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)	01
	4. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	02
	5. केन्द्रीय पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर	02
	6. टैरिफ आयोग, नई दिल्ली	01
	7. पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, नागपुर	02
	8. उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नई दिल्ली	01
	9. रक्षा मंत्रालयः	02
	गृह मंत्रालय	
	10. महापंजीयक का कार्यालय	01
	11. महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल	01
	12. अंतर राज्यीय परिषद	01
	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	
	13. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय (सेंट्रल), कोचीन	01
	खान मंत्रालय	
	14. जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन सेंटर, नागपुर	01
	15. राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर	01

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE III

List of Records Creating Agencies that have submitted Half Yearly Returns in June & December on Downgrading of classified files (Form 4, Public Records Rules, 1997)

S.No.	Name of the Records Creating Agencies	No. of Half Yearly Returns received
A	**Ministries/ Departments/ Subordinate offices, etc.**	
	Ministry of Agriculture	02
	1. Central Agmark Laboratory, Nagpur	02
	Ministry of Civil Aviation	
	2. Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Uttar Pradesh	01
	Ministry of Commerce & Industry	
	3. Office of the Salt Commissioner(Department of Industrial Policy & Promotion)	01
	4. Department of Industrial Policy & Promotion	02
	5. Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur	02
	6. Tariff Commission , New Delhi	01
	7. Petroleum & Explosives Safety Organization, Nagpur	02
	8. **Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, New Delhi**	01
	9. **Ministry of Defence:**	02
	Ministry of Home Affairs	
	10. Office of the Registrar General	01
	11. Directorate General Border Security Force	01
	12. Inter State Council	01
	Ministry of Labour & Employment	
	13. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Cochin	01
	Ministry of Mines	
	14. Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development & Design Centre, Nagpur	01
	15. National Institute of Miners'Health, Nagpur	01

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयः 01

16. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी	01
17. जल संसाधन मंत्रालय	01
18. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली	01

ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों:

1. हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स पुणे, लिमिटेड (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)	01
2. राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय)	02
3. मैजागन डॉक लिमिटेड, मुंबई (रक्षा मंत्रालय)	01
4. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (खान मंत्रालय)	01
5. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (रसायन और उर्वरक मंत्रालय)	01
6. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)	01

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

	Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions:	01
	16. Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie	01
	17. **Ministry of Water Resources**	**01**
	18. **Ministry of Women & Child Development, New Delhi**	**01**
B.	**Public Sector Undertakings/ Corporations:**	
	1. Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)	01
	2. National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad (Ministry of Power)	02
	3. Mazagon Dock Limited, Mumbai (Ministry of Defence)	01
	4. Mineral Exploration Corporation Limited (Ministry of Mines)	01
	5. Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited (Ministry of Chemicals & Fertilizers)	01
	6. National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow (Ministry of Commerce & Industry)	01

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुलग्नक–IV

वर्ष 2013 में पांच दिवसीय अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले अभिलेख अधिकारियों के नाम

क. राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र, भुवनेश्वर में दिनांक 7 से 11 जनवरी, 2013 तक आयोजित 110वां अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम

क्र.सं.	नाम व पदनाम	प्रायोजित संस्थान का ब्यौरा
1.	श्री भीम चरण माझी प्रशासनिक अधिकारी	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (रक्षा मंत्रालय), नेपियर रोड हेस्टिंग, कोलकाता –700022
2.	श्री रंजय कुमार नायक, एए– 'बी'	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (रक्षा मंत्रालय), नेपियर रोड हेस्टिंग, कोलकाता –700022
3.	श्री प्रमिला साहू, पीसी	केंद्रीय जाच ब्यूरो, पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, यूनिट–आठवीं, पोस्ट–नयापल्ली भुवनेश्वर–751012
4.	श्री रवि दुरईराज, एएफए (दक्षता)	एफए एंड कंपनी के अधिकारी, मध्य रेलवे, मुंबई
5.	श्री निरंजन प्रुस्ती, अनुभाग अधिकारी,	भारतीय मानक ब्यूरो, प्लॉट नं. 62–63, गंगा नगर, यूनिट–टप, भुवनेश्वर, ओडिशा–751001
6.	श्री एस.सी. बारिक, निजी सचिव	भारतीय मानक ब्यूरो, प्लॉट नं. 62–63, गंगा नगर, यूनिट–टप, भुवनेश्वर, ओडिशा–751001

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE-IV

NAME OF RECORDS OFFICERS WHO HAVE ATTENDED FIVE-DAY ORIENTATION COURSES ON RECORDS MANAGEMENT IN 2013

A. 110th Orientation Course in Records Management from 7-11 January, 2013 held at National Archives of India, Record Centre Bhubaneswar.

S.No.	Name & Designation	Details of the sponsoring Institution
1.	Shri Bhim Charan Majhi Administrative Officer,	Defence Research & Development Organisation, (M/O- Defence), Napier Road Hasting, Kolkata -700022
2.	Shri Ranjay Kumar Nayak, AA-"B"	Defence Research & Development Organisation,(M/O- Defence), Napier Road Hasting, Kolkata -700022
3.	Shri Pramila Sahoo, PC	Central Bureau of Investigation, Officeof the Supdt. Of Police, Unit-VIII, Post- Nayapalli, Bhubaneswar-751012
4.	Shri Ravi Durairaj, AFA(Effy)	FA & CO'S Officer, Central Railway, Mumbai.
5.	Shri Niranjan Prusty, Section Officer,	Bureau of Indian Standards, Plot no. 62-63, Ganga Nagar, Unit-VI, Bhubaneswar, Odisha.-751001
6.	Shri S.C. Barik, Private Secretary	Bureau of India Standards, Plot No.62-63,Ganga Nagar, Unit-VI, Bhubaneswar. 751001

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

7.	श्री बी.के. दास, ए.जी.एम. प्रशासनिक	नालको दामनजोड़ी जिला–कोरापुट, ओडिशा
8.	श्री जी.जी.सी. पात्रा कनिष्ठ प्रबंधक (सचिवालयी) खान	नालको दामनजोड़ी जिला–कोरापुट, ओडिशा
9.	श्री गौतम कुमार हुई, अधिकारी, लेखा	सीरम विज्ञान संस्थान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 3, केवाईडी स्ट्रीट कोलकाता–7000016
10.	श्री अशोक कुमार अरोड़ा, सहायक कमांडेंट	महानिदेशक, सीआईएसएफ मुख्यालय, 13 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली– 110003
11.	श्री एस एस प्रसाद राव परमाणु ऊर्जा विभाग	प्रशासनिक कार्यालय – III विकिरण बोर्ड और आइसोटोप प्रौद्योगिकी, नई मुंबई–400705
12.	श्री विजय कुमार दास, हेड क्लर्क,	अधीक्षण पुरातत्त्ववेत्ता का कार्यालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भुवनेश्वर सर्किल, सत्य नगर, भुवनेश्वर–7510007

ख. राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में दिनांक 18 से 22 फरवरी, 2013 तक आयोजित 111वां अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम

13.	श्री आर.के. दुग्गल अनुभाग अधिकारी	सीआईएसएफ मुख्यालय, 13, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली
14.	श्री पैट्रास लाकड़ा अनुभाग अधिकारी	सीआईएसएफ मुख्यालय, 13, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

7.	Shri B.K. Dash, A.G.M. Administrative,	NALCO Damanjodi Distt.-Koraput, Odisha.
8.	Shri G.G.C.Patra, Jr.Manager (Secretatial) Mines	NALCO Damanjodi Distt.-Koraput, Odisha
9.	Shri Gautam Kumar Hui, Accounts Officer,	Institute of Serology, M/O Health Family Welfare 3, KYD Street Kolkata.-7000016
10.	Shri Ashok Kumar Arora, Assistant Commandant	Director General, CISF Headquarter, 13 CGO Complex Lodhi Road New Delhi- 11003
11.	Shri S. S. Prasad Rao, Administrative Office-III	Depart ant of Atomic Engery, Board of Radiation and Isotope Technology, New Mumbai-400705
12.	Shri Bijaya KumarDash, Head Clerk,	O/o Superintending Archeologist, Archeological Survey Of India, Bhubaneswar Circle, Satya Nagar, Bhubaneswar-7510007

B. 111th Orientation Course in Records Management from 18 -22 February, 2013 held at National Archives of India, New Delhi.

13.	Shri R.K.Duggal Section Officer	CISF Headquarters, 13, CGO's Complex, Lodhi Road,New Delhi
14.	Shri Patras Lakra Section Officer	CISF Headquarters, 13, CGO's Complex, Lodhi Road,New Delhi.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

15.	श्री मनोहर भूषण कनिष्ठ अधिकारी, एचआर–ईबी	ऊर्जा प्रबंधन संस्थान, प्लॉट नं. 5–14, सेक्टर 16 ए, नोएडा–201301
16.	श्री एस.एन. गुप्ता निदेशक (एलएम) मुख्यालय	दिल्ली विकास प्राधिकरण (प्रशिक्षण सेल), सी –1 / 316, तीसरा तल, विकास सदन, नई दिल्ली 110023
17.	श्री संदीप मेहता वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी	डीजल लोको आधुनिकीकरण वर्क्स, पटियाला–147003.
18.	श्री टी.ए.खान अनुसंधान अधिकारी	शहर और देश योजना संगठन, ''ई'' ब्लॉक, दिल्ली विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली
19.	श्री संघ प्रिया गौतम एडी (टीआरएस) बीएसएल	वरिष्ठ डी.ई.ई. का कार्यालय (टीआरएस) बीएसएल, मध्य रेलवे, इलेक्ट्रिक लोको शेड, भुसावल–425101, जिला. जलगांव, महाराष्ट्र
20.	श्री अजितेश शर्मा डी.एम. (प्रशा.), सेवा–।।,	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी परिसर, सेक्टर 33 फरीदाबाद फैक्स 0129–2278004
21.	हरिओम शुक्ल एएचओ, ऊरी–।।,	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी परिसर, सेक्टर 33 फरीदाबाद फैक्स 0129–2278004
22.	सुनील कुमार टीई (मानव संसाधन), किशनगंगा	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी परिसर, सेक्टर 33 फरीदाबाद फैक्स 0129–2278004
23.	आनंद कुमार सिंह ए.एम. (सिविल), कोटली भेल 1बी,	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद फैक्स 0129–2278004

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

15.	Shri Manohar Bhushan Junior Officer, HR-EB	Power Management Institute, Plot No.5-14,Sector 16A, Noida-201301.
16.	Shri S.N.Gupta Director (LM) HQ	Delhi Development Authority, (Training Cell), C-1/316, 3rd Floor, Vikas Sadan,New Delhi-110023.
17.	Shri Sundeep Mehta Senior Section Officer	Diesel Loco Modernisation Works,Patiala-147003.
18.	Shri T.A.Khan Research Officer	Town and Country Planning Organisation, "E" Block,Delhi Vikas Bhawan, I.P.Estate,New Delhi.
19.	Shri Sangh Priya Gautam ADEE (TRS) BSL	Office of the Sr.D.E.E. (TRS)BSL, Central Railway, Electric Loco Shed, Bhusawal-425101. Dist. Jalgaon, Maharastra
20.	Shri Ajitesh Sharma D.M (Admn.), Sewa-II,	NHPC Limited, NHPC Complex,Sector 33 Faridabad Fax 0129-2278004
21.	Hariom Shukl AHO, Uri-II,	NHPC Limited, NHPC Complex, Sector 33 Faridabad Fax 0129-2278004
22.	Sunil Kumar TE(HR), Kishanganga	NHPC Limited, NHPC Complex,Sector 33 Faridabad Fax 0129-2278004
23.	Anand Kumar Singh A.M(Civil), Kotli Bhel 1B,	NHPC Limited, NHPC Complex,Sector 33 Faridabad Fax 0129-2278004

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

24.	एन.सी. भट्ट डी.एम. (प्रशा.), कोटली भेल 1ए और ।।,	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी परिसर, सेक्टर 33 फरीदाबाद फैक्स 0129–2278004
25.	लीलाम्बर पटनी ईएस, टनकपुर पीएस	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी परिसर, सेक्टर 33 फरीदाबाद फैक्स 0129–2278004
26.	राकेश नंदन टीई (मानव संसाधन), आरओ–इन्टानगर	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी परिसर, सेक्टर 33 फरीदाबाद फैक्स 0129–2278004
27.	आर.यू. खान ए.एम. (प्रशा.), तीस्ता– IV,	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद फैक्स 0129–2278004
28.	आर.आर. सिन्हा एसीएमओ, कारपोरेट कार्यालय	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद फैक्स 0129–2278004
29.	श्री दिनेश शुक्ला वरिष्ठ प्रबंधक/अभिलेख अधिकारी (एमपीएसपी), पुणे	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, एचआरडी केंद्र, आम बाग, पशुलोक, ऋषिकेश–249201. फैक्सः 0135–2452900
30.	श्री बी.पी. दोभाल इंजीनियर, सीआरओ कार्यालय, ऋषिकेश	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, एचआरडी केंद्र, आम बाग, पशुलोक, ऋषिकेश–249201. फैक्सः 0135–2452900
31.	श्री जे.बी. सिंह प्रबधक/अभिलेख अधिकारी (एनपी),	नई टिहरी टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, एचआरडी केंद्र, आम बाग, पशुलोक, ऋषिकेश–249201. फैक्सः 0135–2452900

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

24.	N.C. Bhatt D.M(Admn.), Kotli Bhel 1A&II,	NHPC Limited, NHPC Complex,Sector 33 Faridabad Fax 0129-2278004
25.	Lilambar Patni ES, Tanakpur PS	NHPC Limited, NHPC Complex,Sector 33 Faridabad Fax 0129-2278004
26.	Rakesh Nandan TE(HR), RO- Intanagar	NHPC Limited, NHPC Complex,Sector 33 Faridabad Fax 0129-2278004
27.	R.U. Khan A.M(Admn.), Teesta-IV,	NHPC Limited, NHPC Complex,Sector 33 Faridabad Fax 0129-2278004
28.	R.R. Sinha ACMO, Corporate Office,	NHPC Limited, NHPC Complex,Sector 33 Faridabad Fax 0129-2278004
29.	Shri Dinesh Shukla Senior Manager/Record officer(MPSP), Pune	THDC India Limited, HRD Centre,Aam Bagh, Pashulok, Rishikesh-249201. Fax: 0135-2452900
30.	Shri B.P.Dobhal Engineer, CRO office, Rishikesh	THDC India Limited, HRD Centre,Aam Bagh, Pashulok, Rishikesh-249201. Fax: 0135-2452900
31.	Shri J.B.Singh Manager/Record Officer(NP), New Tehri	THDC India Limited, HRD Centre, Aam Bagh, Pashulok, Rishikesh-249201. Fax: 0135-2452900

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

32.	श्री एन.के. यादव प्रबंधक/अभिलेखं अधिकारी सीआरओ कार्यालय, ऋषिकेश	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, एचआरडी केंद्र, आम बाग, पशुलोक, ऋषिकेश–249201. फैक्सः 0135–2452900
33.	श्री एस.के. मित्तल प्रबंधक/अभिलेख अधिकारी, लखनऊ	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, एचआरडी केंद्र, आम बाग, पशुलोक, ऋषिकेश–249201. फैक्सः 0135–2452900

ग. राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में दिनांक 20 से 24 जून, 2013 तक आयोजित 112वां अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम

34.	श्री मनीष सिंह, सहायक प्रबंधक (सामान्य प्रशासन)	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली –110001
35.	श्री पवन गुप्ता अनुभाग अधिकारी	भारत के उपराष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली –110001
36.	श्रीमती. सीमा सिंह, सहायक प्रबंधक (पी एंड ए)	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, 5 वीं मंजिल, एनसीयूआई, भवन, 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं.4617, नई दिल्ली 110016.
37.	श्री गिरीश चंद, कनिष्ठ कार्यपालक (पी एंड ए)	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, 5 वीं मंजिल, एनसीयूआई, भवन, 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं.4617, नई दिल्ली 110016.
38.	श्री आशीष मोरे, वरिष्ठ अधिकारी	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, माहुल रोड, चेंबूर (ई), मुंबई.
39.	श्री शक्ति प्रदर्शन, उप प्रबंधक	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड सरोजिनी नगर, कानपुर रोड, लखनऊ–226008

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

32.	Shri N.K.Yadav Manager/Record OfficerCRO office, Rishikesh	THDC India Limited, HRD Centre,Aam Bagh, Pashulok, Rishikesh-249201. Fax: 0135-2452900
33.	Shri S.K.Mittal Manager/record Officer, Lucknow	THDC India Limited, HRD Centre,Aam Bagh, Pashulok, Rishikesh-249201. Fax: 0135-2452900

C. 112th Orientation Course in Records Management from 20- 24June, 2013 held at National Archives of India, New Delhi.

34.	Shri Manish Singh, Assistant Manager(Genl.Admn.)	Central Cottage Industries Corporation of India limited, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi-110001.
35.	Shri Pawan Gupta Section Officer	Secretariat of The Vice President of India, New Delhi-110001.
36.	Smt. Seema Singh, Assistant Manager(P&A)	National Backward Classes Finance & Development Corporation, 5th Floor, N.C.U.I, Building,3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Post Box No.4617, New Delhi-110016.
37.	Shri Girish Chand, Junior Executive (P&A),	National Backward Classes Finance & Development Corporation, 5th Floor, N.C.U.I, Building,3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Post Box No.4617, New Delhi-110016.
38.	Shri Ashish More, Senior Officer	Rashtriya chemicals and Fertilisers Limited, Administrative Building, Mahul Road, Chembur (E), Mumbai.
39.	Shri Shakti Pradarshan, Deputy Manager	Scooters India Limited Sarojini Nagar, Kanpur Road, Lucknow-226008

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

40.	श्री भूषण लाल, उप प्रबंधक	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, टी आर जी / सीएसआर डिवीजन, कर्मचारी विकास केन्द्र, घिटोरनी, नई दिल्ली 110030
41.	श्री मोहखाम सिंह, सहायक प्रबंधक (सामग्री)	नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एन.बी.सी.सी. भवन, लोधी रोड–110003
42.	श्री दिलीप सिंह, ए एम (एचआरएम)	नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एन.बी.सी.सी. भवन, लोधी रोड–110003
43.	श्री एस.के. शर्मा, ए एम (एचआरएम)	नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एन.बी.सी.सी. भवन, लोधी रोड–110003
44.	श्री एल.एन. रस्तोगी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	राष्ट्रीय बीज निगम इण्डिया लिमिटेड, बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–110012
45.	श्री बलराम सिंह, सहायक निजी सचिव	राष्ट्रीय बीज निगम इण्डिया लिमिटेड, बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–110012
46.	श्री सत्यवान, उप प्रबंधक	राष्ट्रीय वस्त्र निगम इण्डिया लिमिटेड, कोर– IV, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
47.	श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ प्रबंधक (प्रशासन)	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, सी –56, ए / 17, सेक्टर 62, नोएडा–201307
48.	सुश्री संयोगिता, कनिष्ठ सहायक (मानव संसाधन)	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, सी –56, ए / 17, सेक्टर 62, नोएडा–201307
49.	श्री रजनीश रंजन, कनिष्ठ लेखाकार (वित्त)	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, सी –56, ए / 17, सेक्टर 62, नोएडा–201307
50.	श्री घनश्याम तिवारी, वैज्ञानिक 'एफ'	रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, राजभाषा और ओएंडएम निदेशालय, 'बी' ब्लॉक, दूसरी मंजिल, डीआरडीओ भवन, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली–110011

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

40.	Shri Bhushan Lal, Deputy Manager	National Building Construction Corporation Limited, TRG/CSR Division,Employees Development Centre, Ghitorni, New Delhi-110030.
41.	Shri Mohkham Singh, Assistant Manager(Material)	National Building Construction Corporation Limited, N.B.C.C Bhawan, Lodhi Road-110003
42.	Shri Dilip Singh, AM(HRM)	National Building Construction Corporation Limited, N.B.C.C Bhawan, Lodhi Road-110003
43.	Shri S.K.Sharma, AM(HRM)	National Building Construction Corporation Limited, N.B.C.C Bhawan, Lodhi Road-110003
44.	Shri L. N. Rastogi, Assistant Administrative Officer	National Seeds Corporation Limted, Beej Bhawan, Pusa Complex,New Delhi-110012
45.	Shri Balram Singh, Assistant Private Secretary	National Seeds Corporation Limted, Beej Bhawan, Pusa Complex,New Delhi-110012
46.	Shri Satyawan, Deputy Manager	National Textile Corporation Limted, Core-IV, Scope Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi-110003
47.	Shri Rakesh Kumar, Jr. Manager (Administration)	Broadcast Engineering Consultants India Limited, C-56,A/17, Sector-62, Noida-201307.
48.	Ms. Sanyogita, Jr. Assistant(HR)	Broadcast Engineering Consultants India Limited, C-56,A/17, Sector-62, Noida-201307.
49.	ShriRajneeshRanjan, Jr. Accountant (Finance)	Broadcast Engineering Consultants India Limited, C-56,A/17, Sector-62, Noida-201307.
50.	Shri Ghanshyam Tiwari, Scientific 'F'	Defence Research and Development Organisation, Directorate of Rajbhasha and O & M,'B' Block, IInd floor, DRDO Bhawan, Rajaji Marg, New Delhi-110011

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

51.	श्री अनिल कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली –110001
52.	श्री वमपाद शर्मा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	राष्ट्रीय अनुसंधान पादप केन्द्र – जैव प्रौद्योगिकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कमरा नं. 232, एनआरसीपीबी, एलबीएस भवन पूसा परिसर, नई दिल्ली
53.	श्री कृष्ण दत्त, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	राष्ट्रीय अनुसंधान पादप केन्द्र – जैव प्रौद्योगिकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कमारा नं. 231, एनआरसीपीबी, एलबीएस भवन पूसा परिसर, नई दिल्ली
54.	श्री एस.के. यादव, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केन्द्र डीपीएस मार्ग, पूसा, नई दिल्ली
55.	श्री पी.के. अग्रवाल, उप अधिकारी (ए/सी–प्रशासन)	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
56.	श्री अमिताभ साहा, अवर सचिव	रक्षा मंत्रालय, डी (ओ एंड एम)/पीजी) शाखा, मॉड, 144बी, सेना भवन नई दिल्ली–110011
57.	श्री सोमनाथ बिस्वास, प्रबंधन प्रशिक्षु (मानव संसाधन/ कार्मिक)	पूर्वी कोलफील्ड लिमिटेड, कार्यकारी स्थापना विभाग, ईसीएल मुख्यालय सी.एम.डी. कार्यालय, पी.ओ. दीशेरगढ़ जिला –बर्दवान, पश्चिम बंगाल–713333

घ. राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में दिनांक 1 से 5 जुलाई, 2013 तक आयोजित 113वां अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम

58.	श्री एस.एस. गुलाटी, वरिष्ठ अधिकारी (मानव संसाधन)	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली
59.	श्री पवन पुरी, वरिष्ठ अधिकारी (मानव संसाधन)	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

51.	Shri Anil Kumar Sharma, Assistant Administrative Officer	Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhawan, New Delhi-110001.
52.	Shri Vampad Sharma, Senior Administrative Officer,	National Research Centre on Plant-Biotechnology Indian Council of Agriculture Research R.No. 232, NRCPB,LBS Building Pusa Campus, New Delhi
53.	Shri Krishan Dutt, Assistant Administrative Officer	National Research Centre on Plant-Biotechnology Room No. 231, 2nd Floor Pusa Campus, New Delhi
54.	Shri S.K.Yadav, Assistant Administrative Officer	National centre For Agriculture Economics & Policy Research DPS Marg, Pusa, New Delhi
55.	Shri P.K Aggarwal, Deputy Officer(A/C-Admn)	Cement Corporation of India Limited, Lodi Road , New Delhi-110003
56.	Shri Amitava Saha, Under Secretary	Ministry of Defence, D(O&M)/PG)Branch,Mod, 144B,Sena Bhawan New Delhi-110011
57.	Sri Somenath Biswas, Management Trainee (HR/Pers.)	Eastern Coalfield Limited, Executive Establishment DEPT, ECL HQ.C.M.D. Office, P.O. Dishergarh Dist.-Burdwan, West Bengal-713333

D. 113th Orientation Course in Records Management from 1-5 July, 2013 held at National Archives of India, Regional Office Bhopal.

58.	Shri S.S.Gulati, Senior Officer(HR)	Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi
59.	Shri Pawan Puri, Senior Officer(HR)	Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

60.	श्री पी.एस. सुनील कुमार, एएओ, आईआईएसएस, भोपाल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
61.	श्री एन.वी. धांडे, पीएस, सीआईसीआर, नागपुर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
62.	श्री महिपाल, सहायक (मानव संसाधन)	विकलांग व्यक्तियों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), भोपाल
63.	श्री संजीव कुमार, उप प्रबंधक (सिविल)	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, फरीदाबाद
64.	श्री निर्मल कुमार मंडल, राजभाषा अधिकारी	एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद
65.	श्री नवनीत दास बाठरी, सहायक प्रोग्रामर	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी, फरीदाबाद
66.	श्री हरि ओम शुक्ल, सहायक हिंदी अधिकारी	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी, फरीदाबाद
67.	श्री अशोक थॉमस, प्रबंधक (पीएस)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली
68.	श्री एस.के. आंचल, सहायक प्रबंधक	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली
69.	श्री एस.के. ग्रोवर प्रबंधक	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली
70.	श्री अजय सहाय, सहायक निदेशक	जनगणना प्रचालन निदेशालय, भोपाल
71.	श्री हेमंत कुमत गोयल एसआईजी.।।	जनगणना प्रचालन निदेशालय, भोपाल
72.	श्री राज कुमार सिंह, कम्प्यूटर ऑपरेटर	जनगणना प्रचालन निदेशालय, भोपाल

60.	Shri P.S. Sunil Kumar, AAO, IISS, Bhopal	Indian Council of Agricultural Research, New Delhi
61.	Shri N.V. Dhande, PS,CICR, Nagpur	Indian Council of Agricultural Research, New Delhi
62.	Shri Mahipal, Assistant (HR)	Composite Regional Centre for Persons with Disabilities(C.R.C), Bhopal
63.	Shri Sanjeev Kumar, Deputy Manager(Civill)	NHPC Limited NHPC Office Complex, Faridabad.
64.	Shri Nirrmal Kumar Mandal, Rajbhasa Officer	NHPC Limited Faridabad
65.	Shri Navneet Dass Bathri, Assistant Programmer	NHPC Limited NHPC, Faridabad
66.	Shri Hari Om Shukla, Assistant Hindi Officer	NHPC Limited NHPC, Faridabad
67.	Shri Ashok Thomas, Manager (PS)	Airport Authority of India, New Delhi
68.	Shri S. K. Aanchal, Assistant Manager	Airport Authority of India, New Delhi
69.	Shri S. K. Grover Manager	Airport Authority of India, New Delhi
70.	Shri Ajay Sahay, Assistant Director	Directorate of Census Operation, Bhopal
71.	Shri Hemant Kumat Goel SIG.II	Directorate of Census Operation, Bhopal
72.	Shri Raj Kumar Singh, Computer Operator	Directorate of Census Operation, Bhopal
73.	Shri Naresh Burde, U.D.C.	Directorate of Census Operation, Bhopal
74.	Shri V.V.L Sridhara Rao Manager(Finance)	IRCTC, Secundrabad

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

73.	नरेश बुर्डे, उ.श्रे.लि.	जनगणना प्रचालन निदेशालय, भोपाल
74.	श्री वी.वी.एल. श्रीधर राव प्रबंधक (वित्त)	आईआरसीटीसी, सिकंदराबाद
75.	श्री एस.के. बरमैया सहायक. लेखा अधिकारी	ए.जी. का कार्यालय (ए एंड ई) – I, भोपाल (मध्य प्रदेश)
76.	श्रीमती सविता जैन कार्यालय अधीक्षक	जनगणना निदेशालय, भोपाल
77.	श्री शक्तिपाल सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, इंदौर
78.	श्री राम अवतार पराशर, वित्त एवं लेखा अधिकारी	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैस मैनेजमेंट

ङ. राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में दिनांक 9 से 13 जुलाई, 2013 तक आयोजित 114वां अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम

79.	श्री बी. नायक, प्रबंधक (मानव संसाधन)	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, ई–6 (ए), सेक्टर –1, नोएडा, (उ.प्र.) –201301
80.	श्री अरविंद कपूर, अवर सचिव	भारत के उप–राष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली–110011
81.	श्री आनंद कुमार, उप प्रबंधक (मानव संसाधन)	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
82.	श्री टी.ए. खान, अनुसंधान अधिकारी	शहर और देश योजना संगठन, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली –110002
83.	श्री आर.पी. सिंह, दस्तावेज सहायक	शहर और देश योजना संगठन, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली –110002
84.	श्री ए.के. डे, अनुभाग अधिकारी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली –110001

75.	Shri S.K. Barmaiya Asstt. Account Officer	Office of the A.G.(A&E)-I, Bhopal (M.P.)
76.	Smt.Savita Jain Office Superintendent	Directorate of Cenus, Bhopal
77.	Shri Shaktipal Singh, Assistant Administrative Officer	Directorate of Soybean Research, Indore
78.	Shri Ram Avtar Parashar, Finance & Accounts Officer	National Institute of Static Stress Management

E. 114th Orientation Course in Records Management from 9-13 September, 2013 held at National Archives of India, New Delhi.

79.	Shri B.Nayak, Manager(HR)	HSCC (India) Limited, E-6(A),Sector-1, Noida, (U.P) -201301
80.	Shri Arvind Kapoor, Under Secretary	Secretariat of the Vice-President of India, New Delhi-110011
81.	Shri Anand Kumar, Deputy Manager(HR)	Scooters India Limited
82.	Shri T.A.Khan, Research Officer	Town and Country Planning Organisation, Ministry of Urban Development New Delhi-110002
83.	Shri R.P.Singh, Doc.Assistant	Town and Country Planning Organisation, Ministry of Urban New Delhi-110002
84.	Shri A.K.Dey, Section Officer	Ministry of Women and Child Development, Shastri Bhawan New Delhi-110001
85.	Shri Ganga Vishan, Manager	Engineers India Limited, Sector- 16, Gurgaon, (Haryana) -122001
86.	Ms. Shikha Ahuja, Senior HR Officer	Engineers India Limited, Sector-16,Gurgaon, (Haryana)-122001

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

85.	श्री गंगा विशान, प्रबंधक	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, सेक्टर 16, गुड़गांव, (हरियाणा) –122001
86.	सुश्री शिखा आहूजा, वरिष्ठ मानव संसाधन अधिकारी	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, सेक्टर 16, गुड़गांव, (हरियाणा) –122001
87.	सुश्री पायल दीक्षित, मानव संसाधन अधिकारी	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, सेक्टर 16, गुड़गांव, (हरियाणा) –122001
88.	श्री शिव कुमार. नागपाल, मानव संसाधन अधिकारी	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, सेक्टर 16, गुड़गांव, (हरियाणा) –122001
89.	श्री अनुज शर्मा, सहायक – मानव संसाधन	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, सेक्टर 16, गुड़गांव, (हरियाणा) –122001
90.	श्री ए लाकड़ा, सहायक विपणन	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, सेक्टर 16, गुड़गांव, (हरियाणा) –122001
91.	श्री पी.के. दूबे, सहायक प्रबंधक (एटीएम–एनओसी)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110003
92.	श्री प्रदीप कुमार, प्रबंधक (एटीएम–एआईएस),	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110003
93.	श्रीमती. निशा पटने, उप प्रबंधक	भारत व्यापार संवर्धन संगठन, प्रगति भवन, नई दिल्ली –110001
94.	श्री पी.सी. बिहारी, उप महाप्रबंधक	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली– 110001
95.	श्री अरिंदम, सहायक प्रबंधक	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली– 110001
96.	श्री अशोक कुमार मटाई, सहायक प्रबंधक (प्रचालन)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110003
97.	श्री दीपक कुमार चौधरी, सहायक प्रबंधक (ई सी)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110003

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

87.	Ms. Payal Dixit, HR Officer	Engineers India Limited, Sector- 16, Gurgaon, (Haryana)-122001
88.	Shri Shiv Kr. Nagpal, HR Officer	Engineers India Limited, Sector- 16, Gurgaon, (Haryana)-122001
89.	Shri Anuj Sharma, Assistant -HR	Engineers India Limited, Sector-16, Gurgaon, (Haryana)-122001
90.	Shri A. Lakra, Assistant- Marketing	Engineers India Limited, Sector-16, Gurgaon, (Haryana)-122001
91.	Shri P.K.Dubey, Assistant Manager(ATM-NOC)	Airport Authority of India, Safdarjung Airport, New Delhi-110003
92.	Shri Pradeep Kumar , Manager[ATM-AIS]	Airport Authority of India, Safdarjung Airport, New Delhi-110003
93.	Smt. Nisha Patney, Deputy Manager	India Trade Promotion Organisation, Pragati Bhawan, New Delhi-110001
94.	Shri P.C.Bihari, Deputy GM	Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, New Delhi- 110001
95.	Shri Arindam, Assistant Manager	Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, New Delhi-110001
96.	Shri Ashok Kumar Matai, Assistant Manager(Ops.)	Airport Authority of India, Safdarjung Airport, New Delhi-110003
97.	Shri Deepak Kumar Chowdhary, Assistant Manager(E-C)	Airport Authority of India, Safdarjung Airport, New Delhi-110003
98.	Shri Harish Ram, AAO, DCFR, Bhimtal,	Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

98.	श्री हरीश राम, एएओ, डीसीएफआर, भीमताल,	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली –110001
99.	श्री फिरोज खान एसएओ, सीआईएसएच, लखनऊ	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली –110001
100.	श्री चमन सिंह, एएफ और एओ, पीडीसी, मेरठ	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली –110001
101.	श्री बी.सी. कटोच, एएओ, सीआईपीएचईटी, लुधियाना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली –110001
102.	श्री कांता प्रसाद, एएफ एंड एओ, जोन– प्ट, कानपुर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली –110001
103.	श्रीमती. कमला रावत, एएओ, सीएसडब्ल्यूसीआर एवं टीआई, देहरादून	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
104.	श्री हीरा लाल मीणा, अनुभाग अधिकारी	भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली –110002
105.	श्रीमती. लता त्यागी, उप प्रबंधक (लाइब्रेरी)	बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली--110063
106.	श्री पी.आर. दत्ता, अभिलेख अधिकारी	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ब्रूकलनाड कंपाउंड, लोअर न्यू कालोनी, लैतुमखाराह, शिलांग –793003
107.	श्री बीर सिंह रावत, डी.एम. (सिविल)	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर–33, फरीदाबाद–121003 फैक्स: 0129–2254042
108.	श्री राज कुमार, कार्यकारी ड्राफ्टसमैन	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर–33, फरीदाबाद–121003 फैक्स: 0129–2254042

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

99.	Shri Firoz Khan, SAO, CISH, Lucknow	Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
100.	Shri Chaman Singh, AF & AO, PDC, Meerut	Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
101.	Shri B.C.Katoch, AAO, CIPHET, Ludhiana	Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
102.	Shri Kanta Prasad, AF & AO, Zone-IV, Kanpur	Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
103.	Smt. Kamla Rawat, AAO, CSWCR & TI, Dehradun	Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
104.	Shri Heera Lal Meena, Section Officer	Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
105.	Smt. Lata Tyagi, Deputy Manager(Library)	BHEL House, Siri Fort, New Delhi-110063
106.	Shri P.R.Dutta, Record Officer	North Eastern Electric Power Corporation, Brooklnad Compound, Lower New Colony, Laitumkhrah, Shillong -793003
107.	Shri Bir Singh Rawat, D.M(Civil)	NHPC Limited, NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad-121003 Fax: 0129-2254042
108.	Shri Raj Kumar, Executive D/Man	NHPC Limited, NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad-121003 Fax: 0129-2254042

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

109.	श्री सुरेन्द्र राम, कार्यकारी ड्राफ्टसमैन	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर–33, फरीदाबाद–121003 फैक्सः 0129–2254042
110.	श्री एस.पी. पांडे, प्रबंधक (मानव संसाधन)	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–110012 फैक्सः 011–25842904
111.	सुश्री मल्लिका एस शेट्टी महाप्रबंधक (सेवाएं),	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 245–मैडम कामा रोड, मुंबई–400021 फैक्सः 022–22830755

च. राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र, जयपुर में दिनांक 21 से 25 अक्तूबर, 2013 तक आयोजित 115वां अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम

112.	श्री पवन कुमार रक्षक कार्यालय अधीक्षक मोबाइल नं.9460220368	एमएसएमई– विकास संस्थान, बी बैंस गोदाम इंडस्ट्रीयल स्टेट, जयपुर–302006 फैक्सः 0141–2210553 / 2215847
113.	श्री रामचंद्र पी पधातरे सहायक प्रबंधक (प्रशा.),	कापस भवन प्लॉट नं. 3ए सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई 400614 फैक्सः 022–27579217
114.	श्री शांति लाल धामा, कार्यालय अधीक्षक, मोबाइल नंबर 9887097422	गृह मंत्रालय जनगणना संचालन निदेशालय, राजस्थान 6बी, झालना डूंगरी जयपुर–302004
115.	सुश्री अरुणा शर्मा, वित्त एवं लेखा अधिकारी, मोबाइल नंबर 9928860707	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, जोन–छठी, काजरी कैम्पस जोधपुर फैक्सः 0291–2748412
116.	श्री ए.के. मनचंदा, प्रशासनिक अधिकारी,	मोबाइल नंबर 09555660518 राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और अनुसंधान केंद्र, डीपीएस मार्ग, पूसा नई दिल्ली–110012 फैक्सः 01125848731

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

109.	Shri Surendra Ram, Executive D/Man	NHPC Limited, NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad-121003 Fax: 0129-2254042
110.	Shri S.P. Pandey, Manager(H.R.)	National Seeds Corporation Limited, Beej Bhawan, Pusa complex, New Delhi-110012 Fax No: 011-25842904
111.	Ms. Mallika S Shetty, General Manager(Services),	The Shipping Corporation of India Limited, 245-Madame Cama Road, Mumbai-400021 Fax No: 022-22830755

F. **115th Orientation Course in Records Management from 21-25 October, 2013 held at National Archives of India, Record Centre Jaipur.**

112.	Shri Pavan Kumar Rakshak Office Superintendent Mob. No.9460220368	MSME- Development Institute, B\ Bais Godam Industrial Estate Jaipur-302006 Fax: 0141-2210553/2215847
113.	Shri Ramchandra P. Phadatare Assistant Manager (Admn.),	Kapas Bhawan Plot No. 3A CBD Bela Pur Navi Mumbai- 400614 Fax: 022-27579217
114.	Shri Shanti Lal Dhama Office Superintendent, Mob. No. 9887097422	Ministry of Home Affairs Directorate of Census Operations, Rajasthan 6 B, Jhalana Dungari Jaipur-302oo4
115.	Ms. Aruna Sharma, Finance & Accounts Officer, Mob. No. 9928860707	Zonal Project Directorate, Zone-VI, Cazri Campus Jodhpur Fax: 0291-2748412
116.	Shri A.K. Manchanda, Administrative Officer, Mob. No. 09555660518	National Research Center for Agricultural Economics and Research, DPS Marg Pusa New Delhi-110012 Fax: 01125848731

117.	श्री बहादुर राम, एएओ, मोबाइल नं. 9412169078	विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान (आईसीएआर), अल्मोड़ा फैक्सः 05962–231539
118.	श्री इरफान अली खान, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मोबाइल नं. 9454802804	केन्द्रीय पक्षी अनुसधान संस्थान, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश–243122 फैक्सः 05812301321
119.	श्री जसमेर सिंह पॉल, प्रशासनिक अधिकारी, मोबाइल नं.094660–80051	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल फैक्सः 0184–2266315
120.	श्री रामपाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मोबाइल नं.09896571357	राष्ट्रीय अनुसंधान अश्व केन्द्र, सिरसा रोड, हिसार–125001 फैक्सः 01662–276217
121.	श्री सुमित कुमार जिंदल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मोबाइल नं.08765092552	भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, पी.ओ. बॉक्स जखाइन, शाहनशामपुर, वाराणसी
122.	श्री दरवेश कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, मोबाइल नं.95748144441	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ग्राउंड नट अनुसधान निदेशालय, ईवानगर रोड, पोस्ट बॉक्स नहीं, 5, जूनागढ़, गुजरात – 362001 फैक्सः 0285–2672843
123.	श्री राजिंदर शर्मा, सहायक	मशरूम अनुसंधान निदेशालय, चामलाघाट, सोलन– (एचपी) फैक्सः 0792–231207
124.	श्री एन.जे. खानविलकर अभिलेख अधिकारी, मोबाइल नं.09869256723	परमाणु ऊर्जा विभाग अणु शक्ति भवन, सीएसएम मार्ग मुंबई–400001
125.	श्री पी.जी. जोहन, ए.एम (प्रशा.), मोबाइल नं. 09679510697	एनएचपीसी लिमिटेड कार्यालय परिसर, सेक्टर–33, फरीदाबाद–121003 फैक्सः 03192250453
126.	श्री अनुग्रह अर्पण भेंगरा, अनुभाग अधिकारी,	एस.आई.बी. 2–बी लवण मार्ग, झालना, डूंगरी जयपुर–302004 फैक्सः 0141–2708583

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

117.	Shri Bahadur Ram, AAO, Mob. No.9412169078	Vivekananda Parvatiya Krishi Anusandhan Sansthan (ICAR), Almora Fax: 05962-231539
118.	Shri Irfan Ali Khan, Assistant Administrative Officer, Mob. No.9454802804	Central Avian Research Institute Izatnagar U.P.-243122 Fax: 05812301321
119.	Shri Jasmer Singh Paul, Administrative Officer, Mob.No.094660-80051	Directorate of Wheat Research, Karnal Fax: 0184-2266315
120.	Shri Rampal, Assistant Administrative Officer, Mob. No. 09896571357	National Research Centre on Equines Sirsa Road Hisar-125001 Fax: 01662-276217
121.	Shri Sumit Kumar Jindal, Senior Administrative Officer, Mob. No.08765092552	Indian Institute of Vegetable Research, P.O. Box Jakhine, Shahansham Pur, Varanasi
122.	Shri Darvesh Kumar, Administrative Officer, Mob. No. 95748144441	Indian Council of Agriculture Research, Directorate of Ground Nut Research, Ivanagar Road, Post Box No-5, Junagadh, Gujarat - 362001 Fax: 0285-2672843
123.	Shri Rajinder Sharma, Assistant,	Directorate of Mushroom Research, Chamlaghat, Solan-(HP) Fax: 0792-231207
124.	Shri N.J. Khanvilkar, Records Officer, DAE, Mob. No.09869256723	Department. of Atomic Energy Anu Shakti Bhawan, CSM Marg Mumbai-400001
125.	Shri P.G. Johan, A.M (Admn.), Mob. No. 09679510697	NHPC Limited Office Complex, Sector-33, Faridabad-121003 Fax: 03192250453
126.	Shri Anugrah Arpan Bhengra, Section Officer,	S.I.B.,2-B Lawan Marg, Jhalana Doongri Jaipur-302004 Fax: 0141-2708583

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

127.	श्री एस.पी. मीणा, अधीक्षक (अनुसचिवीय), मोबाइल नं. 7737696543	नमक आयुक्त का कार्यालय, लवण भवन, 2–ए लवण मार्ग, जयपुर–302004 फैक्स नं. 0141–2703570
128.	श्री राजेश चौधरी, सहायक लेखा–परीक्षा अधिकारी, मोबाइल नं. 9414250490	भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग महालेखाकार कार्यालय (आर्थिक और राजस्व क्षेत्र ऑडिट) राजस्थान जनपथ, जयपुर–302005 फैक्सः 0141–2385431
129.	सुश्री साधना राणा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी मोबाइल नं.9829843043	पीसीडीए (एसडब्ल्यूसी) खाटीपुरा जयपुर फैक्सः 0141–6605524
130.	श्री ए.डी. शर्मा सहायक प्रशा. अधिकारी, मोबाइल नं.094180–70995	केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला–171001 (एचपी) फैक्सः 0177–2624460
131.	श्री डी कालियाप्पन, प्रबंधक (सामान्य), मोबाइल नं.9841954448	भारतीय खाद्य निगम, आंचलिक कार्यालय चेन्नई–600006 फैक्सः 044–28276423
132.	श्री गौरव राठौड़, मैनेजर मोबाइल नं.09619529594	भारतीय खाद्य निगम, आंचलिक कार्यालय (पश्चिम क्षेत्र) राजेंद्र नगर, दत्ता पाडा रोड, बोरीवली (ई), मुंबई फैक्सः 022–28947040

छ. राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र (दक्षिणी क्षेत्र), पुड्डुचेरी में दिनांक 2 से 6 दिसंबर, 2013 तक आयोजित 116वां अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम

133.	श्री एफ एम सदरूद्दीन, प्रबंधक/अभिलेख अधिकारी मोबाइल नं. 09003140619	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, 6ए रेन ट्री प्लेस, 9 एमसी निकोल्स रोड, चेटपेट, चेन्नई–600031 फैक्सः 044–28363726 / 27
134.	श्री. के एस एन डी माथुर, एओओ, मोबाइल नं.9949543970	ऑयल पाम अनुसंधान निदेशक पेडावेगी–534450 पश्चिम गोदावरी जिला, ए.पी. फैक्सः 08812–259524 / 259532

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

127.	Shri S.P. Meena, Superintendent (Ministerial), Mob. No. 7737696543	Office of The Salt Commissioner,LavanBhawan, 2-A Lavan Marg, Jaipur-302004 Fax: No.0141-2703570
128.	Shri Rajesh Choudhary, Assistant Audit Officer, Mob. No. 9414250490	Indian Audit And Accounts Department Office of the Accountant General (Economic & Revenue Sector Audit) Rajasthan Janpath, Jaipur-302005 Fax: 0141-2385431
129.	Ms. Sadhana Rana, Sr. Accounts Officer Mob. No. 9829843043	PCDA (SWC) Khatipura Jaipur Fax: 0141-6605524
130.	Shri A.D. Sharma, Assistant Admn. Officer, Mob. No. 094180-70995	Central Potato Research Institute, Shimla-171001(H.P.) Fax: 0177-2624460
131.	Shri D. Kaliyappan, Manager (General), Mob. No.9841954448	Food Corporation of India, Zonal Office Chennai-600006 Fax:044-28276423
132.	Shri Gaurav Rathoud, Manager Mob. No. 09619529594	Food Corporation of India, Zonal Office (West Zone) Rajendra Nagar, Datta Pada Road, Borivali (E), Mumbai Fax:022-28947040

G. 116th Course in Records Management from 2-6 December, 2013 held at National Archives of India, Records Centre (Southern Zone), Puducherry.

133.	Shri F. M. Sadruddin, Manager/Records Officer Mob. No.09003140619	Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, 6A Rain Tree Place, 9 MC Nichols Road, Chetpet, Chennai-600031 Fax: 044-28363726/27
134.	Shri. K. S. N. D. Mathur, AAO, Mob.No.9949543970	Director of Oil Palm Research Pedavegi-534450 West Godavari District, A.P. Fax: o8812-259524/259532

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

135.	श्री. ए वेंकटेश्वर राव, एएओ, डीएसआर, मोबाइल नं.929014357	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, (डी.एस.आर), राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–500030 फैक्स: 040–24016373
136.	कलैवानी आर सहायक प्रशासनिक अधिकारी मोबाइल नं.8867395563	राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान संस्थान कृषि अनुसंधान, अडुगोडी, बंगलौर–560030 फैक्स: 5710664
137.	श्री. प्रदीप सिंह, सहायक निदेशक मोबाइल नं.9848241475	तिलहन निदेशालय अनुसंधान, राजेंद्र नगर, हैदराबाद–500030 फैक्स: 24598101 / 24017969
138.	श्री. बी. लोकनाथ, एओओ, मोबाइल नं. 8197272801	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हेस्साराशेटा लेक, पोस्ट बंगलौर–560089 फैक्स: 28466421–3
139.	श्री सुब्रमण्यम आर.एन. एएओ, मोबाइल नं.9496163268	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, मारीकुन्नु पीओ, कोझिकोड केरल–673012 फैक्स: 0495–2731187
140.	श्रीमती. अम्बुजम के.टी. अनुभाग अधिकारी मोबाइल नं.9446421246, 8762316745	रबर बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलोर कर्नाटक राज्य फैक्स: 0481–2353327
141.	श्री एन भास्करन, प्रबंधक मानव संसाधन, मोबाइल नं. 9445103780	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मणलि चेन्नई–600068 फैक्स: 25941010
142.	श्रीमती. ललिता, टी.पी. अनुभाग अधिकारी, मोबाइल नं. 9496286310	रबर बोर्ड कोझीकोड, केरल–673001 फैक्स: 0495–2768006
143.	श्री. पी. नीलकंठम, एएओ, मोबाइल नं.9985010089	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एनएएआरएम), राजेंद्र नगर, हैदराबाद–500030 फैक्स: 04024015070 / 24015912

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

135.	Shri. A. Venkateshwar Rao, AAO, DSR, Mob. No.9290143573	Indian Council of Agricultural Research, (D.S.R)0 Rajendernagar, Hyderabad-500030 Fax: 040-24016373
136.	Kalaivani R. Assistant Admn. Officer Mob.No.8867395563	National Institute of Animal Nutrition and Physiology Agricultural Research, Adugodi, Bangalore-560030 Fax: 5710664
137.	Shri. Pradeep Singh, Assistant Director Mob.No.9848241475	Directorate of Oilseeds Research, Rajendranagar, Hyderabad-500030 Fax:24598101/24017969
138.	Shri. B. Lokanatha, AAO, Mob.No.8197272801	Indian Institute of Horticultural Research Hessarashatta Lake Post Bangalore-560089 Fax: 28466421-3
139.	Shri Subramanian R.N. AAO, Mob. No.9496163268	Indian Institute of Spices Research Marikunnu P.O, Kozhikode Kerala-673012 Fax: 0495-2731187
140.	Smt. Ambujam K. T Section Officer Mob. No. 9446421246,8762316745	Rubber Board Regional Office, Mangalore Karnataka State Fax: 0481-2353327
141.	Shri N. Baskaran, Manager-HR, Mob.No. 9445103780	Madras Fertilizers Limited, Manali Chennai-600068 Fax: 25941010
142.	Smt. Lalitha, T.P. Section Officer, Mob. No. 9496286310	Rubber Board Kozhikode, Kerala-673001 Fax: 0495-2768006
143.	Sh. P. Neelakantam, AAO, Mob. No.9985010089	National Academy of Agricultural Research Management (NAARM), Rajendranagar Hyderabad-500030 Fax:04024015070/24015912
144.	Sh. K. S. Ramakrishna, AAO, and Record Officer, Mob. No.8281339214	Central Plantation Crops Research Institute, (ICAR) Kasaragod Kerala-671124 Fax: 04994-232322

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

144.	श्री. के. एस. रामकृष्ण, एएओ, और अभिलेख अधिकारी, मोबाइल नं.8281339214	केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, (आईसीएआर) कासरगोड केरल–671124 फैक्सः 04994–232322
145.	श्री आर.एस. राममूर्ति, क्षेत्रीय अधिकारी, मोबाइल नं. 9449788480	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय–VIII आईसीएआर हेब्बेल, बंगलौर–560024 फैक्सः 080–23410615
146.	श्रीमती. वी. भाघालक्ष्मी, एएओ, मोबाइल नं. 09848568473	केन्द्रीय टोबाऊ अनुसंधान संस्थान, राजमुंद्री, भास्कर नगर, डॉ एन.सी. ईगोपालाचेनी रोड सी.टी.आर.आई., राजमुंद्री –533105, आंध्र प्रदेश फैक्सः 0883–2448341,2410555
147.	श्री के. रवीन्द्रन नायर उप सचिव (प्रशा.) मोबाइल नं. 9497735846	रबर बोर्ड कोट्टायम, केरल –686009 फैक्सः 0481– 2353327
148.	श्री जे गोपीनाथ, अधीक्षण अधिकारी, मोबाइल नं. 09344667877	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कोमपाक्कम रोड, कारा विनायगा मंदिर के सामने, मुरुनगापाक्कम, पुडुचेरी फैक्सः 0413–2353239
149.	श्री बी.एस. प्रभाकर, सहायक सचिव (तकनीकी) मोबाइल नं. 9036512705	केन्द्रीय रेशम बोर्ड सीएसबी परिसर, बीटीएम लेआउट, माडीवाला, बंगलौर–560068 फैक्सः 080–26282621
150.	श्री बाबू वर्गीज, कार्यकारी ड्राफ्टस/मैन, मोबाइल नं. 09810973112	एनएचपीसी लिमिटेड सेक्टर–33, फरीदाबाद (हरियाणा) 121003 फैक्सः 0129–2254042
151.	श्री के एस राणा, एएओ, फैक्सः 0129–2277941	एनएचपीसी लिमिटेड फरीदाबाद (हरियाणा) 121003 फैक्सः 129–2254042
152.	श्री पी जे डेविस, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मोबाइल नं. 09497681706	केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, सीआईएफटी जंक्शन, मत्स्यपुरी पी.ओ. कोचीन–682029 फैक्सः 0484–2668212

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

145.	Sh.R.S.Ramamurthy, Field Officer, Mob.No.9449788480	Zonal Project Directorate-VIII ICAR Hebbel, Bangalore-560024 Fax: 080-23410615
146.	Smt. V. Bhaghalakshmi, AAO, Mob. No. 09848568473	Central Tobauo Research Institute Rajmundry Bhaskar Nagar, Dr. N.C. Egopalacheni Road C.T.R.I., Rajmundry-533105, A.P. Fax: 0883-2448341,2410555
147.	Shri K. Raveendran Nair, Deputy Secretary (Admn.) Mob. No. o9497735846	Rubber Board Kottayam, Kerala -686009 Fax: 0481- 2353327
148.	Shri J. Gopinath, Superintending officer, Mob. No. 09344667877	National Sample Survey Office Ministry of Statistics & Programme Implementation Puducherry Housing Board Commercial Complex Kompakkam Road, Opp to Kara Vinayaga Temple, Murungapakkam, Puducherry Fax: 0413-2353239
149.	Shri B.S. Prabhakar, Assistant Secretary (Tech) Mob. No. 9036512705	Central Silk Board CSB Complex, BTM Layout, Madiwala Bangalore -560068 Fax: 080-26282621
150.	Shri Babu Verghese, Exe. D/Man, Mob.No.09810973112	NHPC Limited Sector-33, Faridabad (Haryana) 121003 Fax:0129-2254042
151.	Shri K. S. Rana, AAO, Fax: 0129-2277941	NHPC Limited Faridabad (Haryana) 121003 Fax:129-2254042
152.	Shri P. J. Davis, Senior Administrative Officer, Mob.No.09497681706	Central Institute of Fisheries Technology, CIFT Junction, Matsyapuri P.O. Cochin, India -682029 Fax:0484-2668212

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

153.	श्री वी हरिनारायण, कार्यालय अधीक्षक, मोबाइल नं. 07200292035	केंद्रीय भूजल बोर्ड दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र ई–1, सी–ब्लॉक, राजाजी भवन, बसंत नगर, चेन्नई–600090 फैक्स: 044–24914334
154.	श्री एस देवेंद्रन, सहायक प्रबंधक (प्रशासन). मोबाइल नं. 09884025630 / 09094794807	भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, 31 एवं 32, औद्योगिक एस्टेट (एसपी) गिंडी, चेन्नई–600032 फैक्स: 044–42702991
155.	श्री थिरुमुरुगन. ए, एसडीई, मोबाइल नं. 9486102843	महाप्रबंधक का कार्यालय, बीएसएनएल, पुडुचेरी–605001 फैक्स: 0413–2223377
156.	श्रीमती. आर सिवाकमी, अधीक्षक, मोबाइल नं. 9489767647	प्रशासनिक अधिकारी एनसीसी ग्रुप मुख्यालय, लासपेट, पुडुचेरी–605008 फैक्स: 2252764
157.	श्री के. कृष्णामूर्ति, प्रबंधक (डीईपीडीटी), मोबाइल नं. 8526956099	भारतीय खाद्य निगम, खाद्य सिडरेज डिपो, तिरूवानडर केडी2 पांडिचेरी फैक्स: 04132–690131

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

153.	Shri V. Harinarayana, Office Superintendent, Mob. No. 07200292035	Central Ground Water Board South Eastern Coastal Region E-1, C- Block, Rajaji Bhavan, Besant Nagar, Chennai-600090 Fax: 044-24914334
154.	Shri S. Devendran, Assistant Manager (Admn.) Mob. No.o9884025630/09094794807	Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, 31 & 32, Industrial Estate (SP) Guindy,Chennai-600032 Fax: 044-42702991
155.	Shri Thirumurugan. A, SDE , Mob. No. 9486102843	O/o General Manager, BSNL, Puducherry-605001 Fax:0413-2223377
156.	Smt. R. Sivakami, Superitendent, Mob.No. 9489767647	Administrative Officer NCC Group Headquarters Lawspet, Puducherry-605008 Fax: 2252764
157.	Shri K. Kishnamurthy, Manager (DEPDT), Mob. No. 8526956099	Food Corporation of India, Food Sidrage Depot Thirnvandar Kdi2 Pondicherry Fax: 04132-690131

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुलग्नक–V

राष्ट्रीय अभिलेखागार के साथ बातचीत करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा नामित नोडल अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अभिलेख सर्जक एजेंसी का नाम	अभिलेख महानिदेषक के साथ बातचीत के लिए नामित नोडल अधिकारियों का ब्यौरा
1.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	श्री मुनीश कुमार, आर्थिक सलाहकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय 'ए' विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली –110001
2.	रक्षा मंत्रालय डी (ओ एंड एम/पीजी)	श्री नवीन कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव (ई/पीजी) रक्षा मंत्रालय डी (ओएंडएम/पीजी) 'ए' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली
3.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	श्री आनंद एस खाटी, संयुक्त सचिव (प्रशा.), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पृथ्वी भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
4.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	श्री सुरेश पाल, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय कमरा नं. 513 'बी' विंग, शास्त्री भवन, डॉ राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली –110001
5.	उपभोक्ता मामले मंत्रालय	डॉ ए.आर. गोयल, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली –110001
6.	वित्त मंत्रालय	श्री राजेश खुल्लर, संयुक्त सचिव (एबीसी), वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE V

List of Nodal Officers nominated by various Ministries to interact with the National Archives of India

S. No.	Name of the Records Creating Agency	Details of the Nodal Officer nominated to interact with the Director General of Archives
1.	Ministry of Information & Broadcasting	Shri Munish Kumar, Economic Adviser Ministry of Information & Broadcasting 'A'Wing Shastri Bhawan , New Delhi-110001
2.	Ministry of Defence D(O&M/PG)	Shri Navin Kumar Choudhary, Joint Secretary, (E/PG) Ministry of Defence D(O&M/PG) 'A' Wing, Sena Bhawan, New Delhi
3.	Ministry of Earth Sciences	Shri Anand S. Khati, Joint Secretary (Admn.), Ministry of Earth Sciences Prithvi Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003
4.	Ministry of Corporate Affairs	Shri Suresh Pal, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs Room No.513 'B' wing, Shastri Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road , New Delhi-110001
5.	Ministry of Consumer Affairs	Dr. A.R. Goyal, Joint Secretary, Ministry of Consumer Affairs Food & Public Distribution Department of Food and Public Distribution Krishi Bhawan, New Delhi-110001
6.	Ministry of Finance	Shri Rajesh Khullar, Joint Secretary (ABC), Ministry of Finance Department of Economic Affairs New Delhi

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

7.	शहरी विकास मंत्रालय	श्री धर्नेन्द्र, संयुक्त सचिव (ए और सी), शहरी विकास मंत्रालय 207–सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011
8.	रक्षा मंत्रालय (पुनर्वास प्रभाग)	सुश्री ए.एस. लक्ष्मी, संयुक्त सचिव रक्षा मंत्रालय (पुनर्वास प्रभाग) सेना भवन, नई दिल्ली
9.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद)	डॉ नागेश प्रभु, संयुक्त सचिव भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली–110029
10.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	श्री श्याम कपूर, संयुक्त सचिव (प्रशा.) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली
11.	गृह मंत्रालय	श्रीमती. पूनम जुनेजा, संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग लोकनायक भवन, नई दिल्ली–110003
12.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	श्री ए.के. त्रिपाठी, आईएएस संयुक्त सचिव वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग उद्योग भवन, नई दिल्ली
13.	रक्षा मंत्रालय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन	श्री सुनील शर्मा, निदेशक, राजभाषा और ओएम निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कमरा नं. 237, डीआरडीओ भवन, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली–110011 दूरभाष: 011–23007237, फैक्स: 0112–3017579

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

7.	Ministry of Urban Development	Shri Dharnedra, Joint Secretary (A&C), Ministry of Urban Development 207-C Wing, Nirman Bhawan, New Delhi-110011
8.	Ministry of Defence (Resettlement Division)	Ms. A.S. Lakshmi, Joint Secretary Ministry of Defence (Resettlement Division) Sena Bhavan , New Delhi
9.	Ministry of Health & Family Welfare (Indian Council of Medical Research)	Dr. Nagesh Prabhu, Joint Secretary Indian Council of Medical Research Ministry of Health & Family Welfare New Delhi-110029
10.	Ministry of Social Justice & Empowerment	Shri Shyam Kapoor, Joint Secretary (Admn.) Ministry of Social Justice & Empowerment Shastri Bhawan, New Delhi
11.	Ministry of Home Affairs	Smt. Poonam Juneja, Joint Secretary Ministry of Home Affairs Department of Official Language Lok Nayak Bhawan, New Delhi-110003
12.	Ministry of Commerce & Industry	Shri A.K. Tripathy, IAS Joint Secretary Ministry of Commerce & Industry Department of Commerce Udyog Bhawan, New Delhi-
13.	Ministry of Defence Defence Research & Development Organisation	Shri Sunil Sharma, Director, Directorate of Rajbhasha & OM Ministry of Defence Defence Research & Development Organisation Room No-237,DRDO Bhawan, Rajaji Marg, New Delhi-110011 Tele : 011-23007237 Fax: 0112-3017579

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

14.	वस्त्र मंत्रालय	श्री सुजीत गुलाटी, संयुक्त सचिव (प्रशा.) वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली दूरभाषः 23063192 फैक्सः 23062451
15.	कानून एवं न्याय मंत्रालय	श्री एस.के. महापात्र, संयुक्त सचिव एवं कानूनी सलाह, कानूनी मामले विभाग कानून एवं न्याय मंत्रालय शास्त्री भवन राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली दूरभाष नं. 23384446
16.	पंचायती राज मंत्रालय	श्री सी चिन्नप्पा, निदेशक पंचायती राज मंत्रालय, 11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग 25 केजी मार्ग, नई दिल्ली दूरभाषः 23746560 ईमेलः c.chinnappa@nic.in
17.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	श्री पी.पी. नागरथ, निदेशक (प्रशासनिक), पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय पर्यावरण भवन, 9वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 दूरभाषः 24361043 फैक्सः 24364113
18.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	श्री अनिल कुमार, उप सचिव (प्रशासन) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कमरा नं 106–डी, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 टेलीफोनः (011) 23061033 ई–मेलः dsadmn.health@gmail.com

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

14.	Ministry of Textiles	Shri Sujit Gulati, Joint Secretary (Admn.) Ministry of Textiles Udyog Bhwan, New Delhi Tel: 23063192 Fax: 23062451
15.	Ministry of Law & Justice	Shri S.K. Mohapatra, Joint Secretary & Legal Adviser, Department of Legal Affairs Ministry of Law & Justice Shastri Bhawan Rajendra Prasad Road, New Delhi Tel. No. 23384446
16.	Ministry of Panchayati Raj	Shri C. Chinnappa, Director Ministry of Panchayati Raj, 11th Floor, Jeevan Prakash Building 25, K.G. Marg, New Delhi Tel: 23746560 Email: c.chinnappa@nic.in
17.	Ministry of Drinking Water and Sanitation	Shri P.P. Nagrath, Director(Administrative), Ministry of Drinking Water and Sanitation Paryavaran Bhawan, 9th Floor, CGO Complex Lodhi Road, New Delhi-110003 Tel: 24361043 Fax: 24364113
18.	Ministry of Health & Family Welfare	Shri Anil Kumar, Deputy Secretary (Admn,) Ministry of Health & Family Welfare Room No. 106-D Nirman Bhawan, New Delhi-110011 Tel: (011) 23061033 E-Mail: dsadmn.health@gmail.com

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

19.	कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन	सुश्री अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव (एटी एंड ए) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली
20.	भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय	श्री राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (उद्योग विभाग) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग विभाग कमरा नं 150, उद्योग भवन, नई दिल्ली दूरभाषः 23063740 फैक्सः 23062207 ई–मेलः singh.rk 1967@nic.in
21.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग	श्री अनिल कुमार गनेरीवाला, संयुक्त सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग, आयुष भवन बी–ब्लॉक, जीपीओ परिसर, आईएनए, नई दिल्ली–110023
22.	इस्पात मंत्रालय	श्री लोकेश चन्द्र, आईएएस (महाराष्ट्रः 93) संयुक्त सचिव इस्पात मंत्रालय, (स्थापना अनुभाग) उद्योग भवन, नई दिल्ली
23.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,	श्री एस.के. नाग, निदेशक उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले विभाग कमरा नं. 461, एच विंग, कृषि भवन, नई दिल्ली
24.	नागरिक विमानन मंत्रालय	श्री जी.अशोक कुमार संयुक्त सचिव (प्रशासन) नागरिक विमानन मंत्रालय कमरा नं 268, बी–ब्लॉक, राजीव गांधी भवन सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली–110003 दूरभाषः 24617692

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

19.	Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions	Ms. Archana Varma, Joint Secretary(AT&A) Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Personnel & Training New Delhi
20.	Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises	Shri Rajesh Kumar Singh, Joint Secretary (DHI) Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises Department of Heavy Industry Room No. 150 Udyog Bhawan, New Delhi Tel: 23063740 Fax: 23062207 e-mail singh.rk 1967@nic.in
21.	Ministry of Health and Family Welfare Department of AYUSH	Shri Anil Kumar Ganeriwala, Joint Secretary Ministry of Health and Family Welfare Department of AYUSH AYUSH Bhawan B-Block, GPO Complex, INA, New Delhi-110023
22.	Ministry of Steel	Shri Lokesh Chandra, IAS (MH:93) Joint Secretary Ministry of Steel (Estt. Section) Udyog Bhawan, New Delhi
23.	Ministry of Consumer Affairs, Food& Public Distribution	Shri S.K. Nag, Director Ministry of Consumer Affairs, Food& Public Distribution Department of Consumer Affairs Room No 461, H Wing, Krishi Bhawan, New Delhi
24.	Ministry of Civil Aviation	Shri G.Asok Kumar Joint Secretary (Admn) Ministry of Civil Aviation Room No. 268, B-Block, Rajiv Gandhi Bhawan Safdarjung Airport, New Delhi-110003 Tel: 24617692

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

25.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	श्री बी.के. अग्रवाल संयुक्त सचिव (ए और सी) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय प्रशासनिक अनुभाग 'सी' –विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली
26.	पोत परिवहन मंत्रालय	सुश्री दिव्या प्रसाद, संयुक्त सचिव (समन्वय) पोत परिवहन मंत्रालय परिवहन भवन, नई दिल्ली –110001 टेलीफोनः 011–23711499 फैक्सः 011–23711499 ई–मेलः jscoord-ship@nic.in
27.	सार्वजनिक उद्यम विभाग	श्रीमती. दीप्ति मुखर्जी, संयुक्त सचिव, लोक उद्यम विभाग, आर नंबर 401, ब्लॉक नंबर 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली–110003 दूरभाषः 24360204 फैक्सः 24362646 ईमेलः js.mou-dpe@nic.in
28.	विद्युत मंत्रालय	श्री. सतीश कुमार, संयुक्त सचिव (प्रशा.) विद्युत मंत्रालय श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली –110001 दूरभाषः नहीं 23715507 फैक्सः 23717519
29.	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	श्री. एस.सी. शर्मा डीडीजी (सी एंड ए) संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दूरसंचार विभाग, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली –110001

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

25.	Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation	Shri B.K. Aggarwal, Joint Secretary (A&C) Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation Administrative Section "C"-Wing, Nirman Bhawan New Delhi-
26.	Ministry of Shipping	Ms. Divya Prasad, Joint Secretary (Coordination) Ministry of Shipping Transport Bhawan, New Delhi-110001 Tel: 011-23711499 Fax: 011-23711499 E-mail: jscoord-ship@nic.in
27.	Department of Public Enterprises	Smt. Deepti Mukerjee, Joint Secretary, Department of Public Enterprises, R. No. 401, Block No. 14, CGO Complex New Delhi-110003 Tel: 24360204 Fax: 24362646 Email: js.mou-dpe@nic.in
28	Ministry of Power	Sh. Satish Kumar, Joint Secretary (Admn.) Ministry of Power Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001 Tel: No. 23715507 Fax: 23717519
29.	Ministry of Communications & IT	Sh. S.C. Sharma, DDG (C&A) Ministry of Communications & IT Department of Telecommunications Sanchar Bhavan,20, Ashoka Road, New Delhi-110001

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुलग्नक– VI

विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों के लिए माइक्रोफिल्म बनाई गई ''ए'' श्रेणी के अभिलेखों का ब्यौरा

क्र.सं.	विभाग/मंत्रालय	प्रकटन की संख्या	रोल की संख्या	माइक्रोफिल्म बनाने का वर्ष
1.	विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली	10,473	17 (12 मिश्रित)	1999
2.	योजना आयोग, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	1000	2	1999
3.	संचार मंत्रालय, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली	126	1	1999
4.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली	1065	2	1999
5.	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत 5, लाजपत राय रोड, नई कटरा इलाहाबाद–211002	6,390	9	2000
6.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग, नई दिल्ली	40	1	2000
7.	वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग	2737	4	2000
8.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली	98	1	2002
9.	वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली	1417	2	2002
10.	संसदीय कार्य मंत्रालय	280	1	2003
11.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग, नई दिल्ली	715	1	2003

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE VI

Details of "A" Category records Microfilmed for various Records Creating Agencies

S.No.	Department/Ministry	Number of Exposure	Number of Rolls	Year of Microfilming
1.	Ministry of Power, Sharm Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi	10,473	17(12mixed)	1999
2.	Planning Commission Yojana Bhawan, Sansad Marg, New Delhi	1000	2	1999
3.	Ministry of Communication, Department of Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi	126	one	1999
4.	Ministry of Environment & Forest, Paryavan Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi	1065	2	1999
5.	National Academy of Sciences, India 5, Lajpatrai Road, New Katra, Allahabad-211002	6,390	9	2000
6.	Ministry of Communication & IT, Department of Post, New Delhi	40	1	2000
7.	Ministry of Finance, Department of Expenditure	2737	4	2000
8.	Ministry of Commerce and Industry Udyog Bhawan, New Delhi	98	1	2002
9.	Ministry of Commerce New Delhi	1417	2	2002
10.	Ministry of Parliamentary Affairs	280	1	2003
11.	Ministry of communication & IT, Department of Post, New Delhi	715	1	2003

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

National Archives of India

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Scan complete
19/09/2023
Total pages - 153

National Archives of India
Janpath, New Delhi-110 001
Tel. Nos.: 23383436, 23381467 Fax No. 23384127
email: archives@nic.in Website: www.nationalarchives.nic.in